पंचम माला, खंड 59, अंक 18, मंगलवार, 1 अप्रैल, 1976/12 चैत्र, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LIX, No. 18, Tuesday, April 1, 1976 Chaitra 12, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 59 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. LIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18, गुरुवार, 1 अप्रैल, 1976/12 चैत्र 1898 (शक)

No. 18, Thursday, April 1, 1976/Chaitra 12, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या 342, 343, 345, 347, 348, 350, और 353 से 358	*Starred Questions Nos. 342, 343, 345, 347, 348, 350 and 353 to 358 . . .	2—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या 341, 344 346, 349, 351, 352, 359 और 360	Starred Questions No. 341, 344, 346, 349, 351, 352, 359 and 360; . . .	23—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 1744 से 1756, 1758 से 1767, 1769 से 1834 और 1836	Unstarred Questions No. 1744 to 1756, 1758 to 1767, 1769 to 1834 and 1836 .	28—77
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	78—79
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	78—80
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
199 वां प्रतिवेदन	Hundred and Ninety-ninth Report .	80
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill—	
(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee .	80
(2) साक्ष्य	(ii) Evidence	80
जीवन बीमा निगम (समझौते में रूपभेद) विधेयक—	Life Insurance Corporation (Modification of Settlement) Bill—	

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
पुर : स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to Introduce—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi .	82
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	81
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	81
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	81
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	81-82
अनुदानों की मांगे, 1976—77—	Demands for Grants, 1976-77—	
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs .	83—115
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi .	83-84
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	84—86
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik .	86
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	86—89
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	89—91
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	91-92
श्री सी० टी० दंडपाणि	Shri C. T. Dhandapani	92-93
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	93-94
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	94
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	95-96
श्री धामनकर	Shri Dhamankar . .	96—98
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin .	98—103
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishniah . .	103-104
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini . . .	104
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर	Shri Purshottam Kakodkar . .	104-105
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	105—107
श्री यमूना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal . . .	107
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalandu Bhattacharyyia . .	107—109
श्री मती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande .	109
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द	Shri Swami Brahmanandji	109-10
श्री दशरथ देव	Shri Dashrath Deb . .	110
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	110-11
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	111-12
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy .	112-13
श्री इश्हाक संभली	Shri Ishaque Sambhali .	117
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	113
श्री टुना उरांव	Shri Tuna Oraon .	113-14
श्री के० प्रधानी	Shri K. Pradhani .	114
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	114
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip . .	115
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	115

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 1 अप्रैल, 1976/12 चैत्र, 1898 (शक)

Thursday, April 1, 1976/Chaitra 12, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITURY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री वी० एस० शिवप्रकाशम के निधन के बारे में, जिनकी 61 वर्ष की आयु में 28 मार्च, 1976 को तमिलनाडु के तंजावूर जिले के मन्नारगुडी स्थान पर मृत्यु हो गई थी, सूचित करना है।

श्री शिवप्रकाशम 1950-52 के दौरान अस्थायी संसद के सदस्य थे। उन्होंने मदुरै जिले में शोषित वर्ग के कल्याणार्थ कार्य किया और अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

हमें इस मित्र के खोने का बेहद दुःख है और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को सांत्वना देने में सभा मेरे साथ है।

सभा अपना दुःख प्रकट करने के लिए थोड़ी देरे के लिए मौन खड़ी हो।

(तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े हुए)

(The Members then stood in silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चाय बागानों में महिला श्रमिकों के कार्य भार में वृद्धि

*342. **श्री सधर मुकर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समान वेतन अधिनियम, 1976 के पारित होने के बाद चाय बागानों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल और आसाम में, महिला श्रमिकों के कार्य भार में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

असम, पश्चिम बंगाल आदि की राज्य सरकारों ने निम्नानुसार सूचित किया है :—

असम : "चाय में महिला श्रमिकों के कार्यभार में कोई वृद्धि नहीं हुई। कम से कम अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।"

बिहार : "इस राज्य में समान वेतन विधेयक, 1976 के पारित होने के बाद महिला श्रमिकों के कार्यभार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तदनुसार, कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।"

हिमाचल प्रदेश : "इस समय बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 13 चाय-बागान आते हैं। समान वेतन अध्यादेश के उपबंधों को उपर्युक्त चाय सम्पदायों में लागू कर दिया गया है। महिला कर्मचारियों की मजदूरियों में असमानता को समाप्त कर दिया गया है और वे अक्तूबर, 1975 से समान मजदूरियां प्राप्त कर रही हैं। विधान के पारित होने के बाद महिला श्रमिकों के कार्यभार में वृद्धि होने की कोई सूचना नहीं मिली है।"

तमिलनाडु : "समान वेतन अध्यादेश, 1975 जिसके स्थान पर एक अधिनियम प्रतिस्थापित कर दिया गया है, के कार्यान्वयन के फलस्वरूप चाय बागानों में कार्य कर रही महिलाओं के कार्यभार में वृद्धि होने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

त्रिपुरा : "समान वेतन अध्यादेश तथा केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना जिसके अनुसार बागानों में इसे 15 अक्तूबर, 1975 से लाग करना है, का अनुसरण करते हुए बागानों में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान मजदूरियां देने के लिए बागानों को निर्देश दिए गए थे। महिला श्रमिकों को कम दर पर भुगतान किया जा रहा था और उनका कार्यभार पुरुषों की अपेक्षा पर्याप्त कम था। यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उनकी मजदूरियां पुरुषों के समान कर देने पर, क्या महिला श्रमिकों का कार्यभार भी पुरुषों के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड तक बढ़ा देना चाहिए। नियोजको और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी और उन्हे निर्देश दिए गए कि वे प्रश्न को व्यापक रूप से जांच करें तथा कोई तरीका ढूंढा जाय। क्योंकि सभी स्तरों पर विचारविमर्श करना है अतः इसमें कुछ समय लगेगा।"

पश्चिम बंगाल : "(क) पश्चिम बंगाल में किसी विशिष्ट चाय बागान में समान वेतन अध्यादेश के पारित होने के बाद महिला श्रमिकों के कार्यभार में वृद्धि संबंधी काई विशिष्ट शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।"

2— तथापि, श्रम मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विधान के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव रखता है।

श्री समर मुखर्जी : विवरण में पश्चिमी बंगाल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पांच सप्ताह पूर्व मैंने उत्तर पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में चाय क्षेत्र का दौरा किया था। वहां मुझे सभी ने एक स्वर से शिकायत की थी कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद से महिला श्रमिकों का कार्य-भार बढ़ा दिया गया है। इस कारण चाय बागानों में भारी रोष व्याप्त है। अन्य चाय बागानों विशेषकर आसाम क्षेत्र से भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परन्तु मंत्री जो कह रहे हैं कि हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। क्या मंत्रीजी को श्रमिकों का कोई विज्ञापन मिला है यदि हां, तो उसमें क्या शिकायते की गई हैं। यदि नहीं, तो, क्या मंत्री जी इस तथ्य को मानेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर महिला श्रमिकों का कार्य–भार बढ़ा दिया गया है ?

यह भी शिकायत है कि पुरुष श्रमिकों का कार्य-भार भी बढ़ाया गया है। इसका आधार यह बताया जाता है कि महिला श्रमिकों का कार्य बहुत कम है। अत : अगर उन्हे समान वेतन लेना है तो उन्हे अधिक कार्य करना होगा। मंत्री जी इस विषय पर प्रकाश डालें। यदि कोई शिकायत नहीं मिली है तो क्या वह इस मामले की जांच करेंगे और कार्मिक संघों से कहेंगे कि यदि कोई शिकायत हो तो उन्हें भेजी जाये।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस विषय में राज्य सरकारो से प्राप्त उत्तर मैंने विवरण में दे दिये हैं। सदस्य महोदय ने पूछा है कि क्या मुझे कोई शिकायत मिली है तो उसका उत्तर यह है कि 'आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन, कलकत्ता ने 19 दिसम्बर 1975 को कहा था कि अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने पर भी किसी भी चाय बागान में महिला श्रमिकों को समान वेतन नहीं दिया जाता। इसी प्रकार नीलमलाई प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन कुनूर के 2 जनवरी, 1976 के पत्र में यह लिखा गया कि :

> "बागान उदयोग में यह प्रथा चल रही है कि पुरुषों के ग्रेड 1 और महिलाओं को ग्रेड 2 में नियुक्त किया जाये। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अभी तक किसी भी महिला को ग्रेड 1 और पु ष की ग्रेड 2 में नियुक्त नहीं किया गया है। चाय के बागों में मुख्य कार्य चाय की पत्तियां तोड़ना है। पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा 50 पैसे अधिक मिलते हैं जबकि दोनों एक ही काम करते हैं। यह बात भी सर्वमान्य है कि स्त्रियां इस कार्य में अधिक दक्ष हैं और कुशल हैं। उनका उत्पादन भी अधिक होता है।

यह शिकायत है जो हमें मिली है। जब मैं कलकत्ता में था तो मैंने श्रम मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें तथा संबंधित पक्षों से मिल कर यह देखें कि समान वेतन अधिनियम को किस प्रकार लागू किया जा सकता है ? राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ वार्ता करके इस अधिनियम को लागू करने का मेरा प्रस्ताव है ताकि पता चले कि कैसे उसे लागू किया जा सकता है।

श्री समर मुखर्जी : महिला श्रमिकों की इस लिए छंटनी की जा रही है कि वे पुरुष श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं करती यद्यपि उन्हें उतनी ही मजदूरी मिलती है। क्या आप को इस की जानकारी है और क्या आप महिला श्रमिकों की छंटनी रोकने के लिए कोई उपाय करेंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मुझे कई जगह यह बात कही गई है। मैंने पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री के ध्यान में यह बात ला दी है। लेकिन अब विधि बन जाने से चाय बागानों के श्रमिक भी उसके अन्तर्गत आते हैं इसलिए स्थिति में परिवर्तन हो गया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उससे पता चलता है कि सभी राज्य सरकारें आत्मतुष्ट और आलसी हैं। उनका कहना केवल यही है कि कोई शिकायत नहीं मिली। मुझे पता है कि जलपाइगुड़ी में प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन की समन्वय समिति ने बागानों में भेदभाव बरते जाने और अपनी इच्छा से कार्यभार बढ़ाये जाने के विरोध में एक प्रस्ताव पास कर के राज्य सरकार को भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम को किस प्रकार लागू किया जायेगा और कितनी राज्य सरकारों ने सांविधिक अपेक्षा को पूरा करते हुए परामर्शदात्री समितियां नियुक्त की हैं क्योंकि यह बात सत्य है कि राज्य स्तर पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा रोजगार, छंटनी आदि की समस्याओं से अच्छी तरह निपटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के उपबंध के अनुसार क्या राज्य सरकारों ने समान वेतन अधिनियम के परिचालन से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किये हैं। विभिन्न उपबंधों को लागू कराने के बाद ही हम इन मामलों को ओर ध्यान दे पायेंगे और उन्हे शीघ्र लागू किया जा सकेगा और हर बार संसद में ऐसे प्रश्न करने की जरूरत न होगी क्योंकि इस कारण काफी विलम्ब होता है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जनवरी में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तो कई श्रम मंत्रियों ने कहा कि परामर्शदात्री समितियों की व्यवस्था करने और विशेष अधिकारी नियुक्त करने के लिए उन्हे 3 मास की अवधि की जरूरत है। हालांकि अध्यादेश 26-9-75 को जारी किया गया था और बाद में उसे संसद द्वारा पास भी कर दिया गया है तथापि मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस विषय में मैं स्वयं राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करूंगा और परामर्श-दात्री समितियों और विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य त्वरित गति से करने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यदि कोई अधिकारी नियुक्त होगा तो वह 24 घंटे में कार्य कर सकेगा।

श्री रघुनाथ रेड्डी : कानून में इन दोनों की नियुक्ति की व्यवस्था है। इस कार्य में शीघ्रता लाने के लिए मैं स्वयं संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क करूंगा।

श्री बी०के० दासचौधरी : यह संतोष की बात है कि मंत्रीजी ने सभा को यह आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर श्रम मंत्रियों से परामर्श करके परामर्शदात्री समितियों और विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के कार्य में शीघ्रता करेंगे।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह केवल चाय बागान उद्योग में कार्य भार के बंटवारे का प्रश्न नहीं वरन कुछ क्षेत्रों में श्रमिको को काफी कम वेतन देने का भी मामला है। उदाहरण के लिए दार्जीलिंग में सभी श्रमिकों को अन्य क्षेत्र की श्रमिकों की अपेक्षा 42 पैसे कम जाते हैं हालांकि दार्जीलिंग चाय की कीमत विश्व में सबसे अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। आप अन्य बातों में न जायें। प्रश्न महिला श्रमिकों के कार्य-भार के बारे में है।

श्री बी० के० दासचौधरी : दार्जीलिंग चाय बागानों में महिला या पुरुष सभी श्रमिकों को 42 पैसे कम दिये जाते हैं। वहां श्रम मंत्री बागान श्रमिकों के लिए सुविधाओं का समन्वय कैसे करेंगे जबकि कोई सुविधा दी ही नहीं जाती ? केन्द्र अथवा राज्य में श्रम मंत्रालय के पास कौन सी मशीनरी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। अगला प्रश्न, श्री सोमनाथ चटर्जी।

नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी में वृद्धि

*343. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या देश में रोज़गार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या दिसम्बर, 1975 के अंत में 90 लाख से अधिक हो गई थी;

(ख) इस कुल संख्या में रोज़गार ढूंढने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ग) नगरीय क्षेत्रों में रोज़गार ढूंढने वाच व्यक्तियों की संख्या में इतनी वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) नगरों में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क), (ख), (ग) और (घ). विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 31-12-1975 को चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यतः बेरोज़गार नहीं हैं) की संख्या 93.26 लाख थी, जिनमें से 47.84 लाख *शिक्षित (मैट्रिक उतीर्ण और उससे अधिक) थे।

(ग) रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) विकास योजनाओं द्वारा सृजित रोज़गार अवसरों की तुलना में श्रम शक्ति का तेज़ी से बढ़ना;

(ii) आर्थिक विकास की दर में कमी जिसने अर्थ व्यवस्था की अवशोषी क्षमता को प्रभावित किया;

(iii) पिछले कुछ वर्षों के दौरान शैक्षिक संस्थाओं से अधिक संख्या में शिक्षितों का बाहर आना।

*अनन्तिम

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मुख्य सिंचाई प्रणालियों का कमान क्षेत्र विकास, लघु और मध्यम उद्योगों, समाज सेवाओं, व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य अनुषंगी एवं संबद्धकार्यकलापों में योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके बेरोज़गारों के लिए पर्याप्त रोज़गार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे । बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित युवकों के लिए, जिनमें ग्रेज्युएट इंजीनियर और डिप्लोमाधारी शामिल हैं, रोज़गार अवसरों में वृद्धि करने के अनेक उपायों में से एक उपाय शिक्षु योजना को प्रभावपूर्ण रूप से कार्यान्वित करना है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विवरण को देखने से लगता है कि केवल सामान्य सी बात कहीं गई है, या तो उन्हें यथार्थ वस्तु स्थिति का पता नहीं या वे इस समस्या से निपटने में असमर्थ हैं । एक भी सुझाव नहीं दिया गया है केवल अस्पष्ट आश्वासन हैं कि इस गम्भीर समस्या को कैसे निपटाया जायेगा ।

स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमा-धारियों के लिए एक शिक्षु योजना को प्रभावपूर्ण कार्यान्वित करने की बात कही गई है ।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस योजना को लागू करने के बाद से कितने व्यक्तियों को शिक्षु के रूप में रखा गया है और क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जिन संस्थानों में उन्हें शिक्षु रखा गया है उन्हें उन्हीं संस्थानों में खपाया जायेगा या कहीं और उन्हें नियुक्त किया जायेगा । शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण देने से ही काम नहीं चलेगा ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमने कुल कितने शिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया हैं इस के आंकड़े मेरे पास नहीं है । लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस समय 1,21,000 शिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वे कितने समय तक शिक्षु रहेंगे ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : अलग-अलग व्यवसाय में अवधि अलग-अलग है । एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष तक भी प्रशिक्षण की अवधि होती है । **(व्यवधान)** आम तौर पर जिस उद्योग में प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें वहीं खपाया जाता है, लेकिन सभी के मामले में ऐसा नहीं है । समय-समय पर यह सुझाव दिये गये हैं कि मालिकों के लिए यह जरूरी कर दिया जाये कि अपने उद्योग में प्रशिक्षण पाने वालों को कुछ प्रतिशत को वे अपने यहां खपा लें । हम इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं और भविष्य में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह तो कोई उत्तर नहीं है । यह शिक्षु योजना इस लिए लागू की थी ताकि शिक्षुओं के लिए नौकरियां सुनिश्चित की जा सकें ताकि रोजगार की स्थिति अच्छी हो सके । यदि प्रशिक्षण के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो योजना क्या हुई ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : शिक्षु योजना इसलिए बनायी गई है ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त करने के अधिक योग्य बनाया जा सके। उनमें से अधिकतर को रोजगार मिल जाता है और जिनको नहीं मिलता वे अपना काम आरम्भ कर देते हैं। इसलिए आमतौर पर बहुत कम लोगों को प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी नहीं मिलती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब ऐसा लगता है कि 47.84 लाख शिक्षित बेलोजगारों में से 1 लाख से ऊपर लोगों को शिक्षु प्रशिक्षण योजना में लिया गया है लेकिन नौकरियों के बारे में कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया गया है।

मेरे प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में कुछ योजनाओं का उल्लेख किया गया है। (मैं जानबूझ कर "स्पोज़ड" शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि योजना सम्बन्धी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है) जब कभी भी यह योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी तो रोजगार के कितने अवसर बढ़ जायेंगे और कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो जायेगा और उस समय तक और कितने लोग रोजगार रजिस्टरों में पंजीकृत हो जायेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है या अध्ययन किया गया है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह बता पाना तो कठिन है कि प्रशिक्षण समाप्त करने के तुरन्त बाद कितने लोगों को रोज़गार मिल जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपने रोजगार सम्बन्धी कोई नीति बनाई है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यदि माननीय सदस्य महोदय पांच वर्षीय योजना का अध्ययन करें, तो उन्हें पता चल जायेगा।

श्री के० लकप्पा : नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। अनेक शिक्षित बेरोजगार लोग समाज विरोधी गतिविधियों में लगे हुये हैं क्योंकि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस 20 सूत्री कार्यक्रम को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि अभी केवल 1 प्रतिशत सम्बन्धी योजनाओं में स्नातक इंजीनियरों तथा डिप्लोमा होल्डरों को ही लिया गया है। परन्तु विभिन्न राज्यों में इनमें से कोई भी कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह नीति का पुनरीक्षण करने जा रहे हैं या इस व्यवस्था का पुनर्गठन किया जा रहा है ? हमें अपनी श्रम नीति में आधारभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे और प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देना पड़ेगा अन्यथा सरकार की एक ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसके अनुसार रोजगार प्राप्त करने तक उन्हें बेकारी अनुदान देने की व्यवस्था हो। जब तक रोजगार की गारंटी नहीं हो जाती तब तक नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त इस खतरे को सहन कर पाना असम्भव

है । मैं यह जानना चाहता हूं क्या इस विस्फोटक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मंत्रालय द्वारा इस सम्पूर्ण कार्यक्रम का पुर्नअभिविन्यास किया जायेगा ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह अमल करने के लिए एक सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव दिया है जिस पर वह विचार करेंगे ?

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय के विवरण में नगरीय क्षेत्रो में व्याप्त बेरोजगारी के कारणों को स्पष्ट किया गया है । यह विवरण यद्यपि सम्पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करता है परन्तु फिर भी इसमें सम्पूर्ण समस्या से सम्बद्ध खतरों का उल्लेख किया गया है । अभी केवल 25 घंटे पहले की ही बात है कि मेरे अपने ही चुनाव-क्षेत्र अहमदाबाद नगर में 19 से 25 वर्ष के तीन नौजवानों ने अहमदाबाद की कानकारिया झील में डूब कर आत्महत्या कर ली है क्योंकि वह बेरोजगार थे । यह समस्या दिन प्रति दिन गंभीर रुप धारण करती जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिल कर किन्हीं ऐसे प्रस्तावों या योजनाओं पर विचार किया जा रहा है जिनके फलस्वरूप पोलीटेक्निक्स, कालिजों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर के आने वाले विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधियां प्राप्त करने से पूर्व ही रोजगार उपलब्ध करवाये जा सकें ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : हम योग्य सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह शिक्षित बेरोजगार लोगो के हितों को सुरक्षा करे । हमारा अपना प्रयास भी यही है कि ज्योंही उनका प्रशिक्षण समाप्त हो या शिक्षा पूर्ण हो, उन्हें रोजगार प्राप्त करवा दिया जाये ।

श्री बी० वी० नायक : उत्तर के (ग) भाग के उप अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि बेरोजगारी का मूल कारण आर्थिक उन्नति की दर में गिरावट आना है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को रोजगार देने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है । मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि श्रम मंत्रालय के पास स्वयं रोजगार देने की क्षमता नहीं है क्योंकि श्रम मंत्रालय स्वयं नियोजक नहीं है परन्तु कम से कम उसकी नीति तो स्पष्ट होनी चाहिये । वर्ष 1976 में हमारे संगठित क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति की दर 5 प्रतिशत की थी जिससे लगभग 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ । मान लीजिये कि हमारी आर्थिक प्रगति की दर 5 प्रतिशत हो जाती है तो क्या आप उसके अनुसार 2 से $2\frac{1}{2}$ लाख रोजगारों की व्यवस्था कर लेंगे ? या फिर इस गलत आधार पर आप अपने नये अनुमान लगाते रहेंगे कि प्रगति का तात्पर्य है अधिक रोजगार ? यह वह स्पष्ट रूप से इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उन्हें यह आश्वासन दे देना चाहिये कि वह इस पर विचार करेंगे ।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्रीमानजी, आर्थिक प्रगति में रोजगार तो स्वत् हीं आ जाता है और यदि आर्थिक प्रगति में वृद्धि होगी तो निश्चय ही उससे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा ?

भारत में जनसंख्या में वृद्धि की दर

*345. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि-दर कितनी है; और

(ख) अन्य एशियाई देशों में उक्त वृद्धि-दर के क्रम में भारत का स्थान कौनसा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) अनुमान है कि इस समय जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि-दर लगभग दो प्रतिशत है ।

(ख) एशिया के कुछ अन्य देशों की वार्षिक वृद्धि-दरों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

एशिया के देशों में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दरें

क्रम संख्या	देश	वार्षिक वृद्धि-दर 1970–74 (प्रतिशत)
1	2	3
1.	कुवैत	5.6
2.	जोर्डन	3.5
3.	पाकिस्तान	3.3
4.	ईराक	3.3
5.	सोरियन अरब गणतंत्र	3.3
6.	इजराइल	3.2
7.	थाइलैंड	3.2
8.	ओमन	3.1
9.	संयुक्त अरब राज्य	3.1
10.	लिबनान	3.0
11.	मलेशिया	3.0
12.	फिलिपिन	3.0
13.	सऊदी अरब	3.0
14.	कतार	3.0
15.	मंगोलिया	3.0

1	2	3
16.	यमन	2.9
17.	ईरान	2.8
18.	कोरिया (जनतंत्रात्मक गणराज्य)	2.7
19.	वरुनेयी	2.5
20.	तुर्की	2.4
21.	अफगानिस्तान	2.4
22.	बंगलादेश	2.4
23.	बर्मा	2.4
24.	लाओस	2.4
25.	वियतनाम (प्रजातंत्रात्मक गणराज्य)	2.4
26.	श्रीलंका	2.3
27.	नेपाल	2.3
28.	भूटान	2.1
29.	मालदीव	2.0
30.	हांगकांग	1.8
31.	चीन	1.7
32.	कोरिया (गणतंत्र)	1.7
33.	सिंगापुर	1.7
34.	जापान	1.3

स्रोत : यू०एन०डेमोग्राफिक यीअर-बुक, 1974.

Shri Rajdeo Singh : During this month in some seminar or meeting regarding growth rate of population, a new idea was planted by the Minister that with the electrification of villages the rate of population growth will come down. So in view of this fact and statement to th question I want to know alongwith village electrification, if the transport and irrigation facilities are provided and small industries are set up, will it not help more in bring down this rate of population growth ? The Countries where the number of poverty striken people is less there is rate of population growth is also less and where there is more poverty, the rate of population growth is also more. So these facilities can be helpful in achieving the object.

Dr. Karan Singh : It is a well known fact that a down fall in the rate of population growth has been noticed in the rural areas wherein all sided development took place. It is an international phenomena and we believe that with the development of villages the rate of population growth will come down.

Shri Rajdeo Singh : The attempts of various Ministries are contradictory. Marriage Law Amendment Bill was introduced in the Parliament and it was passed also. The Marriage Law which was prevalent prior to the passing of this Bill, had a provision for a tenure of one year after a degree of divorce in a Court. But this provision has been withdrawn in the New Bill. That means thousands of New couples will be eligible for marriage in the country which will

ultimately lead to the birth of thousands of new children. So there is a contradiction among the Ministries and if one Ministry is interested to bring down the rate of population growth, the other is interested in its increase. I would like to the hon. Minister to explain this contradiction.

Dr. Karan Singh : I think the person who has gone in for divorce, possesses some knowledge about family planning.

Shri Md. Jamilurrahman : It is a well known fact that majority of Indian people lives in villages and mostly the people are poor, having no other source of recreation and entertainment as a result of which our population is increasing, day by day. I would like to know if this Ministry is having any plans to provide more recreational facilities in the villages so that people can entertain themselves otherwise and growth rate is brought down ?

Dr. Karan Singh : Actually, I meant the same thing when I referred to the electrification of villages. We are not having any definate plan for this purpose as referred by hon. Member but in this connection I have got a suggestion of my own and that is if the ancient system of wrestling is revived, that can be of good help in this regard.

डा० रानेन सेन : अब तक तो सरकार लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करती आई है और वह अपना कार्य करते रहे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा परिवार को अनिवार्य रूप से दो या तीन बच्चों तक ही सीमित रखने के बारे में पारित किये गये कानूनों को अपनी मंजूरी दे दी है और क्या वह सोचते हैं कि यदि इस प्रकार के विधेयक पारित कर दिये जायें तो उन्हें भारत जैसे 66 करोड़ लोगों की जन संख्या वाले देश में कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है ? ऐसे विधेयकों का उद्देश्य क्या होता है ? यह तो बहुत ही अव्यवहारिक सी बात लगती है ।

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैं इस सदन में अनेक अन्य अवसरों पर स्पष्ट कर चुका कि केवल मात्र स्वैच्छिक ढंग से परिवार नियोजन लागू करने से कुछ विशेष परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह एक सप्ताह या कुछ समय और धैर्य रखें। मुझे आशा है कि मैं अगले सप्ताह सदन के समक्ष एक ऐसा व्यापक विवरण प्रस्तुत करने में सफल हो जाऊंगा जिसमें इन सभी मामलों के बारे में सरकार की नीति की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की जायेगी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यह तो इन्होंने पहले भी कहा था । इसीलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या उनका ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ के उस प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है यह कहा गया है कि औरतों को रोजगार देने की औसत में वृद्धि करने से भी छोटा परिवार बनाने में सहायता मिल सकती है और अब तक जब कि वह जनसंख्या नीति की बात कर रहे हैं तो यह जानना चाहती हूं कि क्या परिवार नियोजन विभाग तथा श्रम तथा रोजगार विभाग के बीच कोई ऐसा समन्वय स्थापित किया गया है जो यह सुनिश्चित करे कि औरतों के रोजगार सुरक्षित किये जायें और रोजगार के और अवसर उनके लिए सुरक्षित किये जायें ?

डा० कर्ण सिंह : इसमें कोई संदेह नहीं कि औरतों की प्रजनन शक्ति तथा साक्षरता के बीच सीधा सम्बन्ध है । इसीलिए मुख्यत: हमारा विचार औरतों की साक्षरता तथा उनके लिए रोजगार बढाने का ही है ताकि अनुकूल लोकतांत्रिक प्रणाली बनाई जा सके ।

डा० रानेन सेन : केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में हाल ही में 47 डाक्टरों को भर्ती किया गया है परन्तु इनमें से एक भी स्त्री डाक्टर भर्ती नहीं की गई है जबकि अनेक स्त्री डाक्टरों ने इसके लिए अपने आवेदन-पत्र दिये थे ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग

*347. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित की जायेंगी तथा वे सड़कें किन-किन राज्यों में हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में किसी सड़क को शामिल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के योजना प्रावधान में 31 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना परिव्यय में हुई प्रति वर्ष हो रही इस वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये क्या कुछ अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को भी इसमें शामिल किया जायेगा ? अतिरिक्त योजना प्रावधानों में की गई वृद्धि का नये राष्ट्रीय राजमार्गों सम्बन्धी कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ?

श्री दलबीर सिंह : नये राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में इस सदन में तथा दूसरे सदन में अनेक बार यह स्पष्ट किया जा चुका है धन उपलब्ध न होने के कारण अभी उन्हें स्थगित किया जा रहा है। इस समय केवल वही कार्य पूरे किये जा रहे हैं जोकि चौथी योजना में क्रियान्वित नहीं हो पाये थे।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : इस वर्ष के योजना व्यय में भी गत वर्षों के व्यय की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। क्या इसे दृष्टिगत रखते हुये मंत्री महोदय नये अतिरिक्त राजमार्गों का मामला नहीं उठायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि नये निर्माण कार्य स्थगित कर दिये गये हैं। हम फ़िर यह स्पष्ट कर दें कि योजना प्रावधान में वृद्धि यदि 31 प्रतिशत की हो या 100 प्रतिशत की, जब तक नये कार्य स्थगित करने की शर्त खत्म नहीं कर दी जाती तब तक कोई नया निर्माण कार्य करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : किसी भी सड़क को राजमार्ग घोषित करने के लिए जिन आधारभूत तथ्यों पर विचार किया जाता है उनमें मैं समझता हूं कि सुरक्षा तथा रक्षा का अपना विशेष महत्व रहता है। संचार व्यवस्था की दृष्टि से जयपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि राजस्थान पश्चिमी सीमा 750 मील तक फ़ैली हुई है। दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाली दो सड़कें हैं। इनमें

एक को राष्ट्रीय राजपथ के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और रक्षा के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञो ने इस तथ्य की वकालत की है कि इस राजमार्ग का एक अन्य विकल्प भी होना चाहिये। अलवर से होती हुई जयपुर जाने वाली सड़क पहले ही है। अब प्रश्न तो केवल इस सड़क के रख-रखाव का ही है।

डा० जी० एस० डिल्लों : यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि यह राष्ट्रीय राजपथ होगा तो उसका रख रखाव हम करेंगे और अगर यह राज्य राजपथ हुआ तो इसका रख रखाव करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

Shri Jagannath Mishra : It is my personal information that some deicsion with regard to state highways has been taken. I want to know when you are going to start the construction work of missing lines between Darbhanga and Farreesganj regarding which decision has already been taken.

Shri Dalbir Singh : No decision has so far been taken to start any new work.

Shri Jagannath Mishra : It is not a new road but it is just a missing link.

Mr. Speaker : It has been stated time and again by the Minister that no new construction work is being taken in hand.

ऐल्युमिना का उत्पादन

*348. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐल्युमिना की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और देश में उसका उत्पादन कितना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : 1975–76 के दौरान एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिए लगभग 393,000 टन एल्यूमिना की जरूरत है। 1976–77 में 240,000 टन धातु के प्रत्याशित उत्पादन के लिए एल्यूमिना की मांग बढ कर लगभग 480,000 टन हो जाएगी।

श्री शंकर राव सावन्त : मेरे प्रश्न को नहीं समझा गया है। मैं देश के अन्दर पैदा किये गये एल्युमिना तथा एल्युमिनियम के आयात सम्बन्धी आंकड़े चाहता हूं।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : हम एल्युमिना का आयात नहीं कर रहे हैं। हम एल्युमिना का निर्यात कर रहे हैं।

श्री शंकर राव सावन्त : मैं जानना चाहता हूं कि रतनगिरि परियोजना को हर साल क्यों टाला जाता आ रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आज देश के अन्दर प्रति वर्ष 6 लाख टन एल्युमिना की क्षमता है और हमने पांचवी पच वर्षीय योजना के दौरान भी प्रति वर्ष 1,50 लाख टन की नई क्षमता पैदा करने के लिए व्यवस्था की है। शताब्दी के अन्त तक देश में एल्युमिना तथा एल्युमिनियम आवश्यक के उत्पादन तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने योजना बनायी है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि हमारा देश अब एल्युमिनियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और यदि वित्तीय स्थिति ठीक हो तो हम रतनगिरि परियोजना के काम को भी शुरू कर लेंगे ।

डा० महिपत राय मेहता : मंत्री महोदय ने कहा है कि एल्युमिन का उत्पादन करने की योजना बनायी जा रही है । गुजरात में बहुत मात्रा में बोकसाईट के निक्षेप हैं जिसकी अब तक खोज नहीं की गई है और वहां एक एल्युमिना संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । मैं जानना चाहता हूं कि संयंत्र सम्बन्धी प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : बोकसाईट निक्षेपों का देश के हर भाग में पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं । माननीय सादस्य ने देश के एक विशेष भाग का जिक्र किया है। इसका मूल्यांकन किया गया है । प्रश्न यह है कि इसका उपयोग कब किया जायेगा । जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं । यह सब संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

डा० महिपत राय मेहता : वहां के लिए एक एल्युमिना संयंत्र की योजना थी ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है कि वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने पर इसे लिया जायेगा ।

श्री बकारिया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात खनिज विकास निगम ने अपने साधनों द्वारा एल्युमिना का उत्पादन करने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा है जिसमें निगम के निर्यात की जिम्मेदारी भी ली है । यदि हां, तो क्या यह विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : भेजे गये सभी आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ।

स्वीडन के विदेश मंत्री का दौरा

*350. **मौलाना : इसहाक सम्भली :**

श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के विदेश मंत्री हाल ही में भारत का दौरा किया था और विदेश मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से बात-चीत की थी ; और

(ख) उनके साथ कौन से करार किये गये ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वीडन के विदेश मंत्री की हमारे साथ भारत-स्वीदन सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं तथा परस्पर हित के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विस्तृत एवं व्यापक बातचीत हुई । इस समय कोई विशिष्ट समझौता तो संपन्न नहीं हुआ लेकिन 1972 में परस्पर दोनों देशों के बीच आर्थिक, औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग स्थापित हुआ था उसकी बैठक इस वर्ष बाद में होने की सम्भावना है, जिस में दिवपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने की संभावनाओं पर चिार विमर्श होगा ।

Shri Shiv Kumar Shastri : The hon. Minister has stated that no agreement has been entered into, but the meeting of the Indo-Swedish Joint Commission which was set up in 1972 is likely to be held in the near future. I want to know whether any meeting of Indo-Swedish Joint Commission was held after its constitution, if so, the result thereof.

श्री विपिनपाल सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि संयुक्त आयोग की बैठक इस वर्ष पतझड़ ऋतु में हो रही है। अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

श्री विश्वनाथ राय : स्वीडन तथा भारत के मंत्रियों की वार्ता को ध्यान में रखते हुये, क्या दोनो देशों के बीच व्यापार में वृद्धि के लिये कोई अवसर हैं ?

श्री विपिनपाल सिंह : जी हां। संयुक्त आयोग की बैठक में इस मामले पर भी विचार होगा।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में उत्पादन

*353. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड में उत्पादन अधिक हुआ है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितना उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) व (ख) : जी, हां। इस वर्ष हिन्दुस्तान कॉपर लि० का उत्पादन अधिक रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1975–76 के लिए उत्पादन आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(इकाई : टन)

क्रम संख्या	वर्ष	तांबा अयस्क	ब्लिस्टर तांबा	तार छड़
1.	1972–73 . . .	9,19,904	12,596	8,385
2.	1973–74 . . .	11,82,939	12,899	8,515
3.	1974–75 . . .	15,42,997	15,801	8,530
4.	1975–76 . . . (20–3–76 तक)	19,19,949	22,409	12,437
5.	1975–76 . . . (पूरे वर्ष के लिए अनुमानित)	19,70,000	23,400	12,700
6.	क्रम संख्या 5 की मद में 3 की मद पर प्रतिशत वृद्धि . .	28%	48%	49%

श्री जगन्नाथ मिश्र : मंत्री महोदय ने सचमुच वक्तव्य में पूरा ब्यौरा दिया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या खेतड़ी तांबा कारखाने में तार छड़ो का उत्पादन नहीं हुआ है। यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री महोदय को वक्तव्य से पता चलेगा कि इस वर्ष तार छड़ों का उत्पादन गत वर्ष से 49 प्रतिशत अधिक हुआ है। खेतड़ी संयंत्र के सामने कुछ कठिनाइयां आ गयीं थीं जिनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : भारतीय कोपर कम्पलेक्स में चांदी धातु का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक भिन्न प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिये मुझे समय चाहिये।

Shri R. S. Pandey : What is the progress about the exploration of copper mines near Malajkhand in District Balaghat.

Mr. Speaker : This is a separate issue. The hon. member may ask a separate question for this.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अंशदान के भुगतान की प्रक्रिया

*354. श्री **नरेन्द्र** कुमार **सांधी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के लाभार्थ कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अंशदान के भुगतान के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के पहलू पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेडी) : (क) और (ख) : कर्मचारी राज्य बीमा योजना पुनरीक्षण समिति, 1966 के अंशदानों के एकत्रीकरण सम्बन्धी पद्धति की जांच की थी और सिफारिश की कि अंशदान सम्बन्धी टिकटों द्वारा अंशदान के एकत्रीकरण की वर्तमान पद्धति को नहीं छोड़ना चाहिए। तथापि, और आसान पद्धति की खोज जारी रहनी चाहिए और निगम के संगठन और पद्धति प्रभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। तदनुसार, पता चला है कि निगम ने दिल्ली में परख के आधार पर नियोजकों द्वारा अंशदान कार्डों पर अंशदानों सम्बन्धी टिकट लगाने की आवश्यकता के बदले में अंशदानों का नकद भुगतान करने की एक वैकल्पिक पद्धति आरंभ की है। यदि यह नयी पद्धति सफल हो जाती है तो अन्य क्षेत्रों पर भी विस्तारित कर दी जाएगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मंत्री महोदय ने हमारा ध्यान 1966 में स्थापित पुनरीक्षण समीति की सिफारिशों की ओर दिलाया है। 1966 के बाद परिस्थितियां बहुत बदल गयी है। आपातकालीन स्थिति के दौरान मंत्रालय ने प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने के लिये क्या कुछ किया है। मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने इन प्रक्रियाओं और प्रणालियों के कार्यकरण को स्वयं नहीं देखा है। क्या सरकार ने ब्रिटेन सरीखे देश में प्रचलित प्रणालियो के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की है और क्या वर्तमान पेचिदा और समय लेने वाली प्रणाली में सुधार करने के लिये कुछ किया जा रहा है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कार्य को शीघ्र निपटाने के लिये ये कदम उठाये हैं :—अधिनियम का संशोधन 1966 में किया गया और इसे 1967-68 में लागू किया गया

इससे अंशदान के दर की गणना कार्य को इस व्यवस्था द्वारा कम पेचिदा बनाया गया कि पहली मजूरी अवधि समची 6 महीनें की अंशदान अवधि पर लागू होगी। दूसरे, जुलाई, 1973 में अध्याय V क को समाप्त करने से नियोक्ताओं के विशेष अंशदान को समाप्त किया गया है और नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान के लिये एक ही स्वीकृत टिकट लगेगी। तीसरे, हमने नियोक्ताओं द्वारा फ्रेंकिंग मशीनों के उपयोग क बारे म उदारता से काम लिया है ताकि टिकट प्रणाली के उपयोग में कमी हो और क, ख, ग के तीन सेटों की व्यवस्था करने से हर तीसरे महीने नियोक्ता, स्थानीय कार्यालय चिकित्सा अधिकारियों को समान कार्य सौंपने में सुविधा होती है। इससे योजना के अधीन उन कर्मचारियों को लाने में भी सुविधा मिलती है जो मध्यवर्ती अवधि में बीमा योग्य रोजगार के अन्तर्गत आते हैं और इस प्रकार के कर्मचारियों को कम से कम अवधि के दौरान पूरे लाभ मिलेंगे। मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं कि दिल्ली में एक अग्रगामी योजना लागू की गयी है और यदि यह ठीक चलती है तो इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मेरे विचार में अग्रगामी नियोजना चलनेव ाली नहीं है। सारी समस्या तो यह है कि क्या आप स्लेब प्रणाली को प्रतिशत प्रणाली में बदलने जा रहे हैं। यदि आप ऐसा करें तो सारी प्रणाली सुचारु हो जाएगी और सब के लिये काम कम हो जायेगा। क्या आप इस मामले में तेजी से काम करने पर विचार कर रहे हैं? क्या आप कार्य का सरलीकरण करने के लिये एक समिति गठन कर रहे हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : काम में तेजी लाने सम्बन्धी किसी भी सुझाव का हम विरोध नहीं करते। मैं इस मामले में माननीय सदस्य से विचार विमर्श कर सकता हूं।

श्री राजा कुलकर्णी : चूंकि चिकित्सा लाभ अंशदान की अवधि से सम्बन्धीत हैं, इसलिये स्त्रोत पर कटौती करने तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा करने में लगे समय से उनके हितों पर प्रभाव पड़ता है। इनमें कितना समय लगता है चूंकि यह अवधि उनके लाभ की अधि में रखे जायेगा, तो क्या कर्मचारियों को हानि नही होगी।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इसी कारण हमने एक ऐसा सरल उपाय अपनाया है जिस में पैसा औसत आधार पर एकत्र किया जाता है। विलम्ब की अवधि में भी कामो होगो।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जब कि सरकार कई ढंग जिनमें दिल्ली की कुछ अग्रगी योजनायें भी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न कम्पनियों द्वारा देय राशि प्रति वर्ष बढ़ रही है? क्या वसूली की प्रक्रिया सरल बनाते समय इस बारे में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है ताकि नियोजको की भूल के कारण अंश देने वाले कर्मचारियों को हानि न हो।

श्री रघुनाथ रेड्डी : अधनियम में परिवर्तन किया गया हैं तथा दंड की व्यवस्थाएं चालू की गई हैं। हमने बढ़ा दी है। उचित कार्यवाही की जा रही है। बेशक कुछ रुग्न मिलों को अधिकार में लिया गया है तो भी उन्हें देना पड़ेगा। इन कुछ समस्याओं पर विचार हो रहा है।

विभागेतर कर्मचारी

*355. **श्री वयालार रवि :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विभागेतर कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : विभागेतर कर्मचारियों को नियमित सेवा में बड़े पैमाने पर खपाने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अलबत्ता, यदि विभागेतर कर्मचारी कुछ शर्तें पूरी करते हों, तो उन्हें नियमित कर्मचारियों के तौर पर खपाने के लिए कुछ तरजीह दी जाती है।

श्री वयालार रवि : जहां तक संचार मंत्रालय के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का संबंध है, इनकी संख्या लगभग तीन लाख है। यह संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 50 प्रतिशत है। मुझे मालूम हुआ है कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 80 रुपये मासिक तथा अधिकतम वेतन 110 रुपये मासिक मिलता है जिसकी सीमा 150 रुपये तक जाती है। मैं यह भी बता दूं कि ये कर्मचारी प्रतिदिन 8 घण्टे से अधिक काम करते हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि मदन किशोर समिति का प्रतिवेदन वर्ष 1971 में पेश हुआ था हालांकि वह कर्मचारियों के पक्ष में नहीं जाती है। क्या मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन पर विचार करते समय इन कर्मचारियों के कार्य-घण्टों को ध्यान में रखा है। ये कर्मचारी बहुत ही बुरी दशा में रह रहे हैं। क्या मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन की सिफ़ारिशों पर विचार करते समय कर्मचारियों के किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर दूं ये कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं माननीय सदस्य ने आरंभ में ही कहा है कि ये अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं।

श्री वयालार रवि : परन्तु आप उनका शोषण कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह तो एक भिन्न प्रश्न है कि हम उनका शोषण कर रहे हैं न कि वे हमारा शोषण कर रहे हैं। दूसरे, माननीय सदस्य ने उन की संख्या 3 लाख बताई है। यह सही नहीं है। उनकी संख्या दो लाख है। तीसरे, माननीय सदस्य ने कहा कि कर्मचारी लगभग 8 घण्टे रोज काम करते हैं। यह तथ्य नहीं है। वे तो प्रतिदिन केवल तीन या चार घण्टे काम रकते हैं।

श्री वयालार रवि : जी नहीं, मैं यह सिद्ध कर सकता हूं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उनका अधिकतम वेतन भी 155 रुपये मासिक है। सरकार ने मदन किशोर समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और उसकी सिफ़ारिश नुसार इन कर्मचारियों को बहुत सी सुविधायें दी जा रही हैं।

श्री वयालार रवि : मैं मंत्री महोदय को बता सकता हूं कि वे लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और इन्सपैक्टरों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। उन्हें इन्स्पैक्टरों के सब घरेलू काम करने पड़ते हैं। उनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। इसके अतिरिक्त, मदन किशोर समिति ने उनके लिये उपदान की सिफारिश की है। यह उन्हें नहीं दिया गया है। हाल ही में केवल 20 रुपये की वृद्धि की गई है और अब यह वेतन 150 रुपये हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन मुश्किल दिनों में कोई व्यक्ति 150 रूपये मासिक में गुज़ारा कर सकता है। उन्हें नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन-मान देने में आपके सामने क्या रुकावट आती है ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : न्यूनतम वेतन-मान देने में क्या रूकावट आती है यह तो एक अलग प्रश्न है क्योंकि यह मामला तो पैसे से संबंधित है। दूसरे, माननीय सदस्य यह बात भूल गये कि ये कर्मचारी अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं। इनके लिये पहली और सब से बड़ी शर्त यह है कि उन्हें कहीं और भी रोजगार प्राप्त होना चाहिए, केवल तभी उन्हें अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी नियुक्त किया जा सकता है। यह शर्तें तो विशेष रूप से लागू हैं। यह आवश्यक है कि वे रोज़गार रत हों तथा उनकी आय का कोई साधन होना चाहिए। यह पहली शर्त है। यदि उनकी आय का कोई अन्य साधन नहीं होगा तो उन्हें यहां नियुक्त नहीं किया जायेगा। परन्तु वे यह झूठ बोल कर स्वयं को रजिस्टर करा रहे हैं कि उनके पास अन्य कोई काम है। पहले वे यहां काम पर लग जाते हैं और फ़िर बाद में अधिक वेतन मांगते हैं। जहां तक समय की बात है, उनके कार्यस्थल कोई नियमित डाकघर अथवा शाखा डाकघर नहीं हैं जहां पांच घण्टे से अधिक काम होता है। यदि उनके पास पांच घण्टे से अधिक समय का काम है तो हम वहां एक नियमित उप डाकघर खोल देते हैं जहां एक नियमित पोस्टमास्टर और एक चपरासी होगा।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether the Government are giving those facilities which have been recommended for the Extra Departmental Employees by Madan Kishore Committee and also whether preference is being given to these employees while opening new such post offices ?

Dr. Shankar Dayal Sharma : Some concessions like the age limit of 40 years, and relaxation in educational standards have been given to them for the competition but in other matters they will have to compete others.

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : इस बात को देखते हुए कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है और मंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों में नये उप-डाकघर खोलने का अभियान चलाया है। तो क्या वह इन अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया में सुधार करेंगे अर्थात उनकी सेवाओं को नियमित बनाने पर विचार करेंगे ? आजकल नियम यह है कि उन्हें डाकिये के पद पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वे तीन वर्ष तक सेवा कर चुके हो। इस तथ्य की दृष्टि से कि बहुत से मैट्रिकुलेट तथा अन्य अर्हता प्राप्त व्यक्ति ई. डी. बो. ओ. तथा ई. डी. एस. ओ. के रुप में काम कर रहे हैं, क्या मंत्री महोदय के लिये सभा में यह आश्वासन देना संभव होगा कि ऐसे लोगों में से जो मैट्रिकुलेट हों उन्हें सेवा की उपरोक्त अवधि के मामले में कुछ छूट दी जायेगी और उन्हें उनकी अर्हता और अनुभव के आधार पर क्लर्क अथवा अन्य उच्च पद पर नियुक्त किया जायेगा ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : हम प्राय: अधिक शाखा डाकघर खोल रहे है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते है जब पोस्टमैन के पद खाली होते हैं तो एक साधारण परीक्षा लेने के बाद उन्हें उन पदों पर नियुक्त कर लिया जाता है। जहां तक पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर तथा ब्रांच पोस्ट मास्टर का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा, शर्त यह है कि उनकी आमदनी के अन्य स्त्रोत भी होने चाहियें। अत: हम उनसे इस की अपेक्षा नहीं करते। परन्तु यदि वे चाहे तो उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाती है और उन्हें परीक्षा में तो बैठना ही पड़ता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की कार्य-शर्तें वर्तमान मंत्रियों की कार्य-शर्तों से भी बुरी हैं। क्या यह सच है कि जबकि डाक व तार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सात किस्तें मिली हैं अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियो को कोई महगाई भत्ता नहीं दिया गया है हालांकि वायदे तो संयुक्त सलाहकार लवाया की बैठक तथा उससे बाहर भी किये गये थे ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : महंगाई भत्ते की अदायगी उनकी सेवा-शर्तों में शामिल नहीं है। वेतन और भत्तों का प्रश्न ही नहीं है। हर दो वर्ष बाद हम उसकी समीक्षा करते हैं। हाल ही में उन्हें वेतन-वृद्धि दी गई है। वे किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें कितनी वृद्धि दी गई है ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : मुख्य बात तो यह है कि वे नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। वे अंशकालिक कर्मचारी है। मूलभूत शर्त यह है कि उनके पास आमदनी का अन्य स्त्रोत होना चाहिये।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खानों में लौह अयस्क का उत्पादन

*356. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खानों में गत तीन वर्षों में लौह अयस्क का प्रति वर्ष कुल कितने टन उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या इस अवधि में इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क की सप्लाई नहीं रही ; और

(ग) यदि हां, तो लौह अयस्क के उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खानों में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(लाख टन)

खान	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76 फरवरी 1976 तक
1. बैलाडिला की खानें (निक्षेप संख्या 14)	37.36	43.33	38.66	44.36
2. किरिबुल की खानें	5 31	6.98	11.82	14.84

(ख) जी, नहीं। इस अवधि में इस्पात कारखानों को लौह अयस्क की सप्लाई पर्याप्त रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अर्जुन सेठी : (ख) भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क की पर्याप्त सप्लाई हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि भिलाई दुर्गापुर, राउरकेला तथा बोकारो सरकारी इस्पात संयंत्रों, जिनका जिक्र मैंने मुख्य प्रश्न में किया है, को गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क सप्लाई करने का मूल कार्यक्रम क्या था और इस अवधि में उन्हे वस्तुत: कितना लौह अयस्क प्राप्त हुआ ?

इस्पात और खान मंत्री श्री चन्द्रजीत यादव : प्रश्न यह था कि क्या इस्पात संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क मिल रहा है अथवा नहीं। हमने यह कहा है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क की सप्लाई हो रही है और उन्हें कोई भी कठिनाई नहीं है। बल्कि हमारे सामने तो अधिक उत्पादन की समस्या है। हम सभी राज्यों की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं।

अन्तरिक्ष में घूम रहे अंतरिक्ष यानों को सूक्ष्म तरंग सिगनल से पारेषण

*357. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तरिक्ष में घूम रहे अन्तरिक्ष यानों को सूक्ष्म तरंग सिगनल पारेषित करने के लिये देश में एक पद्धति का विकास किया गया है और इस सम्बन्ध में उपकरण देहरादून में स्थापित किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : अन्तरिक्ष-यान को कक्षा में सूक्ष्म-तरंग सिगनल पारेषित करने के लिए कई साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ को अब देश में ही तैयार किया जा सकता है और इन्हें तैयार कर अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार परियात के निपटान के लिए देहरादून उपग्रह भूमि केन्द्र में लगाया जा रहा है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तरिक्ष यान को कितनी ऊंचाई पर सूक्ष्म तरंग संकेत पारेषित किये जायेंगे ? किस तारीख तक उपग्रह काम करना शुरू कर देगा और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कुल लागत लगभग 10 करोड़ रुपये होगी और यह वर्ष 1976 के मध्य तक काम करना आरंभ कर देगा।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या इस उपग्रह से सोवियत संघ के साथ सीधी दूर-संचार व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। हमारे इंजीनियरों द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी को देखते हुए, पांचवीं योजना के अन्त तक कितने अन्तरिक्ष यान कार्यरत हो जाने की आशा है और उन पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : सोवियत संघ के साथ उपग्रह द्वारा हमारा कोई सम्पर्क नहीं है। इस सम्पर्क के लिये हम टोपोस्केटर स्थापित करने जा रहे हैं जिस पर लगभग 4 करोड़ पये खर्च होंगे। जहां तक अन्तरिक्ष यानों का प्रश्न है उनका संबंध मेरे विभाग से नहीं हैं। मेरे संबंध तो उपग्रह द्वारा दूर-संचार से है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

*358. **श्री रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) : मोटे तौर पर प्रस्ताव इस प्रकार है :—

(1) भिलाई इस्पात कारखाने, राउरकेला इस्पात कारखाने (राउरकेला का उर्वरक कारखाना भी शामिल है) और दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने की तीन अलग और स्वतन्त्र कम्पनियां बना दी जाएंगी जिनका अपना-अपना प्रबन्ध मण्डल होगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी एक अलग कम्पनी होगी और उसका भी अपना प्रबन्ध मण्डल होगा परन्तु यह कम्पनी बची हुई हिन्दुस्तान स्टील लि० के रूप में चलती रहेगी। ये सभी कम्पनियां स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के पूर्ण स्वामित्व में इसकी सहायक कम्पनियां होंगी।

(2) दुगदा, भोजूडीह और पाथरडीह की कोयला शोधन शालाएं भारत कोकिंग कोल लि० को आन्तरित कर दी जाएंगी।

श्री रानेन सेन : इस विकेन्द्रीयकरण से कारखानों को अधिक शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि रांची तथा कलकत्ता स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यालय का क्या होगा ? रांची तथा कलकत्ता स्थित कर्मचारियों को कहां-कहां स्थान दिये जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव): राची स्थित कर्मचारी, भवन तथा अन्य अस्तियां मैकोन को हस्तान्तरित कर दी जायेंगी और कलकत्ता का कार्यालय भी स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अधीन आ जायेगा। अब यह तय हुआ है कि सभी कर्मचारियों को खपा लिया जायेगा और उन्हें यह छूट होगी कि वे मैकोन में जाना चाहेंगे या अन्य संगठन में जिसके अधीन उन्हें कार्य करना है। इसलिये इन सब बातों का खयाल रखा गया है। किसी भी कर्मचारी को और आगे कोई कठिनाई नहीं होगी उन्हें अपनी मर्जी का स्थान चुनने की छूट होगी जिसके अधीन यह संगठन कार्य करेगा।

श्री रानेन सेन : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गापुर एकक तथा अन्य एककों में कुछ थोड़ा सा अन्तर रखा गया है। ऐसा भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : वास्तविक रूप से तो कोई अन्तर नहीं है क्योंकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कम्पनी तो पहले से ही खेद्यमान है और अन्य संयंत्रों के लिये अलग अलग कम्पनियां होगी इसलिये, दुर्गापुर संयंत्र तो उसी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड नाम से काम करता रहेगा ; यह शेष बचा हुआ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड होगा और इस तरह कोई अन्तर नहीं होगा। दुर्गापुर का भी अलग से एक प्रबंध बोर्ड होगा और इसकी एक अलग कम्पनी होगी तथा मुख्यालय होगा। इसलिये प्रभावी रूप से तो वस्तुतः कोई भेद नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कुद्रेमुख अयस्क परियोजना

*341. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख अयस्क परियोजना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के कार्य में अब तक हुई प्रगति नीचे दी गई विवरण में है :--

(1) कुद्रेमुख से उत्पादित 15 करोड़ टन लौह अयस्क सांद्रण की बिक्री और खरीद के बारे में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० और नेशनल स्टील ईरानियन इन्डस्ट्रीज कम्पनी लि० आफ ईरान के बीच 4 नवम्बर, 1975 को तेहरान में एक बिक्री करार (सेल/कन्ट्रेक्ट) पर हस्ताक्षर हुए थे। इस प्रायोजना के लिए धन की व्यवस्था के बारे में ईरान द्वारा 63 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण देने के बारे में भी उसी तारीख को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० और ईरान की इम्पीरियल सरकार के बीच एक वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उपर्युक्त वित्तीय समझौते में की गई व्यवस्था के अनुसार पेशगी भुगतान के रूप में 10 करोड़ अमरीकी डालर की धनराशि 24 फरवरी, 1976 को प्राप्त हो गई थी।

(2) इस प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिए अप्रैल, 1976 के आरम्भ में सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक नई कम्पनी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

(3) जिन अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों से माइनिंग एसोसिएट तथा/अथवा इंजीनियर कन्ट्रेक्टर की सेवाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनके साथ बातचीत का पहला दौरा पूरा हो गया है। आशा है कि उनके साथ हुई बातचीत के आधार पर उनसे संशोधित प्रस्ताव अप्रैल के मध्य तक प्राप्त हो जाएंगे।

(4) कच्चे माल के परीक्षणों तथा प्रक्रिया प्राचलों (प्रोसेस पेरामीटर्स) की पुष्टि के लिए कुद्रमख परियोजना स्थल पर लगाये गये प्रायोगिक संयंत्र में लगातार परीक्षण किये जा रहे हैं।

(5) कालसा से मलेश्वर को मिलाती हुई प्रायोजना स्थल तक एक अस्थायी सड़क में सुधार किया जा रहा है आशा है यह कार्य जून, 1976 से पहले पूरा हो जाएगा जिससे आगामी वर्षा ऋतु में परियोजना स्थल तक आना जाना हो सकेगा।

(6) पादूबिदरी और मलेश्वर के बीच एक स्थायी सड़क बनाने के लिए प्राम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है। आशा है यह कार्य सन् 1978 के शुरु में पूरा हो जाएगा।

(7) कर्नाटक विद्युत बोर्ड के साथ बिजली की सप्लाई के लिए अस्थायी रूप से प्रबन्ध कर लिये गये हैं।

(8) स्थायी रूप से बिजली की सप्लाई के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ हो गया है। स्थायी जल आपूर्ति के लिए चक्रा डाइवर्शन प्रोजेक्ट का काम भी आरम्भ हो चुका है।

(9) मंगलौर बन्दरगाह के विकास के लिए रुपांकन कार्य हाथ में ले लिया गया है। आशा है सन् 1980 में जब जरूरत पड़ेगी तो यह बन्दरगाह तैयार होगी।

(10) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लि० ने इस प्रायोजना के प्रारम्भिक चरणों में किये जाने वाले सिविल इंजीनियरी कार्य के लिए आरम्भिक सर्वेक्षण कर दिया है। कुद्रेमुख प्रायोजना स्थल पर तकनीकी प्रबन्धकीय तथा अन्य परिचालकों के लिए अस्थायी मकानों के निर्माण के मामले में भी इस कम्पनी का सहयोग प्राप्त किया गया है।

(11) भद्रा नदी पर बेलि ब्रिज के निर्माण के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। आशा है कि आगामी वर्षा ऋतु तक यह पुल तैयार हो जाएगा।

(ख) आशा है यह प्रायोजना सन् 1980 तक पूरी हो जायेगी।

नाविकों की माँग

*344. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविकों ने प्रत्येक समुद्री यात्रा पुनः आरम्भ करने से पूर्व समझौते के पूर्ण उपबन्ध उपलब्ध कराने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने सबन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) हर समुद्री यात्रा के प्रारम्भ होने से पहले संगम नियमावली के पूरे सैट के सप्लाई के लिए सरकार को कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु यह बताया जाता है कि संगम नियमावली पर कर्मीदल द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और व्यापारपोत अधिनियम, 1958 की धारा 107 में यथापेक्षित जहाज के मुख्य स्थान पर उसकी एक प्रतिलिपि प्रदर्शित की जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्द महासागर में फ्रांस के युद्धपोत

*346. **श्री शशि भूषण :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि फ्रांस ने हिन्द महासागर में दो और युद्धपोत भेजे हैं जो विमानभेदी राकेटों और जहाज पर मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों से लैस हैं ;

(ख) क्या इससे पहले भी फ्रांस ने दो पनडुब्बियां हिन्द महासागर में भेजी थीं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास): (क) और (ख). सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ग) अपने सुविदित दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना तथा विदेशी सेनाओं के जमाव को इस विषय से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों तथा हिन्द महासागर के तटवर्ती तथा पश्प्रदेशीय देशों के विशाल बहुमत की स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध मानता है ।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का स्थायी सचिवालय

*349. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का एक स्थाई सचिवालय स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव आया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास): (क) और (ख). कुछ गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा यद्यपि दिलचस्पी तो दिखाई गई है लेकिन गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलनों में स्थायी सचिवालय की स्थापना के बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है ।

(ग) अगर इस बारे में कभी कोई ठोस प्रस्ताव आयेगा तो भारत सरकार उस पर विचार करेगी । मौजूदा विचार के अनुसार सरकार गुट निरपेक्ष आंदोलन के हित में इस तरह के सचिवालय को आवश्यक नहीं समझती ।

मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्थानों का आरक्षण

*351. **श्री एस० एम० सिद्धय्या**: क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा सहायता प्राप्त मैडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण किया गया है ; और

(ख) क्या पांडिचेरी स्थित 'जवहार लाल इन्सटिट्यूट आफ़ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च' में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ऐसा आरक्षण किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). जे० एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़ को छोड़कर शेष केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थाओं में एम०बी०बी०एस० पाठयक्रम में दाखिले के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है ।

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि

*352. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ; और

(घ) इन बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) बेरोजगारों के संबंध में यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या के संबंध में है । यह सूचना पिछले तीन वर्षों (1973–75) के दौरान इस प्रकार थी :—

(आंकड़े लाखों में)

राज्य	वर्ष के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या)		
	1973	1974	1975
पंजाब . .	2.05	2.52	2.96
मध्य प्रदेश . .	4.24	4.33	4.70
केरल . .	5.24	5.88	6.91
पश्चिम बंगाल .	15.66	16.10	17.11
बिहार . .	11.41	9.86	10.52

*विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों के संबंध में आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई बिजली उत्पादन, मुख्य सिंचाई प्रणालियों का कमान क्षेत्र विकास, लघु और मध्यम उद्योगों, समाज सेवाओं, व्यापार,-

वाणिज्य तथा अन्य अनुषंगी एवं संबंध कार्यकलापों में योजना कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके बेरोजगारों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगें। बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित युवकों के लिए, जिनमें ग्रेज्युएट इंजीनियर और डिप्लोमाधारी शामिल हैं, रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के अनेक उपायों में से एक उपाय शिक्षु योजना को प्रभावपूर्ण रूप से कार्यान्वित करना है ।

भारत-नेपाल मलेरिया उन्मूलन समेकन सम्मेलन

*359. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल मलेरिया उन्मूलन समेकन सम्मेलन जनवरी में काठमांडू में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया दूर करने के सम्बन्ध में अपनी योजना के बारे में कोई सन्देश भेजा था ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या ने ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख)और (ग). दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक ने एक संदेश भेजा था जिसकी मुख्य-मुख्य बातें सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है ।

विवरण

दक्षिण-पूर्व एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक से प्राप्त संदेश में जो मुख्य-मुख्य बातें थीं वे इस प्रकार है :—

1. मलेरिया कार्यक्रम में हाल ही में आए गतिरोध के कारणो का उल्लेख किया गया था ।
2. वैक्टर में डी०टी०टी० को सहन करने की शक्ति बढ़ने, प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम के पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ने और ऐसे इलाकों का जहां प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम में क्लोरोम्वीन को सहन करने की शक्ति आ गई है । विस्तार होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी ।
3. उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया था कि इस क्षेत्र के देशों में मलेरिया-रोधी कार्य सम्बन्धी उपयुक्त नीति के बारे में सुझाव देने के लिए एक क्षेत्रीय समिति की बैठक अप्रैल, 1976 में बुलाई जानी है ।
4. उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया कि तकनीकी जानकारी के परस्पर आदान-प्रदान के लिए समन्वित सम्मेलन एक अच्छी मंच है और इससे अनेक तकनीकी समस्याओं के समाधान का पता लगाने में मदद मिलेगी ।

5. उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि समन्वित सम्मेलन से इस क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम करने के कार्य में अधिक मेल-जोल और सहयोग बढ़ेगा ।

भूमिगत खानों में आत्मरक्षक यंत्रों की व्यवस्था

*360. **श्री बी० गंगादेव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सब खान प्रबन्धकों को आत्मरक्षक यंत्रों की व्यवस्था करने के बारे में कोई आदेश दिये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : खान सुरक्षा महानिदेशक ने सभी कोयला खान मालिकों, अभिकरणों और प्रबन्धकों को हिदायतें जारी करदी हैं कि वे भूमि के नीचे नियोजित व्यक्तियों को क्रमिक ढंग से आत्म-रक्षकों (सेल्फ-रेस्क्यूअर्स) का सम्भरण करें ।

राउरकेला में विस्थापित व्यक्ति

1744. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों को अब तक उपर्युक्त नौकरियां और मकान के लिए जगह दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनको कितनी भूमि दी गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). भूमि उड़ीसा सरकार ने प्राप्त की थी और उसका कब्जा हिन्दुस्तान स्टील लि० को दे दिया था । इस प्रकार भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है । फिर भी, 1.3.1976 तक 3,597 स्थानिय विस्थापित व्यक्तियों को राउरकेला इस्पात कारखाने में नौकरियां दे दी गई हैं । इस्पात कारखाने के निकट जालदा और झीरपानी गांवों में दो पुनर्वास बस्तियां बसाई गई हैं, जहां काफी संख्या में विस्थापित परिवारों को बसाया गया है ।

भारतीय उर्वरक निगम, नामरूप (आसाम) द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों को काम पर लगाना

1745. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय उर्वरक निगम, नामरूप (आसाम) के प्रबन्धक स्थायी प्रकार के कार्य जैसे माल ढोना, सिविल निर्माण तथा अनुरक्षण, वैगनों का लदान तथा फैक्टरी और नगर में झाड़ लगाने तथा सफाई करने के लिये ठेकेदारों के माध्यम से नैमित्तिक श्रमिकों को काम पर लगा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

Orders placed on Balco for Aluminium by various Countries.

1746. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity and value of orders received from various countries by the Bharat Aluminium Co. Ltd. Korba, for supply of aluminium during 1975-76 and 1976-77; and

(b) when the production of aliuminium was started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) 3500 tonnes valued at about Rs. 212 lakhs.

(b) May, 1975.

परिवार नियोजन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

1747. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1973--75 के वर्षों में परिवार नियोजन परियोजनाओं के बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) वर्ष 1975-76 के दौरान इस प्रकार की प्रस्तावित सहायता संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-10595/76]** ।

नाईजीरिया के लिए नौवहन सेवा

1748. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वेस्टर्न शिपर्स एसोसिएशन' ने सरकार से नाइजीरिया के लिए नियमित नौवहन सेवा चलाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी०एस० ढिल्लों) : (क) और (ख) सरकार ने पश्चिमी इंडियन शिपर्स एसोसिएशन और अन्य राष्ट्रीय शिपिंग कम्पनियों के साथ उन समस्याओं पर विचार विमर्श किया जो भीड़ भाड़ के कारण नाइजीरिया पत्तनों पर काफी देर से रुके हमारे जहाजों को ध्यान में रखते हुए नाईजिरिया को नियमित नौवहन सेवा से सम्बन्धित हैं । इन समस्याओं को राजनयिक और वाणिज्यिक आधार से हल करने के लिए कुछ उपाय किये जा रहे हैं ।

Sea Passengers Service with other Countries.

1749. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.1455 on 29th January, 1976 and state :

(a) the amount in foreign exchange and in Indian currency earned by passenger service and cargo service operating between India and other countries during 1973-74 and 1974-75, year-wise; and

(b) the number of countries which have requested for introduction of passenger and cargo service from India and whether there are some countries also which want to link India with their Shipping service and if so, their names ?

The Minister of Shipping and Transport (Dr. G. S. Dhilon): (a) The total Rupee value of the earnings of Indian Shipping companies from operating passenger services and cargo services between India and other countries during 1973-74 and 1974-75 (including earnings in Foreign Exchange) were as under :—

(Rs. in crores)

	1973-74	1974-75
1. Cargo Services	178·05	291·16
2. Passengers Services	6·36	9·72

(b) Indication has been received of the intention of Shipping Corporation of Saudi Arabia and M/s. Ahli Shipping Line, Dubai to introduce a passenger service from India to the Gulf and/or Red Sea Ports.

पत्र व्यवहार में पिन कोड पद्धति का प्रयोग

1750. **श्री वसन्त साठे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालय तथा प्रतिष्ठान तथा अर्द्ध सरकारी संगठन काफी सीमा तक अपने पत्र व्यवहार में पिन कोड पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं ।

(ख) यदि हां, तो न केवल सरकारी कार्यालयों में अपितु सामान्य तौर पर आम जनता में भी पिन कोड पद्धति को और अधिक लोकप्रिय तथा स्वीकार्य बनाने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या देश में महत्वपूर्ण स्थानों में पत्र व्यवहार में पिन कोड व्यवस्था के प्रयोग का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और उनके क्या परिणाम रहे हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों में पिन कोड का अब अधिक प्रयोग होने लगा है;

(ख) (i) सस्ते दामों की सर्किल पिन कोड डायरेक्टरियां प्रकाशित की गई हैं । अखिल भारतीय पिन कोड डायरेक्टरी का पुनर्मुद्रण करके उसे भी जारी किया गया है ।

(ii) डाकघरों के प्रयोग में आने वाली सभी मोहरों और सीलों को बदल कर उन की जगह धीरे-धीरे ऐसी मोहरें और सीलें सप्लाई की जा रही हैं जिनमें पोस्टल इंडेक्स नम्बर लगे हुए हैं ।

(iii) सरकारी विज्ञापनों में पिन कोड के प्रचार संबंधी वाक्यांश ("लोगो") शामिल करना आरम्भ कर दिया गया है ।

(iv) डाकघरों के नाम पट्टों और लेटर बक्सों पर पिन कोड नम्बर लिख दिए गए हैं ।

(v) पोस्टमास्टर जनरलों से कहा गया है कि वे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में रेडियो पर बतायें/प्रसारित करवायें जिससे कि जनता, खासकर देहाती इलाकों में रहने वाले लोग पिन कोड के प्रयोग से होने वाले लाभों से परिचित हों ।

(vi) शीघ्र डाक सेवा का धीरे-धीरे विस्तार किया जा रहा है । इससे पिन कोड के प्रयोग के लोकप्रिय होने में सहायता मिलती है ।

(vii) ज्यादा मात्रा में डाक भेजने वालों से निवेदन किया जा रहा है कि वे अपनी डाक सूचियों में पिन कोड का इस्तेमाल करें ।

(ग) जी हां । पिन कोड लिखे पत्रों का प्रतिशत अलग-अलग केन्द्रों के अनुसार 5 से लेकर 30 तक है ।

यात्री/माल वाहक जहाजों की खरीद

1751. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 के बजट के बाद दिसम्बर, 1975 तक कितने यात्री या माल वाहक जहाज खरीदे गए हैं; और

(ख) इन जहाजों का कुल मूल्य कितना है और उन्हें किन देशों से खरीदा गया ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : (क) सभी प्रकार के 119 जहाज (सूखे माल, खुले माल वाहक, तेल वाहक और यात्री जहाज इत्यादि) ।

(ख) इन 119 जाहाजों की कुल लागत 770.70 करोड़ रुपये थी । देशों के नाम और प्रत्येक देश से अधिग्रहीत जहाजों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	देश	अधिग्रहीत जहाजों की संख्या
1	थाइलैंड	1
2	जी डी आर	13
3	पश्चिम जर्मनी	7
4	यू० के०	17
5	डेनमार्क	2
6	फ्रान्स	1
7	हांगकांग	5
8	स्वेडन	3
9	स्पेन	12
10	जापान	15
11	नारवे	5
12	यू एस एस आर	7
13	योगोस्लाविया	8
14	रुमानिया	7
15	बैलजियम	2
16	पनामा	1
17	फिनलैंड	1
18	हालैंड	1
19	भारत	11

मध्य प्रदेश में चाँदी के भंडार

1752. श्री रण बहादुर सिंह :

श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रीवा स्थित ए० पी० एस० विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण के अनुसार मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मुख्यालय के आसपास चांदी के विशाल भण्डार हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके दोहन के लिए एक व्यावहार्यता अध्ययन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी का इन्तजार है ।

Representation against Legislation about Retrenchments and Look-outs

1753. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the **Minister of Labour** be pleased to state :

(a) whether the labour organisations and the mill owners have made representations in regard to the new legislation about retrenchments and lockouts ;

(b) if so, the main demands thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (*a*), (*b*) and (*c*). The latest amendment to the Industries Industrial Disputes Act, 1947, does not relate to lock-outs. After the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1976, was passed by both the Houses of Parliament, the Ministry of Labour received certain representations for extending the coverage of Bill to smaller establishments and also to provide for exemptions from the lay-off provisions of establishments like flour mills and also to exclude lay off due to break down of machinery and unforeseen circumstances. The amendment Act come into force with effect from the 5th March, 1976 and it is too early to think of amendments.

Tin Deposits in Madhya Pradesh

1754. **Shri Bhagirath Bhanwar :**
Shri Ramsahai Pandey :
Shri Bhogendra Jha :

Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the area of tin deposits found out in District Bastar of Madhya Pradesh and whether quality thereof has been ascertained ;

(b) whether exploitation of these deposits will be undertaken by Union Government or this work will be entrusted to the Mineral Corporation of the State Government; and

(c) the broad outlines of the progress made so far in regard to the exploitation of these deposits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Tin bearing pegmatite bodies have been found near Govindpal, Mundaval, Chitalmar, Kuppadehi and other villages of Bastar District of Madhya Pradesh spreading over an area of 80 square

kilometres. Eluvial cassiterite has been obtained from Kudripal, Madkamires, Chiurwada and other localities within the same area. Detailed investigations are being conducted by G.S.I. and the Directorate of Geology and Mining of the State Government to ascertain the quality and potential of these deposits.

(b) This question can be examined only after detailed investigations have been conducted.

(c) In view of (*b*) above, does not arise at this stage.

सरकारी क्षेत्र के एककों में इस्पात की उत्पादन लागत

1755. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा पिछले दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों में इस्पात की प्रति टन औसत उत्पादन लागत कितनी रही;

(ख) प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों में उत्पादन लागत से यह कितनी न्यूनाधिक है; और

(ग) क्या उत्पादन लागत में कमी करने के लिये कोई अध्ययन आरम्भ किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) वर्ष 1973–74, 1974–75 तथा 1975–76 (आंकड़े अस्थायी हैं) के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में एक टन बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन की औसत लागत नीचे दी गई है :—

(रुपये प्रति टन)

कारखाना	1973–74	1974–75 (आंकड़े अस्थायी हैं)	1975–76 (आंकड़े अस्थायी हैं)
भिलाई इस्पात कारखाना	887	979	1074
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1495	1533	1466
राउरकेला इस्पात कारखाना . .	1595	1754	1950
बोकारो इस्पात कारखाना . . .	..	..	1817

(ख) इस्पात उत्पादकों द्वारा उत्पादन लागत की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, इसलिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) मूल्य वृद्धि के विभिन्न कारणों जिन पर इस्पात कारखानों का कोई बस नहीं है के बावजूद उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई कदम उठाए गए हैं, इनमें क्षमता का बेहतर उपयोग, खपत के मानकों में सुधार, तैयार उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि, बेहतर रोकड़ व्यवस्था और इस्पात के वितरण की बेहतर व्यवस्था शामिल है ।

पालम हवाई अड्डे पर एक राजनयिक के सामान की तलाशी

1756. **श्री हरी सिंह :**
श्री राजदेव सिंह :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 फरवरी, 1976 को पालम हवाई अड्डे पर एक राजनयिक के सामान की तलाशी ली गई थी;

(ख) क्या उक्त राजनयिक के सामान में कुछ निषिद्ध वस्तुएं थी; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस सम्बन्ध में सम्बद्ध मिशन से सख्त विरोध प्रकट किया गया है और इस घटना से सम्बद्ध अधिकारियों को देश से वापिस बुला लिया गया है।

तमिलनाडु आर्य वैद्यशाला द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों पर से बिक्री कर हटाने की माँग

1758. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आयुर्वेदिक औषधियों पर बिक्री कर केवल तमिलनाडु में ही लगता है;

(ख) क्या तमिलनाडु आर्य वैद्याशाला ने आयुर्वेदिक औषधालायों पर से बिक्री कर हटाये जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) जी हां। तमिलनाडु में आयुर्वेदिक दवाइयों पर बिक्री कर लगता है।

(ख) जी हां। आर्य वैद्याशाला के कोटाक्कल, केरल स्थित मुख्यालय से बिक्री कर कम करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) राज्य सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है।

कोचीन पत्तन में सुपर टैंकर आयल टर्मिनल प्रोजेक्ट

1759. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में सुपर टैंकर आयल टर्मिनल प्रोजैक्ट के निर्माण के लिए व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस टैंकर प्रोजेक्ट के लिये की गई अग्रिम कार्यवाही के रूप में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फरवरी 1976 तक परियोजना पर अग्रिम कार्यवाही के तौर पर 234.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गई ।

इटारसी रेलवे डाक सेवा में छुट-पुट चोरी के कारण हुई हानि

1760. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी रेलवे डाक सेवा को गत तीन वर्षों के दौरान छुट-पुट चोरी के कारण 13 लाख रुपये से अधिक की हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 7000 रुपये की रकम के दो बीमा पार्सलों की राशि के दो मामले जानकारी में आए ।

(ख) दोनों मामलों की तुरन्त पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी । पन्द्रह कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे, जिन्हें तुरन्त मुअत्तिल कर दिया गया । इनमें से आठ कर्मचारियों पर मुकदमा चल रहा है । बाकी सात कर्मचारियों के मामले में पुलिस की तफ्शीश जारी है।

बन्धित श्रमिकों को ऋण

1761. श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्धित श्रमिकों को ऋण दिये हैं ;

(ख) उनको राज्यवार कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) इससे राज्यवार कितने श्रमिकों को लाभ पहुंचा है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकार ने बंधित श्रमिकों के आर्थिक पुनर्वास के लिए मुख्य मार्गदर्शन निर्धारित किए हैं । राज्य सरकारें और अन्य संबंधित अभिकरण तदनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं ।

अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी मुक्त किए गए बंधक श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजनाएं बनाई हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं ताकि वे कृषि, डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, गृह उद्योग, छोटे व्यवसाय आदि जैसे कुछ लाभ कर व्यवसाय पा सकें । इन योजनाओं के अन्तर्गत, किसी गुंजाइश या ग्रुप गारंटियों के आधार पर जमानत पर अड़े बिना सामान्यत: 100% वित्त प्रदान किया

जाता है। जिन मामलों में उधार लेने वाले डी आई आर योजना के अन्तर्गत वित्त के पात्र हैं, 4% की दर से ऋण दिया जाता है और अन्य मामलों में 10% से 12% दर के बीच का रियायती सूद लगाया जाता है।

(ख) और (ग) : किसी भी राज्य सरकार से अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पारादीप पत्तन पर माल उतारने-चढ़ाने के लिए घाटों की आवश्यकता

1762. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल यातायात में तीव्रगति से हो रही वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारादीप पत्तन पर माल उतारने-चढ़ाने के लिए दो और घाटों की तत्काल आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे क्या में कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) तथा (ख) : पारादीप पत्तन में अतिरिक्त माल घाटों की आवश्यकता को पर्याप्त यातायात उपलब्धता के आधार पर निश्चित किया जाता है। पारादीप पत्तन न्यास ने लगभग 8.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक और सामान्य माल घाट के निर्माण के प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

डाक तथा तार विभाग के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना

1763. **श्री राघवावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवाओं में काय-कुशलता, उत्पादन और मितव्ययता बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा चलाये गए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत डाक तथा तार विभाग के प्रबन्ध में भी कर्मचारियों के भाग लेने की पद्धति लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) और (ख) : डाक-तार विभाग के प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के सम्पूर्ण मसले पर सक्रियता से जांच की जा रही है।

World Disarmament Conference on Non-Proliferation of Nuclear Weapons

1764. **Shri K. M. Madhukar :** Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether World Peace Council has again appealed to the Governments of all the countries that a World Disarmament Conference should be immediately convened for non-proliferation of nuclear weapons treaty ;

(*b*) whether Government of India have received intimation about this appeal; and

(*c*) if so, the reaction of Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): a) The World Peace Council has issued an appeal, called the New Stockholm Appeal, for a world-wide offensive for stopping the arms race and achieving general and complete disarmament, the banning of all nuclear and other weapons of mass destruction, and for the convening without delay of the United Nations World Disarmament Conference for these purposes.

(*b*) The Government of India is aware of the appeal, but has not yet received it.

(*c*) The Government of India is in full agreement with the above purposes of the appeal.

सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक कार्यों के बारे में विभिन्न देशों के साथ समझौते

1765. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक कार्यों के बारे में गत आठ मास में विदेशों के साथ कौन कौन से समझौते हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1.	अफगानिस्तान . .	व्यापार एवं अदायगी करार जिस पर 3-9-1975 हस्ताक्षर हुए।
2.	अल्जीरिया . .	व्यापार करार जिस पर 10-2-1976 को हस्ताक्षर हुए।
3.	चैकोस्लोवाकिया .	पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण खड़े होने वाले दावों को निपटाने के लिए करार जिस पर 24-9-75 को हस्ताक्षर हुए।
4.	इराक . .	1-1-1976 से 31-12-1977 तक के लिए सांस्कृतिक करार जिस पर 15-1-1976 को हस्ताक्षर हुए।
5.	जोर्डन . .	(i) व्यापार एवं आर्थिक करार जिस पर 24-2-1976 को हस्ताक्षर हुए।
		(ii) सांस्कृतिक करार जिस पर 15-2-1976 को हस्ताक्षर हुए।
6.	मालदीव . .	सिविल विमानन करार जिस पर फरवरी, 1976 में हस्ताक्षर हुए।
7.	पेरु . . .	(i) तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग पर बुनियादी करार जिस पर 26-8-1975 को हस्ताक्षर हुए।
		(ii) विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार जिस पर 28-8-1975 को हस्ताक्षर हुए।

8.	पोलैण्ड . .	18-11-67 को पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण खड़े होने वाले दावों को निपटाने के लिए करार जिस पर 5-12-1975 को हस्ताक्षर हुए ।
9.	रूमानिया . .	1976–80 के लिए व्यापार एवं अदायगी करार जिस पर 10-12-1975 को हस्ताक्षर हुए ।
10.	सीरिया . .	सांस्कृतिक करार जिस पर 13-11-1975 को हस्ताक्षर हुए।
11.	दक्षिण कोरिया . .	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में करार जिस 5-3-1976 को हस्ताक्षर हुए ।

भारत के साथ बात चीत के बारे में पाकिस्तान के रक्षा और विदेश मंत्री का वक्तव्य

1766. **सरदार मोहिन्द्र सिंह गिल :**

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पाकिस्तान के रक्षा तथा विदेश राज्य मन्त्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उनका देश पारस्परिक हित के सभी विशिष्ट मामलो के बारे में भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दोनों में से किसी एक पक्ष ने कुछ ठोस प्रस्ताव रखे हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) हमने इस वक्तव्य को देख लिया है। पाकिस्तान सरकार के वक्तव्य और रवैये परस्पर विरोधी रहे हैं। भारत, अपनी ओर से द्विपक्षीय तौर पर शान्तिपूर्ण तरीको से सभी मतभेदों को दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है ।

(ख) सम्बन्धों को सामान्य बनाने की सम्भावनाओ की खोज के लिए पाकिस्तान के साथ विचार-विनिमय जारी है । ऊपर से उड़ान के लिए पाकिस्तान के सुझाव को हम छिपा नहीं सकते । इस पर भी विचार-विनिमय हुआ है ।

Devices for birth Control without Operation

1767. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) Whether Government have found out some other family planning devices of birth control without operation;

(b) if so, the facts thereof;

(c) the names of such indigenous and allopathic medicines; and

(d) whether reputed vaidyas and Hakims have also been consulted in this matter?

The Minister of State for Health and Family Planning (CH. Ram Sewak): (a) to (c). Non-steroid pill (Centchromen) male pill (Cyproterone acetate) development of anti-

pregnancy Vaccine are some of the areas which are in an experimental stage. The Ayurvedic medicines Vidangadiyoga, Talisadiyoga, Pippalvadigyoga, K. Capsules and J. Capsules are under clinical trials. Besides this, research is also in progress to develop vaccine and low dose harmone pills and injectibles.

(d) Yes.

मंगलौर बन्दरगाह परियोजना

1769. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर बन्दरगाह परियोजना को पूरा करने के लिये कौन-कौन से काम इस समय बाकी हैं; और

(ख) बन्दरगाह में किन-किन कार्यों से अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों): (क) चट्टान का निकर्षण, विभिन्न प्रकार के तिरते जलयानों की प्राप्ति, माल धरा रठाई उपस्कर का संस्थापन तथा रेल और भंडार की सुविधाओं की व्यवस्था कार्य की मुख्य मदें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं।

(ख) कन्द्रेमुख खान से ईरान को लौह अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यों का प्रस्ताव किया गया है :—

(1) अयस्क घाट का निर्माण

(2) निकर्षण

(3) पनकट दीवार का विस्तार

(4) तिरते जलयानों की प्राप्ति

(5) दिकचालन साधनों की व्यवस्था।

Zinc Smelter in Rajasthan

1770. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the date on which Zinc Smelter was set up in Rajasthan and the total expenditure incurred thereon so far as also the progress thereof; and

(b) the loss being suffered or the profit earned by Government on the Zinc Smelter?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) The construction of the Zinc Smelter at Debari (near Udaipur in Rajasthan) was completed in January 1968 but the commercial production of zinc commenced in May, 1968. The Expenditure incurred on this smelter by the Hindustan Zinc Ltd., a Central Government Comany, upto 31-12-1975 was Rs. 806·47 lakhs.

Production of zinc ingots in the smelter during the last five years was as follows:—

Year	Production in tonnes
1971-72	12,251
1972-73	9,565
1973-74	10,823*
1974-75	13,952
1975-76 (estimated)	16,000

*(Zinc ingot equivalent of zinc cathodes produced which could not be converted into ingots in full due to break down of the smelting furnace)

(b) The undertaking of Hindustan Zinc Ltd. consists of 3 main units viz. (*i*) Zinc-Lead mines in Zawar area (near Udaipur), (*ii*) Zinc Smelter at Debari, and (*iii*) Lead Smelter at Tundoo (Bihar). The profits made by the Company (before tax) during the last 3 years are as under:—

(Rs. in lakhs)

1972-73	42·42
1973-74	504·65
1974-75	893·45

परमाणु सामग्री निर्यात नियमों के बारे में गुप्त समझौता

1771. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि सात देशों ने परमाणु सामग्री निर्यात नियमो के बारे में गुप्त समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) और (ख). सरकार ने इस आशय की खबरें प्रेस में देखी हैं कि सात प्रमुख नाभिकीय प्रौद्योगिकी निर्यातक देशों के बीच उनके द्वारा नाभिकीय अस्त्र विहीन देशों को नाभिकीय प्रौद्योगिकी, सामग्री और उपस्कर के निर्यात को न्यूनतम सामान्य अपेक्षाओं अथवा शर्तों के बारे में करार/समझौते हो गये हैं। लेकिन ये करार/समझौते अभी सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित नहीं किये गये हैं।

केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ द्वारा नई औषधि की खोज

1772. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ ने थाइरोटोक्सीकोसिस के इलाज के लिए एक नई औषधि की खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) सैण्टिमिजोन नामक इस नई औषधि के निम्नलिखित फायदे हैं :—

(i) खासकर ऐसे मामलो में जहां दूसरी औषधियों के सेवन से छोटी मोटी अन्य शिकायतें पैदा हो जाती हैं यह काफी गुणकारी वैकल्पिक औषधि सिद्ध हुई है।

(ii) अन्य औषधियों की अपेक्षा इसकी मात्रा भी छोटी होती है।

(iii) इस औषधि से कोई अन्य मुख्य शिकायत पैदा नहीं होती।

वैसे, यह औषधि तीव्र गलगण्ड के लिए गुणकारी नहीं है। इसका एण्टिथाइराइड प्रभाव तभी तक बना रहता है जब तक इस औषधि का सेवन चलता रहता है और औषधि बन्द करने पर 2-3 दिन के भीतर ही लक्षण फिर उभर आते हैं।

तमिलनाडु में बस परमिटों का नवीकरण

1773. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन मन्त्रालय को तमिलनाडु के फैडरेशन आफ बस ओनर्स एसोसिएशन से राष्ट्रीयकरण के नाम पर तमिलनाडु में बस परमिटों के नवीकरण के लिये विचाराधीन आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विचाराधीन आवेदनपत्र की संख्या क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह): (क) से (ग). 6-3-76 को फैडरेशन आफ बस आपरेटरस एसोसिएशन, मद्रास से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें भूतपूर्व तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य में बस सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के लिए किए गए उपायों का उल्लेख किया गया था और भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि तमिलनाडु राज्य में बसों के राष्ट्रीयकरण की नीति मे सुधार किया जाए। इस अभ्यावेदन में, प्राइवेट परिचालकों से, बस सेवाओं के प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए उनके बस परमिटों के नवीकरण के लिए किसी भी अनिर्णीत पड़े प्रार्थना पत्र का उल्लेख नहीं था। चूंकि सड़क परिवहन सम्बन्धी कार्यकारी शक्ति राज्य सरकार के पास है, अत: फैडरेशन का अभ्यावेदन आवश्यक कार्यवाही के लिए तमिलनाडु सरकार को भेज दिया गया है। फैडरेशन को भी स्थिति से अवगत कराया गया है।

उद्योगों में महिला कर्मचारियों की छंटनी

1774. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1975 से जनवरी, 1976 तक उद्योगों से कितनी महिला कर्मचारी, उद्योगवार, रोजगार से निकाली गयी हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा में डाक तार कर्मचारियों के लिए विभागीय अस्पताल

1775. **श्री बीरेन दत्त :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में डाक-तार कर्मचारियों के लिये एक विभागीय अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब चालू हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रोडेशिया में मुक्ति आन्दोलन के लिये भारतीय सहायता

1776. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोडेशिया में मुक्ति आन्दोलन को भारत द्वारा राजनैतिक, सैनिक तथा अन्य सामान की सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख). अपनी नीतियों के अनुरूप भारत रोडेशिया के मुक्ति आन्दोलन को राजनीतिक समर्थन तथा सामान आदि की सहायता देता रहा है । सामान की सहायता में शामिल मद हैं—1,20,000 रुपये का कपड़ा तथा औषधियां और स्कूलों के लिए 16,000 रुपये की पाठ्य पुस्तकें जो भारत में जिम्बाबवा भाषा 'करंगा' में प्रकाशित हैं ।

पंजाब सर्किल के लिए मंजूर किए गए टेलीफोन एक्सचेंज

1777. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पंजाब सर्किल में कितने टेलीफोन एक्सचेंज मंजूर किए गए हैं;

(ख) संस्थापित किए जा रहे टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं; और

(ग) भटिंडा जिले, पंजाब सर्किल में मशीनों के अभाव के कारण पूरे न होने वाले एक्सचेंजों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) बीस।

(ख) पंजाब (उत्तर पश्चिमी सर्किल) में जिन 15 टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना का कार्य (27-3-76 को) चल रहा है, उनकी सूची निम्नलिखित है :—

पंजाब में (उत्तर पश्चिमी सर्किल) में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना का कार्य चल रहा है, उनके नामों की सूची।

(1) सुजानपुर तीरा
(2) अम्ब
(3) बड़सार
(4) गग्गल
(5) बदनी कलां
(6) मलसियां
(7) जंडियाला
(8) भदौर
(9) दीरबा
(10) साहा
(11) खंडूर साहिब
(12) भूणा
(13) बड़ोपल
(14) अनी
(15) जेवरी

(ग) कोई नहीं।

मोजाम्बीक द्वारा भारत से माँगी गयी सहायता

1778. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोजाम्बीक सरकार ने रोडेशिया के साथ लगने वाली अपनी सीमा बन्द कर दी है;

(ख) क्या भारत सरकार से मोजाम्बीक के लिये सहायता मांगी गई है जहां सीमा बन्द करने के कारण गम्भीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पास करके सभी राज्यों से अपील की है कि वे मोज़ाम्बीक को तत्काल वित्तीय, तकनीकी और साज-सामान की सहायता प्रदान करें। किंग्स्टन में राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रमण्डल के महासचिव ने भी राष्ट्रमण्डल देशों की सरकारों से मोज़ाम्बीक को सहायता देने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा राष्ट्रमण्डल महासचिव द्वारा मोज़ाम्बीक की ठीक-ठीक जरूरतों का पता लगाया जा रहा है। इस बारे में भारत सरकार भी राजनयिक सूत्रों के माध्यम से मोज़ाम्बीक की सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

(ग) अफ्रीका में मुक्ति का समर्थन करने की अपनी नीति के अनुरूप, भारत सरकार मोज़ाम्बीक को सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

भारतीय नौवहन व्यवस्था सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की स्थापना

1779. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये यू० के० की रोचडाब कमेटी की तरह की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव है जैसा कि 10 मार्च, 1976 को नई दिल्ली से प्रकाशित एक समाचार-पत्र में समाचार छपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) ऐसा प्रतीत है कि रिपोर्ट जो 10 मार्च, 1976 के नई दिल्ली के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई 10 मार्च, 1976 को हुई राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की बैठक के बोर्ड के अध्यक्ष के भाषण पर आधारित है, यू० के० के रौकडेल के नमूने पर विशेषज्ञ समिति स्थापित करने के लिये सरकार को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जूट मिल मजदूर पंचायत, कानपुर के सदस्यों की बर्खास्तगी

1780. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निदेश जारी किया है कि आपात स्थिति के दौरान नियोजक कर्मचारियों को आरोप पत्र दिये बिना तथा उन्हें अपने बचाव का अवसर प्रदान किये बिना बरखास्त करने को स्वतन्त्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कानून के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले मालिकों के विरुद्ध और कर्मचारियों को बहाल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चसनाला खान से निकाले गये शव

1781. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चसनाला कोयला खान से अब तक कितने शव निकाले जा चुके हैं; और

(ख) उनमें से कितनों की शनाख्त हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). 29 मार्च, 1976 तक 374 (अनन्तिम रूप से निर्धारित) शवों को चसनाला कोयला खान से निकाला गया है जिनमें से 278 शवों की शिनाख्तत की जा चुकी है।

बम्बई-पूना सड़क में सुधार

1782. **श्री वसन्त साठे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पटरियों को मजबूत बनाने, बम्बई-पूना सड़क पर बहुत अधिक सुधार करने और उसको चार वाहन साथ-साथ चलाने योग्य बनाने तथा बोरघाट में इसको पुनः रेखांकन करने के साथ-साथ तंग पुलों को चौड़ा करने और कमजोर पुलों को पुनः बनाने के बारे में 9 फरवरी, 1976 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और ख). राष्ट्रीय राजमार्गों के और सुधार के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने 9 फरवरी, 1976 के अपने पत्र में सुझाव दिया कि भारत सरकार निकट भविष्य में 32.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 104 कार्य स्वीकृत, करने के लिये सहमत हो जाय। सूची में अन्य कार्यों के साथ ये कार्य शामिल हैं—15.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के पनवेल से देह तक 90 कि० मी० लम्बाई में बम्बई-पूना सड़क, रा० रा० सं० 4 को चार गली में चौड़ा करना; 1 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बम्बई-आगरा सड़क, रा० रा० सं० 3 पर ताप्ती नदी पर एक नया पुल, 1.43 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर रा० रा० सं० 6 पर वेनगंगा नदी पर, एक नया पुल, 4.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर रा० रा० सं० 17 का सुधार कार्य जिसमें रत्नगिरि जिले में टूटा हुआ सिमेंट कंक्रीट भाग शामिल है, तथा 2.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर नागपुर उपमार्ग के लिए भूमि आदि। बम्बई-पूना सड़क को, घाट खण्ड में सुगम ढाल और मोड़ को दृष्टि में रखते हुए अतिरिक्त 2 गली यानपथ के लिए एक अलग संरेखन की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये उपलब्ध आवंटन 1973–74 के वित्तीय वर्ष से कम होने से और चालू कार्य जो अकेले महाराष्ट्र में लगभग 47 करोड़ रुपये की राशि के हैं को उचित समय के अन्दर पूरा करने के लिये अपर्याप्त है । महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को मानना कठिन होगा । परन्तु उपलब्ध आवंटनों के अन्तर्गत सूची में से उन कार्यों को स्वीकृत करने का प्रयत्न किया जायेगा जो अत्यावश्यक हैं ।

राज्यों में नसबन्दी

1783. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–75 के दौरान विभिन्न राज्यों में रिकार्ड किए गए नसबन्दी सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इन आंकड़ों का क्या ब्यौरा है; और

(ख) इस बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 के लिए अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-1) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०––10596/76]**

(ख) राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशनों के लिए केन्द्रीय सहायता के पैटर्न में पुरुषो को 35 रुपये और स्त्रियों को 70/- रुपये (भोजन के लिए 25/- रुपये सहित) देने की व्यवस्था की गई है । फिर भी, नसबन्दी आपरेशन करवाने वाले पुरुषों और स्त्रियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढावा देने के लिए प्रोत्साहनो और हतोत्साहनों के रूप में कुछ उपाय बरतना भी आरम्भ किया है। विभिन्न राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में जो उपाय किए गए हैं उनका सारांश अनुबन्ध–2 में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०––10596/76]**

अस्पतालों में शय्याओं में वृद्धि

1784. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अस्पतालों को शय्याओं में कितनी वृद्धि की गई और पांचवीं योजना अवधि में राज्यवार, इन शय्याओं में कितनी वृद्धि किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक) : 1-4-1965, 31-12-1968 और 31-12-1973 की स्थिति के अनुसार अस्पताल शय्याओं की संख्या राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०––10597/76]**

इस विवरण से यह पता चलेगा कि 1-4-1965 से 31-12-1968 तक और 31-12-1968 से 31-12-1973 की अवधि के दौरान क्रमशः 47,322 शय्याओं और 49,441 शय्याओं की वृद्धि की गई। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान बढ़ाई गई शय्याओं की संख्या सम्बन्धी सूचना अलग से तत्काल उपलब्ध नहीं है। आशा है कि पांचवीं योजना अवधि के दौरान 40,000 अस्पताल शय्याओं की वृद्धि की जाएगी जिनका राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

नेपाल द्वारा माँगी गई वित्तीय सहायता

1785. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने हाल ही में और परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें कौनसी हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Waiting list for Telephone Connections in States and Union Territories

1786. **Shri Narain Chand Parashar:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of applicants registered for telephone connections in the waiting list in the following catergories as on 1st February, 1976 in the capitals of the States and Union Territories (1) Ordinary (2) Special category (like Social Workers etc.) (3) O. Y. T.;

(b) the comparative figures on the 1st September, 1975 for each one of these categories;

(c) the number of connections actually given to the intending subscribers in each case during this period;

(d) the commparative figures for (a), (b) and (c) as on the 1st September, 1974 and 1st February, 1975; and

(e) the effect of the enhancement of the security deposits?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) to (d). The information is being called from Telecom. Circles/ Telephone Districts and will be laid down on the table of the House as soon as it is received.

(e) The deposit has not been enhanced. The only change is that the deposit has now to be paid in advance at the time of application.

स्कूटर चलाने वालों के लिए हैल्मेट का प्रयोग अनिवार्य करना

1787. **श्री वसन्त साठे** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घातक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्कूटर तथा मोटर साइकिल चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा हैल्मेट का प्रयोग अनिवार्य करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यह निर्णय कब तक लागू हो जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख). मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में स्कूटर और मोटर साइकिल ड्राईवरो और उनके पीछे बैठी सवारियों को सिर में चोट लगने की घातक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्रैश-हैलमेट पहनना अनिवार्य किया जा सके। इस प्रयोजन और कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए अधिनियम में संशोधन करने के लिए यथाशीघ्र संसद में एक विधेयक रखा जायेगा। स्कूटर, मोटर साइकिल चालको तथा उनके पीछे बैठी सवारियोद्वारा क्रैश हैलमेट के अनिवार्य प्रयोग के बारे में सम्बन्धित उपबन्धो को लागू करने की वास्तविक तिथि निश्चित की जायगी जब यह सुनिश्चित हो जायेगा कि विहित विशिष्टियों के क्रैश हैलमेट के निर्माण के लिये देश में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

जबरन छुट्टी और छटनी करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेना

1788. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धकों को जबरन छुट्टी, कारखाने बन्द करने तथा छंटनी के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी ;

(ख) क्या ऐसे मामलों में, सरकार की राय के बावजूद, प्रबन्धक व्यादेश (इंजंक्शन) के लिये न्यायालय में जा सकते हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर श्रमिक वर्ग को न्याय किस प्रकार सुनिश्चित कराने का है ; और

(घ) इस बारे में संविधान का संशोधन करने और एक ऐसा कानून बनाने में सरकार के आगे क्या बाधा है कि इस प्रकार के विवाद में सरकार की राय सर्वोच्च होगी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) : जी हां, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय-पांच (ख) के उपबन्ध लागू होते हैं।

(ख) से (घ). औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, प्रभावित पक्षों को उपलब्ध अन्य कानूनी कार्यवाहियों पर किसी प्रतिबन्ध की व्यवस्था नहीं करता।

दूर संचार व्यवस्था की सुरक्षा

1789. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में आई० बी० एम० मशीन आदि सहित दूर संचार व्यवस्था की सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी संचार मंत्रालय की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जासूसी अथवा तोड़-फोड़ करने वाली शक्तियों के किसी ग्रुप द्वारा हमारी 'फ्रीक्वेंसी' और दूर संचार व्यवस्था तथा आई० बी० एम० आपरेशन में व्यवधान डालने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) संचार मंत्रालय सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का संचालन करती है और इसकी आप सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। इसकी कार्य प्रणाली में आई० बी० एम० की मशीनें नही है। देश की दूसरी दूर संचार सम्बन्धी प्रस्थापनाओं की आप सुरक्षा की जिम्मेवारी उन संगठनों पर है जो इन्हें चलाती हैं।

(ख) संचार मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक दूरसंचार प्रणालियों से सम्बन्धित इस तरह की कोई बात, इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

Telephone Directory in Hindi

1790. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether telephone subscribers, who want to do their work in Hindi, are greatly inconvenienced due to non-availability of telephone directory in Hindi in time;

(b) the approximate number of directories printed annually in Hindi and English separately;

(c) whether there is no uniformity in these directories; and

(d) if so, the steps proposed by the department to remove this difficulty?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) and (b). Annually in the different Telephone systems mostly in Hindi speaking areas, 1.1 lakh number of devanagari telephone directories are printed, the number in English being about 17·9 lakhs.

Devanagari directories are made available to all those telephone users who want such directories. Attempts are also being made to print these directories in advance of the English directories.

(c) and (d). Uniformity is maintained in publishing these directories to the extent possible. A Standardisation Committee for the Devanagari Telephone Directory has recently been constituted by the Government. This Committee, amongst other aspects, is also looking into the question of achieving maximum possible uniformity.

दिल्ली में टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी

1791. **श्री शशि भूषण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन केवल टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा ही मंजूर किये जाते हैं ;

(ख) क्या कुछ श्रेणियों में आने वाले टेलीफोन को सरकार का शेष शुल्क देने के उपरान्त अन्य व्यक्तियों के नाम अन्तरण करने की अनुमति दे दी जाती है ; और

(ग) क्या पब्लिक मेन श्रेणी के अन्तर्गत मंजूर किये गये टेलीफोन अन्य व्यक्तियों के नाम अन्तरण करने की अनुमति नहीं दी जाती है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं। दिल्ली तथा अन्य टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन सलाहकार समितियां केवल सलाह देने की भूमिका निभाती हैं। वे टेलीफोन

वाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सलाह देती हैं। वे यह भी सलाह देती है कि विशेष श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध कोटे में से 50 प्रतिशत तक बिना बारी टेलीफोन कनेक्शन विशेष श्रेणी में दर्ज किन-किन आवेदको को दिये जायें।

(ख) जी हां।

(ग) विशेष श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज आवेदकों को, जिनमें सार्वजनिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं, टेलीफोन कनेक्शन देने की जो व्यवस्था की जाती है उसके अन्तर्गत आवेदकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर उनके लिए टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जाते हैं। ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों की जब जरूरत नहीं रहे जाती है तो उनका ट्रांसफर नहीं किया जाता बल्कि उन्हें त्यागना सरेंडर) पड़ता है।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत मार्गों (रूटों) का पुनर्निर्धारण

1792. **श्री शशि भूषण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अन्तगत विभिन्न मार्गो (रूटों) का पुनर्निर्धारण कार्य पूरा किया जा चुका है ;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की बसें किन-किन मार्गो पर किस-किस नम्बर से चलती हैं ; और ;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की नई समय सारिणी को कब तक प्रकाशित किये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली परिवहन निगम के अधीन बस मार्गो को सुप्रवाही बनाने का कार्य इस समय पूरा हो गया है। परन्तु मार्गो का पुनर्संगठन एक सतत प्रक्रिया है और नव विकसित बस्तियों से नियमित यात्रियों की मांग को दृष्टि में रखते हुये समय-समय पर परिवर्तन किये जाते हैं।

(ख) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10598/76]

(ग) एक नई मार्ग दर्शिका मई, 1976 के आस पास दिल्ली परिवहन निगम का प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

Research on ayurvedic system of Medicines by indians in West Germany

1793. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether recently certain Ayurvedic experts have been selected from India for Ayurvedic research in West Germany and various researches are being conducted there on the lines of this system of medicine;

(b) whether Ayurvedic system of medicine is much prevalent and popular in other countries such as Shri Lanka, Mauritius;

(c) whether a Central Council has been formed by Government for the development of this system; and

(d) if so, the achievement made by the Central Council during last three years?

The Minister of state in the Ministry of Health and Family Planning (Chaudhary Ram Sewak): (a) No Ayurvedic expert has been slected from India for Ayurvedic research in West Germany recently. We have no infomration about Ayuvcedic researches being conducted in West Germany.

(b) Ayurvedic system of medicine is practised in Shri Lanka and Mauritius.

(c) The Government of India have established two Councils—(1) Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy in 1969; and (2) Central Council of Indian Medicine under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 from 1st September, 1971. The main object of the first Council is to initiate aid, develop and co-ordinate scientific research in different aspects of the Indian systems of medicine and that of the second Council is the regulation of practice and centralisation of Ayurvedic education.

(d) The achievements of the two Councils are briefly as follows:—

I. *Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy.*

1. The Council has established therapeutic potentiality of a number of drugs for the treatment of epilepsy, schizophrenia, mentally retarded, high blood cholesterol, leucoderma etc.

2. The Council has evolved pharmacopoeial standards for 413 compound preparations and 200 single drugs.

3. 130 Forest Divsions/ areas of the country have been explored for medico-botanical wealth and to meet the drug requirements of the research institutions of the country.

4. The Council has surveyed and collected about 1500 folklore claims, cultivated about 1225 plants at experimental gardens and prepared 5638 identified herberium sheets.

5. It has evolved a graded yoga syllabus for schools and college students.

6. It has brough out a medical kit in Ayurveda for common man, for common ailments and published a book containing simple remedies in Siddha, Homoeopathy. Similar books in Ayurveda and Unani are under publication.

7. It has also undertaken research in Family Planning methods. Studies on drugs described in classics as possessing anti-fertility potentiality are at final stage of investigation.

II. *Central Council of Indian Medicine.*

1. The minimum standards for curriculum and syllabus for undergraduate education in Ayurvedia, Siddha and Unani have been formulated and recommended for implementation all over the country.

2. Minimum standards of curriculaum and syllabus for postagraduate educationin in Ayurveda, Siddha and Unani have been finalised by the Council.

सरकारी क्षेत्र के इस्पात एककों में फालतू कर्मचारियों का खपाया जाना

1794. श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात एककों में फालतू कर्मचारियों को अब लाभप्रद ढंग से खपा दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक एकक में अपेक्षित सामान्य संख्या से अधिक विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी अभी भी फालतू हैं ;

(ग) ऐसे फालतू कर्मचारियों के रख-रखाव के लिये कितना अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय व्यय होता है ; और

(घ) सरकार के पास उनकी सेवाओं का लाभप्रद उपयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पोस्ट कार्डों पर विज्ञापन का साइज

1795. श्री नरुल हुडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिक राजस्व प्राप्ति के विचार से पोस्टकार्ड पर विज्ञापन छापने की प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत विज्ञापन का साइज क्या होगा और यह पोस्टकार्ड के कितने स्थान पर आयेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : पोस्टकार्डों पर विज्ञापन छापने की पद्धति 5 जून, 1975 से चालू की गई है । पोस्टकार्ड पर विज्ञापन देने के लिए 3 सेंटीमीटर × $2\frac{1}{4}$ सेंटीमीटर जगह निश्चित की गई है । पोस्टकार्ड पर जनता के लिखने के लिए जो जगह है, उस पर विज्ञापन नहीं छापा जाता है ।

कलकत्ता और गोहाटी के बीच वाणिज्यिक जहाजरानी मार्ग

1796. श्री नूरुल हुडा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगला देश के जलमार्गों से होते हुए कलकत्ता और गोहाटी, करीम गंज और सिलचर (कछार जिला) के बीच वाणिज्यिक जहाजरानी मार्ग आरम्भ कर सकी है ,

(ख) क्या कछार जिले (आसाम) के व्यापारियों तथा आम जनता में इस मार्ग को कायम करने की जोरदार मांग रही है, और

(ग) क्या बंगाला देश सरकार इस कार्य में सहयोगी कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) कलकत्ता और गोहाटी और कलकत्ता और करीमगंज के बीच वाणिज्यिक नौवहन मार्ग खोल दिए गये हैं परन्तु कुसियारा नदी में पानी की कमी के कारण कलकत्ता–करीमगंज के बीच 5 फरवरी, 1975 से सेवा स्थायी रूप से बन्द कर दी गई है इस समय कलकत्ता-करीमगंज सेवा को सिलचर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : जी, हां ।

Foeticide as Family Planning Device

1797. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to use foeticide as a birth control device;

(b) whether other countries are also experimenting on this device; and

(c) whether this also forms part of Family Planning programme ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Ch. Ram Sewak): (a) No.

(b) According to information available, no country is experimenting on this method.

(c) Does not arise.

ब्रिटेन में पूर्वी अफ्रीका वासियों के प्रवास के लिये ब्रिटेन का कथित निर्णय

1798. **श्री एस० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन द्वारा उन सभी पूर्वी अफ्रीकियों को, जो ब्रिटेन में प्रवास करना चाहते हैं ब्रिटेन में उत्प्रवास की अनुमति देने के कथित निर्णय की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात पूर्वी अफ्रीका में बसे भारतीयों के मामले में भी सच है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख). ब्रिटिश सरकार ने इस आशय की कोई घोषणा नहीं की है । उन्होंने केवल यही कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम तथा उसके उप निदेशों के पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले नागरिकों यानी ब्रिटिश पासपोर्ट धारक पूर्वी अफ्रीकियों को ही यू० के० में बसने के लिए प्रवेश की अनुमति प्रदान करने को प्रतिबन्ध हैं । स्वाभाविक रूप से इसमें पूर्वी अफ्रीकी देशों में रहने वाले भारतीय मूल के वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो इस श्रेणी में आते हैं ।

पाकिस्तान द्वारा शस्त्रास्त्रों की प्राप्ति

1799. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा शस्त्रास्त्र की प्राप्ति से भारत के लिए एक प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गई है ;

(ख) क्या पाकिस्तान को बिक्री के अतिरिक्त शस्त्रास्त्र सप्लाई करने वाले देशों को भारत ने अपनी स्थिति से अवगत कराने के लिए राजनयिक कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) समुन्नत शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान की जी-तोड़ कोशिशों पर भारत को चिन्ता होना स्वाभाविक है और रक्षा साधनों के आयोजन के समय इस बात को ध्यान में रखा गया है ।

(ख) और (ग). जहां कहीं भी संभव हुआ है भारत ने सम्बद्ध सरकारों को यह समझाया है कि पाकिस्तान की सैन्य-शक्ति को उनकी वैध आवश्यकता से अधिक बढ़ाने से पाकिस्तान में सैन्यवादी प्रवृत्तियां उभर सकती हैं जिससे इस उपमहाद्वीप में स्थायी शांति की संभावनाओं को धक्का लगेगा ।

भारत-रूस संयुक्त आयोग

1800. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सोवियत रूस कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस की दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इसमें यह आश्वासन दिया गया है कि मास्को में भारत-रूस संयुक्त आयोग और योजना ग्रुप की आगामी बैठकें आदान-प्रदान वाली तथा लाभप्रद होंगी, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) इसमें न तो भारत-सोवियत संयुक्त आयोग का कोई उल्लेख था और न संयुक्त आयोग और योजना ग्रुप के मास्को में होने वाली आगामी बैठकों का ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आपात स्थिति का हड़तालों व तालाबन्दियों पर प्रभाव

1801. श्री शंकर राव सादन्त :

श्रीमति सावित्री श्याम :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति का सरकारी एवम् गैर-सरकारी उपक्रमों में हड़तालों तथा तालाबंदियों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् हड़तालों और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए कार्य दिनों की संख्या 17,103,78 कार्य दिनों

(वर्ष 1975 के पूर्वार्द्ध के दौरान) से घट कर 4,459,943 (वर्ष 1975 के उत्तरार्द्ध के दौरान) हो गई। इसका सरकारी और निजी क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र	निम्नलिखित में नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या	
	पहला आधा वर्ष (जनवरी–जून, 1975)	दूसरा आधा वर्ष (जुलाई-दिसम्बर, 1975)
सरकारी (अ)+	1,618,800	120,433
निजी (अ)+	15,484,978	4,339,510
जोड़	17,103,778	4,459,943

+आंकड़े अनंतिम हैं।

विदेशों में भारतीयों द्वारा भारत विरोधी लेख तथा वक्तव्य

1802. श्री राजदेव सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कुछ भारतीय शाह 'भारत विरोधी लेख लिख रहे हैं तथा वक्तव्य' दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में भारतीयों के ऐसे लेखों और वक्तव्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को दबाने के उपायों पर विचार कर रही है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार के लोगों ने अपने भाषणों और लेखों में निंदा करके तथा तथ्यों को ग़लत पेश करके देश को, देश के नेताओं और संस्थाओं को कमजोर और बदनाम करने की कोशिश की है।

(ग) इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिए इन राष्ट्रिकों को सही स्थिति समझाने के लिए ताकि विदेशों में वे उसे सही रूप में प्रस्तुत करें, जिस मामले में जैसी जरूरत हुई है वैसी कार्रवाही की गई है।

राष्ट्रीय न्यूनतम कार्य-दिवस नियत किया जाना

1803. श्री एस० रामगोपाल रेड्डी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एम्पलायर्स फेडरेशन आफ इंडिया' के अध्यक्ष ने सरकार से अनुरोध किया है कि कर्मचारियों की अनुपस्थिति से बचने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम कार्य-दिवस नियत किए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सरकार, भारतीय नियोजक संगठन के अध्यक्ष द्वारा मद्रास में 13 और 14 फरवरी, 1976 को हुए तृतीय औद्योगिक संबंध सम्मेलन में दिए गए भाषण में इस संबंध में शामिल किए गए सुझाव से अवगत है ।

(ख) सुझाव नोट कर लिया गया है ।

कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम मंजूरी

804. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी के बारे में 8 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 296 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960–61 के मूल्यों को आधार मानकर संबंधिक राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजूरी के पुनरीक्षण के बाद की स्थिति क्या है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें पुनरीक्षित मजूरी वास्तव में लागू कर दी गई है ; और

(ग) क्या ऐसा आरोप लगाया गया है कि अनेक राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति के लिए आवश्यक संगठनात्मक और नीति संबंधी उपाय नहीं किये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) . कृषि सबंधी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारत), जो 1960–61 में 100 प्वाइण्टों से आरम्भ हुआ, फरवरी, 1976 के महीने में 292 प्वाइण्ट पर था । चूंकि वस्तुओं के रूप में भुगतान करने की पद्धति है, इसलिये यर्थात्तः यह मापना कठिन है कि क्या कुल परिलब्धियां उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के साथ साथ चली हैं । तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि जहां न्यूनतम मजदूरियां कम है उन्हें संशोधित कर के बढ़ाये और अधिसूचित न्यूनतम मजदूरियो के प्रभावी प्रवर्त्तन को सुनिश्चित करें ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ऐसे आरोपों से अवगत नहीं है । राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, वे अधिनियम को कार्यान्विति प्राप्त करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में जागरुक हैं, और कार्यन्वयन तत्र को तोब्र करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

व्यापारिक जहाजों पर कर्मचारी व्यवस्था

1805. **श्री सत्तर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक समुद्री यात्रा के लिए व्यापारिक जहाजों पर सही तथा समुचित कर्मचारी व्यवस्था के प्रमाणीकरण के लिए नियम तैयार कर लिए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) उक्त कर्मचारी व्यवस्था को कौन सा अधिकारी प्रमाणित कर सकता हैं और उक्त प्रमाणीकरण कितने समय पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए ; और

(घ) क्या सरकार को इन नियमों के उल्लघंन की जानकारी है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख). व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 76 के अन्तर्गत निर्दिष्ट अधिकारियों की कर्मीदल तालिका निर्धारित कर दी गयी है, परन्तु व्यापार पोत अधिनियम की धारा 88 के अनुसार सरकार ने नाविकों की न्यूनतम कर्मीदल तालिका निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा । भारतीय पोतों पर नाविकों की कर्मीदल तालिका अतर्राष्ट्रीय कर्मीदल पद्धति की अपेक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी अधिक है । देश में वर्तमान बेरोजगारी की स्थिति में इस उदार कर्मीदल को लाभप्रद समझा गया है ।

(ग) व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 84 के अन्तर्गत जहाज के मास्टर को ऐसी प्रतियोगिता का प्रमाणपत्र पेश करना होता है जो उसके जहाज पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा रखी गयी हो, जैसा कि अधिनियम की धारा 3(46) के अन्तर्गत परिभाषित है । जिस पर उसके द्वारा जहाज मालिक को प्रमाण पत्र दिया जाता है कि उचित प्रमाण पत्र पेश कर दिए गए हैं। सोना शुल्क समहर्ता द्वारा किसी जहाज को बिना ऐसा, प्रमाण पत्र दिए कोई स्वीकृति नहीं दी जाती है ।

(घ) जी नहीं ।

निजी नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता

1806. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक निजी नौवहन कम्पनी को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ;

(ख) यह सहायता किस किस प्रयोजन के लिए दी गयी,

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक नौवहन कम्पनी को वर्ष 1972–73 से 1974–75 तक वर्षवार, कुल कितना लाभ हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) अब तक उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है :

कम्पनी का नाम	वर्ष जिसमें ऋण स्वीकृत किया गया	स्वीकृत ऋण की राशि (रु० लाखों में)	कुल
1. मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कं० लि०	1973–74 1974–75	240.49 कुछ नहीं	240.49
2. मैसर्स रत्नाकर शिपिंग कं० लि०, बम्बई	1973–74 1974–75	2.00 कुछ नहीं	2.00
3. मैसर्स सेवन सिज ट्रांसपोर्टेशन लि०, बम्बई	1973–74 1974–75	2.00 कुछ नहीं	2.00
4. मैसर्स साऊथ इंडिया शिपिंग कारपोरेशन, लि०, मद्रास	1973–74 1974–75	1.00 कुछ नहीं	1.00
5. मैसर्स हिन्दुस्तान ब्लक कैरियरस लि०, बम्बई	1973–74 1974–75	*1323.00 कुछ नहीं	*1323.00
		कुल	1568.49

* कोई भी ऋण की रकम का वितरण नहीं किया जाता क्योंकि कम्पनी में आवश्यक पूंजी की व्यवस्था नहीं की गयी है

(ख) भारतीय नौवहन टनभार की वृद्धि की सुविधा के लिए जहाजों के अभिग्रहण तथा रखरखाव के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) मार्गदर्शन के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं :

1. **पात्रता** : कम्पनी जो व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 21 (ख) की शर्तें पूरा करती है

2. ऋण की मात्रा, अधिबगन अवधि तफा प्रारम्भिक परिशोधन की अवधि :

जहाज की किस्म तथा ऋण की प्रतिशतता	परिशोधन की अधिकतम अवधि	मूलधन की वापसी पर प्रारम्भिक परिशोधन की अधिकतम अवधि
(1)	(2)	(3)
1. नये शुष्क माल जहाजों और यात्री जहाजों के लिये जिनका निर्माण विदेशी शिपयार्डों में हुआ 90% तक	16 वर्ष	1 वर्ष
2. भारतीय शिपयार्डों में निर्मित नये शुष्क माल और यात्री जहाजों के लिए 95 %	17 बर्ष	2 वर्ष
3. भारत और विदेश में बने नये टैंकरों के लिए 90 %	14 वर्ष	1 बर्ष
4. बरते हुए शुष्क माल जहाज और टैंकरों के लिए 75%	अवशिष्ट आयकर अवधि का 2/3	1 वर्ष

बरते हुए पोतों की खरीद के लिए जिनकी आय की अवशिष्ट आयु पांच वर्ष से कम हो, को कोई ऋण नहीं दिया जाता । सामान्यता एक पोत की आयु बीस वर्ष ली जाती है ।

3. ऋण पर ब्याज

8 % अर्धवार्षिक देय 8 % प्रतिवर्ष यदि ऋण लेने वाला निर्धारित तिथि पर अदायगी दे देता है तथा ऋण करार के अन्तर्गत सभी शर्तों को पूरा करता है तथा ऋण संबंधी सभी कागजी कार्यवाही पूरी कर देता है, 8 % के बजाय 4–1/2 % प्रतिवर्ष ब्याज स्वीकार कर लिया जाता है ।

4. **जमानत** एस डी एफ़ सी द्वारा दिये गये ऋण अथवा समय-समय पर दी नई गारन्टी इनमें जो भी अधिक हो के विरुद्ध 120% की सुरक्षा देनी होती है । कम्पनी को रहन किए गए पोतों के विरुद्ध ऋण गारंटी राशि की 133–1/3% का बीमा करना पड़ता है । कोई भी और जमानत (जो कि ऋण की राशि के 120% से अधिक हो) विदेशी बैंकों/संधानों आदि से ऋण की सुरक्षा-राशि के रूप में नही ली जानी चाहिए तथा उस ऋण के ब्याज की न अदायगी दोष के लिए एस डी एफ़ सी के करार में यह धारा विनिर्दिष्ट करनी चाहिये ।

5. **ऋण क्विटी अनुपात** (1) 10 मिलियन रुपये से अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली कम्पनियों के लिए 6:1

(2) 10 मिलियन रुपये से कम की प्रदत्त पूंजी वाली कम्पनियों के लिए 4:1

परन्तुक : समिति ऋण इक्विटी अनुपात को 10:1 तक दे सकती है जहां कहीं कम्पनी केवल गारण्टी देती है न कि ऋण —

6. ऋण तथा इक्विटी में निम्नलिकृखत सम्मिलित हैं :

ऋण—मैं सभी वापसियां जो पांच वर्ष से पहले देय नहीं हैं, सम्मिलित हैं तथा प्रिफरेंस शेयर जो कि जारी किए जाने के 12 वर्ष बाद मोचनीय हो।

7. नौवहन व्यापार : ऋण का उपयोग करने वाली कम्पनियों को केवल नौवहन व्यापार ही करना होता है।

8. **एस डी एफ सी के सदस्य** : ऋण का उपयोग करने वाली कम्पनियों को अपने निदेशको के बोर्ड में एस डी एफ़ सी के दो सदस्यो को नामांकित करना होता है

मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए भी वित्तीय सहायता के मामले में ऐसे ही मार्ग दर्शन जारी किए गए हैं।

अब तक प्राप्त सूचना निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

कम्पनी का नाम	1972–73	1973–74	1974–75
1. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	429.40	359.35	1088.83
2. दामोदर बल्क कैरियर्स लिमिटेड	47.31	33.85	73.82
3. सैवन सीज ट्रांसपोर्टेशन लि० (6–6–71 को निगमित)	वर्ष समाप्ति (दिसम्बर, 73)	वर्ष समाप्ति (दिसम्बर, 74)	
	—	40.22	134.01
4. इण्डिया स्टीमशिप्स लिमिटेड	169.81	339.00	819.00
5. चौगले स्टीमशिप्स लि०	86.38	72.25	37.14
6. सिंधिया स्टीम नेवीगेशन को० लि०	वर्ष समाप्ति (जून, 73)	वर्ष समाप्ति (जून, 74)	
	673.88	886.42	1652.02
7. सुरेन्द्रा ओवरसीज लि०	(–) 26.44	23.54	तुलन पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ
8. डेम्पो स्टीमशिप लि०	(–) 33.29	315.97 (15 महीने)	—यथोक्त—
9. साउथ इण्डिया शिपिंग को० लि०	(–) 43.45	353.38 (15 महीने)	546.99
10. रत्न कर शिपिंग को० लि०	13.78	55.99	89.16

टिप्पणी : उपदर्शित लाभ/हानि राशि मूल्यह्रास की व्यवस्था करने के बाद परन्तु विकास छूट आरक्षण तथा कराधान की व्यवस्था करने से पूर्व की है।

भारतीय विदेश व्यापार में भारतीय नौवहन का अंश

1807. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ग (1) विदेशी तथा (2) भारतीय नौवहन कम्पनियों को माल भाड़े के रूप में कुल कितनी धनराशि अदा की ;

(ख) वर्ष 1965–66 और 1974-75 में भारतीय विदेश व्यापार में भारतीय नौवहन का कितना अंश था ; और

(ग) इस संबंध में हमारे देश के अंश में वृद्धि करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) राष्ट्रीय व्यापार बेड़े में विस्तार करने के अपने प्रयत्नों को जारी रखने के अतिरिक्त भारतीय जहाजों के बाहर भाटकित करके और विदेशी जहाजों को भाटकित करने की क्रियाविधि को इस दृष्टि से नियमित किया जाता है ताकि भारतीय समुद्रपारीय व्यापार की ढुलाई में भारतीय जहाजों का अधिकतम प्रयोग हो सके । केन्द्रीय चार्टरिंग संगठन, ट्रांसचार्ट यह सुनिश्चित करता है कि जहां तक हो सके सरकार के खाते में ढुलाई का माल भारतीय जहाजों द्वारा ढोया जाता है ।

विवरण

(क) भारतीय समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय नौवहन कम्पनिया द्वारा भाड़ा कमाई तथा गत 3 वर्षों में विदेशी नौवहन कम्पनियों को दी गयी भाड़ा कमाई की कुल राशि निम्न प्रकार है :—

	1972–73	1973–74	1974–75
			(पये करोड़ों में)
1. भारतीय कम्पनियों की भाड़ा कमाई	157.67	178.05	291.16
2. विदेशी नौवहन कम्पनियों को भाड़ा अदायगियां (लगभग अनुमानित राशि)	217.44	369.32	485.51

(ख) भारतीय समुद्रपारीय व्यापार में 1965–66 में भारतीय नौवहन का भाग 12.9 प्रतिशत था और 1974-75 में यह भाग 27.75 प्रतिशत हो गया ।

अलौह धातुओं का आयात

1809. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973, 1974 और 1975 के दौरान अलौह धातुओं का कितना और कितने मूल्य का उत्पादन और आयात किया गया ; और

(ख) अलौह धातुओं के उत्पादन में हमारा देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) फिल हाल देश एल्यूमिनियम धातु के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है । वास्तव में एल्यूमिनियम उत्पादकों को 5000 टन ई० सी० ग्रेड तथा 15,000 टन ई० सी० ग्रेड से भिन्न एल्यूमिनियम के निर्यात का अधिकार दे दिया गया है । कुछ निर्यात 1975–76 के दौरान पहले ही किया जा चुका है ।

जहां तक तांबा, जस्ता तथा सीसा का सम्बन्ध है, विवरण से यह स्पष्ट है कि देशी उत्पादन बढ़ रहा है और फलस्वरुप आयात घट रहा है । मांग और देशी उत्पादन के बीच का अन्तर लगातार कम होता जा रहा है ।

यद्यपि मुख्य अलौह धातुओं के देशी उत्पादन को बढ़ाने की योजनाओं को लागू किया जा रहा है लेकिन औद्योगिक कार्यों के विस्तार से मांग भी बढ़ेगी । तांबा तथा जस्ता के लिए चल रहीं विविध परियोजनाओं को देखते हुए यह आशा की जाती है कि देश इन धातुओं के मामले में पांचवी योजना के अन्त तक लगभग आत्म निर्भर हो जाएगा । लेकिन सीसा के मामले में हम 6ठीं योजना के दौरान ही आत्म निर्भर हो पाएंगे ।

निकिल के बारे में, सुकिंग निकिल परियोजना के चालू हो जाने पर छटी योजना के दौरान किसी समय देशी उत्पादन शुरू होगा । लेकिन तब तक मांग के भी काफी बढ़ जाने की संभावना है अतः देशी उत्पादन से केवल आंशिक मांग की ही पूर्ति हो सकेगी ।

चूंकि देश में टिन के वाणिज्यिक महत्व के भंडार नहीं है अतएव इस धातु का आयात जारी रखना होगा ।

विवरण

I. मुख्य प्राथमिक अलौह धातुओं का 1973, 1974 तथा 1975 के दौरान उत्पादन इस प्रकार रहा :–

टनो में

	1973	1974	1975
(i) एल्यूमिनियम	1,54,289	1,28,913	1,66,986
(ii) तांबा	12,162	12,505	22,020
(iii) जस्ता	20,190	23,857	25,727
(iv) सीसा	2,636	3,986	4,769

II. उत्पादित अलौह धातुओं का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त I के अनुसार)

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1973	101.90
1974	145.65
1975	219.50

III. प्रमुख प्राथमिक अलौह धातुओं का वर्ष 1973, 1974 तथा 1975 के दौरान खनिज व धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात निम्नलिखित है :–

टनों में

	1973	1974	1975
(i) तांबा	44049	42355	12548
(ii) जस्ता	61331	64195	37748
(iii) सीसा	36055	39206	12008
(iv) टिन	2090	2142	2283
(v) निकिल	795	2751	2568

IV. आयातित अलौह धातु का मूल्य (उपर्युक्त-III के अनुसार) :—

वर्ष	(करोड़ रूपयों में)
1973	94.79
1974	163.49
1975	69.72

नाविकों की अदायगी की अन्तराष्ट्रीय पद्धति

1809. **श्री ए० के० गोपालन:** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नाविकों को अदायगी की अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है,

(ग) क्या भारतीय जहाज मालिक इस प्रणाली को कार्यान्वित कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अदायगी की उक्त प्रणाली की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) तथा (ख). पोतों पर नाविकों की भर्ती प्रत्येक यात्रा के कर्मीदल द्वारा हस्ताक्षरित की नियमावली करार के आधार पर की जाती है । कोई भी नाविक स्टाम अधिकारी द्वारा (सी डी सी०) के जारी किए बिना काम पर नहीं लगाया जाता । मंजूरी की अदायगी यात्रा की समाप्ति पर पतन पर शिपिंग मास्टर के समक्ष नाविकों के हस्ताक्षर करने के बाद की जाती है । भारतवर्ष में मंजूरी की अदायगी नाविकों को व्यापार पोत अधिनियम 1958 की व्यवस्था के अनुसार की जाती है । यह पद्धति यू० के० तथा कुछ देशों में प्रचालित पद्धति के अनुरूप है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बंधित श्रमिकों को भूमि का आबंटन

1810. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधित श्रमिकों को भूमि का आबंटन करने के लिये कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे कितने बंधित श्रमिक लाभान्वित हुए ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख). केन्द्र ने राज्य सरकारों को मुक्त कराए बन्धक श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि के आवंटन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं । अभी तक, लाभान्वित हुए बन्धक श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

एशियाई लोगों द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद बी बी सी द्वारा रंगभेद सम्बन्धी फिल्म का प्रदर्शन

1811. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री वसन्त साठे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० बी० सी० प्रत्येक शनिवार अपने टेलीविजन चेनल संख्या 2 पर उस फिल्म का बार-बार प्रदर्शन कर रहा है जिसकी इंग्लैंड स्थित एशियाई संगठन ने एक घोर रंगभेद प्रचारक फिल्म कहकर रोषपूर्ण भर्त्सना की है ;

(ख) क्या साऊथहाल इंग्लैंड के भारतीय कर्मचारी संगठन ने बी० बी० सी० को अदालती कार्यवाही करने तक की धमकी दी है ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को देखने वाले कुछ एशियाई लोगों के मतानसार इंग्लैंड में आप्रवासी लोगों को गलीज दर्शाया गया है जो ब्रिटेन में खुजली जैसी बीमारियां लाते हैं और फिर अन्त में व्यापार और वाणिज्य पर कब्जा करके स्थानीय लोगों की रोजी छीन लेते हैं ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी है और कोई विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) : बी० बी० सी० दूरदर्शन का एक 'ओपन डोर' शीर्षक ऋंखलाबद्ध कार्यक्रम है जिसमें गैर सरकारी वर्ग के व्यक्तियों को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अनुमति है। एशियाई आप्रवासी संगठनों द्वारा तैयार किए गए दो कार्यक्रम इस श्रृखला में दिखाए गए जिनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि भारतीय तथा पाकिस्तानी अ प्रवासी ब्रिटेन में उपयोगी तथा रचनात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। जब यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर दूसरी बार दिखाया गया था तो 'आप्रवासन रोकने का ब्रिटिश अभियान' (ब्रिटिश कम्पेनटू स्टाप इमिग्रेशन) नामक एक गैर सरकारी संगठन ने इसी श्रृखंला में 28 फरवरी, 1976 को एक फिल्म प्रस्तुत की जिसमें एशियाई आप्रवासियों की बुराई की गई थी। बी० बी० सी० से एशियाई संगठनो के यह विरोध करने के बावजूद कि इस फिल्म से जातिगत हिंसा भड़क सकती है तथा फिल्म को फिर से दिखाने पर न्यायालय से निषेधाज्ञा न प्राप्त कर पाने पर यह फिल्म 6 मार्च 1976 को फिर दूरदर्शन पर दिखाई गई। इसके बाद यह फिल्म फिर दिखाई गई।

(ख) साउथहाल के 'भारतीय कामगार संघ' तथा कुछ अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से ब्रिटेन के महान्यायवादी से बी० बी० सी० तथा इस फिल्म के निर्माता पर घृणा और हिंसा बढ़ावा देने के आरोप पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। ऐसा न होने पर उन्होंने बी० बी० सी० पर स्वयं मुकद्दमा करने के लिए महान्यायवादी से अनुमति मांगी है।

(ग) कुछ ऐसे क्षेत्रों की, जहां एशियाई आप्रवासी रहते हैं, गंदी गलियों के दृश्य दिखाये गये थे। फिल्म से यह भी आभास मिलता था कि निरंतर आप्रवासन से स्थानीय लोगो को रोजगार संभावनाएं प्रभावित हो सकती है। लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह लगे कि आप्रवासियों के कारण ब्रिटेन में बीमारियां आ रही हैं।

(घ) ब्रिटिश फारन आफिस को इस मामले के बारे में बता दिया गया है तथा लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन ने भी बी० बी० सी० से अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है।

स्वीडन के विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य

1812. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वीडन के विदेश मंत्री के हाल ही के दौरे के दौरान उन्होंने यह कहा था कि उनकी सरकार विकासशील देशों के ऋणों को समाप्त करने की आवश्यकता की हिमायत करती है और चाहती है कि सभी विकसित देशों को कुल राष्ट्रीय उत्पाद का एक प्रतिशत भाग विकास सहायता निधि के रूप में अलग से रख देना चाहिए।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : जी हां। मार्च 1976 में भारत यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में श्री स्वेन एण्डरसन ने यह बात कही थी। उन्होंने यह संकेत भी दिया था कि स्वीडन सभी विकसित देशों का इस विचार से सहमत होने का इंतजार नहीं करेगा। वह इन प्रस्तावों पर खुद अकेला ही अमल करने को तैयार है।

बंधित श्रम

1813. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी बंधित श्रमिक कब तक मुक्त कर दिए जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार के इस निर्णय को क्रियान्वित करने में बाधा डालने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) बंधक श्रमिक पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, जो 25-10-1975 से लागू हुआ, के अन्तर्गत बंधक श्रम पद्धति सारे देश में समाप्त कर दी गयी है। तथापि, उनके शीघ्र आर्थिक पुनर्वास के लिए ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) और (ग). अब तक उत्तर प्रदेश राज्य से अभियोजन के छः मामले सूचित किए गए हैं।

राज्यों के लिये महिलाओं और पुरुषों के आपरेशन के लिए निर्धारित लक्ष्य

1814. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के लिए पुरुषों और महिलाओं का आपरेशन करने के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए मार्च, 1976 के अन्त तक क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कहां तक सफलता मिली है; और

(ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी रण सेवक) (क) और (ख) पुरुषों और स्त्रियों दोनों के नसबंदी आपरेशनों के लक्ष्य इकट्ठे निर्धारित किये जाते हैं न कि अलग-अलग। तदनुसार, विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में वर्ष 1975-76 (अप्रैल, 1975 से फ़रवरी, 1976 तक) में वार्षिक लक्ष्यों और उपलब्धियों के साथ-साथ पुरुषों और स्त्रियों का ब्यौरा भी संलग्न विवरण में दिया गया **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—105/99/76]**

(ग) परिवार नियोजन एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है । राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं ।

मुगल लाइन्स के लिये ऋण

1815. **श्री शंकर राव सावन्त :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार कोंकण तट पर, जहां के पत्तनों पर अधिकांशतया उथला प्रवाह है, उथले पानी में चल सकने वाले छोटे जहाज खरीदनेहेतु मुगल लाइन्स को आसान शर्तों पर ऋण मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डी० डी० ए० की कालोनियों में परिवार नियोजन केन्द्र

1816. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन दिल्ली की नई पुनर्वास बस्तियों में औषधालय और परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की झुग्गी-झौंपड़ी पुनर्वास बस्तियों अर्थात् दक्षिणपुरी, मदनगीर, नांगलोई, सीलमपुर, वजीरपुर, सीमापुरी, मादीपुर, सनलाइट और श्रीनिवासपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के नौ औषधालयों में चिकित्सा और परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ।

विभिन्न झुग्गी-झौंपड़ी पुनर्वास बस्तियों में दिल्ली प्रशासन द्वारा हस्पताल, रघवीर नगर, बुद्ध नगर, पांडुनगर और शकरपुर में खोले गए पांच औषधालयों द्वारा भी चिकित्सा और परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ।

दिल्ली नगर-निगम ने भी नांगलोई और सीलमपुर में 2 परिवार नियोजन केन्द्र खोले हुए हैं ।

दिल्ली नगर-निगम और नई दिल्ली नगरपालिका का एक-एक सचल एकक तीन पुनर्वास बास्तयों अर्थात् खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी में हर रोज जाता है । एक सचल एकक रैडक्रास सोसाइटी का भी सप्ताह में दो बार इन तीनों बस्तियों में जाता रहता है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की पुनर्वास बस्तियों में उनके नजदीकी क्षेत्रों में स्थित संस्थानों द्वारा अर्थात् हरिनगर में दिल्ली प्रशासन द्वारा खोले गए परिवार नियोजन केन्द्र, नवीन शाहदरा में रेडक्रास सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन केन्द्र द्वारा, तिलक नगर में दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन केन्द्र द्वारा और जनरल अस्पताल शाहदरा में दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन केन्द्र द्वारा भी चिकित्सा और परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

दिल्ली के अस्पतालों में वरिष्ठ "हाउस सर्जन"

1817. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1 मार्च, 1976 को नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल, सफ़दरजंग अस्पताल, आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ़ मेडिकल साइन्सेज में वरिष्ठ "हाउस सर्जनों" के रूप में कितने डाक्टर काम कर रहे थे ; और

(ख) उनमें से कितने डाक्टर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) और (ख). सीनियर रेजिडेन्टों के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

	1-3-1976 की स्थिति के अनुसार		
	कुल संख्या		
	सीनियर रेजिडेंटों की	अनुसूचित जाति की	अनुसूचित जन-जाति की
सफ़दरजंग अस्पताल .	56	1	—
विलिंगडन अस्पताल .	32	1	—
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	78	—	—

पटना टेलीफोन व्यवस्था

1818. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 'पटना टेलीफोन व्यवस्था' के योगकर्ताओं द्वारा प्रति दिन कितनी औसत कालें की गईं;

(ख) वर्ष 1975–76 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 'पटना टेलीफोन व्यवस्था' के प्रतियोगकर्ता के माध्यम से स्थानीय ट्रंक कालों से प्रति टेलीफोन कनेक्शन कितनी औसत आय हुई;

(ग) 'पटना टेलीफोन व्यवस्था' में प्रतीक्षा सूची में कितने ग्राहक हैं ;

(घ) क्या 'पटना टेलीफोन व्यवस्था' के अकुशल रख-रखाव के कारण बहुत बार दो टेलीफोन वार्ताओं का आपसी व्यतिक्रमण होता है और गलत टेलीफोन मिल जाता है ; और

(ङ) उक्त सेवाओं की कार्य-कुशलता में सुधार करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) प्रति उपभोक्ता प्रतिदिन 11.04 कालें।

(ख) प्रति उपभोक्ता प्रतिमास 132.34 रुपये।

(ग) 24–3–76 को 347।

(घ) ऐसी कोई सामान्य शिकायत नहीं है ।

(ङ) इस सेवा पर निगरानी रखने और उसमें सुधार लाने के लिए नियमित रूप से नेमी जांच कार्य किया जाता है । उपस्कर में कम खराबियां आएं, इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है ।

बिहार सर्किल में कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

1819. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत डाक व तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार सर्किल में प्रत्येक स्थान पर कितने तथा किस-किस टाइप के क्वार्टर बनाये जायेंगे :–

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) छपरा में टाइप I से 4 और टाइप II के 8 तथा दरभंगा में टाइप I के 24 और टाइप II के 30 क्वार्टर बनवाने का प्रस्ताव है।

बोकारो में टाइप I के 72, टाइप II के 108, टाइप III के 18 और टाइप IV के 2 क्वार्टर बनवाने की योजना हैं और निधि उपलब्ध होने पर इनमें से कुछ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने के प्रयत्न भी किए जाएंगे ।

बिहार सर्किल में नये विभागीय तारघर खोलना

1820. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल के अन्तर्गत सिवान, हाजीपुर, मोतीहारी, समस्तीपुर और आरा में नये विभागीय तारघर खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) ये विभागीय तारघर कब तक खोले जाने की आशा है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :(क) जी हां, केवल मोतिहारी को छोड़कर जहां के संयक्त डाक-तार घर को विभागीय तारघर में बदलने का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

(ख) चूंकि प्रस्तावों पर अभी कार्रवाई चल रही है, इसलिए इस बारे में कोई निश्चित समय बता पाना संभव नहीं हैं ।

Action against factory owners for lay-offs and closures in Bihar and West Bengal

1821. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether many factory owners of Bihar and Bengal are not even now following the policy of Government declared after the emergency that they will not resort to closures and lay-offs;

(b) the number of factories closed down and the number of workers rendered unemployed after the proclamation of emergency; and

(c) whether Government have taken any action against these factory owners ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c). According to the information furnished by the Governments of Bihar and West Bengal,

the relevant data relating to closures for the period 1-7-1975 to 31-12-1975, is as under:—

State	Number of units closed down	Number of workers involved.
Bihar.	10	1537
West Bengal	45	4218

Government has already amended the Industrial Disputes Act, 1947 making it necessary for employers of industrial establishments to which the amendment Act, 1976, applies to obtain prior approval of the appropriate Government before the establishment is closed down. The amendment Act came into force with effect from the 5th March, 1976. It is for the State Governments concerned to take action against the factory owners who violate the provisions of the amendment Act.

परिवार पेंशन निधि योजना के लेखे विवरण

1822. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार पेंशन निधि योजना लागू हो जाने के बाद सदस्यों को उनके लेखा-विवरण, जिनमें उनके अंशदान की जमाराशि दिखाई जाती है नहीं दिए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों को इस शिथिलता के कारणों का पता लगाने हेतु कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार का इस बारे में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों के कार्यकरण को कब तक क्रमबद्ध किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) सदस्यों को परिवार पेंशन निधि के लेखा-विवरण नहीं दिए गए हैं क्योंकि कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में ऐसे विवरण जारी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत-पाकिस्तान मुशायरा

1823. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भारत-पाकिस्तान मुशायरा होने वाला है अथवा हो चुका है ;

(ख) क्या इस प्रकार के क्रियाकलापों से भारत-पाकिस्तान के संबंधों में सुधार होने की संभावना है ; और

(ग) क्या ऐसे मुशायरे भविष्य में पाकिस्तान में भी बुलाये जायेंगे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) दिल्ली की शंकर लाल मुरलीधर समिति 1965 तक हर वर्ष मुशायरा आयोजित करती रही है जिसमें भारत और पाकिस्तान के शायर भाग लेते थे । बाद में पाकिस्तानी शायरों के भाग न लेने की वजह से इस वार्षिक कार्यक्रम को बंद करना पड़ा । परन्तु इस वर्ष इस मुशायरे में दो पाकिस्तानी शायरों ने भाग लिया था ।

(ख) और (ग). भारत सरकार के विचार से ऐसे सांस्कृतिक आदान-प्रदानो से निकटतर समझ-बूझ पैदा करने में सहायता मिल सकती है । ऐसा समझा जाता है कि बम्बई के कलाकारों के एक दल को कराची की किसी संस्था ने पाकिस्तान आने का आमंत्रण दिया है ।

मोजम्बीक के लिये राष्ट्रमंडल सहायता योजना

1824. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राष्ट्रमंडलीय देशो के साथ भारत भी मोजम्बीक के लिये सहायता योजना में शामिल हो गया है जिसका उद्देश्य रोडिशिया के साथ उस देश की सीमा बन्द हो जाने के फलस्वरूप वहां उत्पन्न घोर आर्थिक संकट को दूर करना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :

(क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रमंडल प्रतिबंध समिति--जिसमें भारत का भी प्रतिनिधित्व है-- की बैठक 4 मार्च, 1976 को लंदन में हुई थी जिसमें राष्ट्रमण्डल सचिवालय के महासचिव को यह प्राधिकार दिया गया था कि वे मोजाम्बिक की सरकार के साथ संपर्क स्थापित करके इस बात का पक्का पता लगायें कि रोडेशिया के साथ अपनी सीमा बंद कर लेने के कारण मोजाम्बिक में जो आर्थिक गड़बड़ी हुई है उसे दूर करने के लिए उसकी क्या जरूरतें हैं। तदनुसार, महासचिव ने मोजाम्बिक का दौरा किया और वहां की सरकार के नेताओं के साथ बातचीत की तथा मोजाम्बिक को तत्काल सहायता देने के बारे में कुछ प्रस्ताव रखे । भारत सरकार ने मोजाम्बिक को राष्ट्रमण्डल के सामूहिक अंशदान के एक अंग के रूप में 900,000 रु० का अनुदान दिया है ।

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थ ई मिशन की सुरक्षा

1825. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थाई मिशन को दी गई धमकियों पर उसकी सुरक्षा करने के लिये अमरीका सरकार से अनुरोध करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्य देशों के साथ भारत भी शामिल था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने समुचित प्राधिकारियो से औपचारिक शिकायत की है और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के स्थायी मिशन को भी इन घटनाओं की सूचना दे दी है । अमरीकी प्राधिकारियों ने इस पर खेद प्रकट किया है और अपना उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के संबंध में अपने आश्वासनों को पुनः दोहराया है ।

भारत सहित अन्य अनेक देशों के स्थायी मिशनों के विरुद्ध हुई इन घटनाओं और आक्रमणों पर विचार-विमर्श करने के लिए हाल में संयुक्त राष्ट्र की 'आतिथेय संबंध समिति' की भी बैठक हुई थी जिसमें संबद्ध मिशनो के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार करके मेजबान देश से कहा गया है कि इन आपराधिक कार्रवाइयों के लिए दोषी व्यक्तियों को पकड़ने, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने और उन्हें दंड देने के लिए उसे सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

1826. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड अभी तक स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अधीन कार्य कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के पूर्ण स्वामित्व में उसकी एक सहायक कम्पनी है, इसलिए उसका स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के अधीन कार्य करना उचित ही है ।

उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में खनिज निक्षेप

1827. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में कौन से महत्वपूर्ण खनिज निक्षेप पाये गये हैं और उनकी मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या मंसूरी तथा संलग्न पहाड़ी क्षेत्रों में संगमरमर और चूना-पत्थर निकालने का काम अव्यवस्थित और बहुत ही अवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है जिससे यह राष्ट्रीय सम्पत्ति बेकार जा रही है और पहाड़ियां कट रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस क्रिया को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) एक विवरण संग्लन है।

(ख) व (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार समस्या से अवगत है । संगमरमर तथा चूना पत्थर की अधिक वैज्ञानिक तरीके से खुदाई में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा भारतीय खान ब्यूरो, जी० एस० आई० खान सुरक्षा निदेशालय तथा राज्य भू-तत्व तथा खान निदेशालय के भू-वैज्ञानिकों व इंजीनियरों की एक समिति बनाई गई है ताकि स्थिति पर व्यापक रूप से विचार किया जा सके और सुधार के बारे में सुझाव दिए जा सकें ।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज

क्र० सं०	महत्वपूर्ण खनिज भंडार	जिला	मात्रा (मिलियन टनों में)
1.	चूना पत्थर . .	पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल	382.04
2.	डोलोमाइट	टिहरी गढ़वाल	2.00
3.	फास्फेट	देहरादून टिहरी गढ़वाल	18.05
4.	जिप्सम .	देहरादून नैनीताल टिहरी गढ़वाल	0.20
5.	मैग्नेसाइट . .	अलमोड़ा पिथौरागढ़	33.83
6.	तांबा, सीसा व जस्ता .	पिथौरागढ़	0.77
7.	सेलखड़ी .	अलमोड़ा	1.00

देहरादून, ऋषिकेश तथा विकास नगर में टेलीफोन एक्सचेंज

1828. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून, ऋषिकेश तथा विकास नगर में विशेषतया गर्मी के मौसम में, टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्य असन्तोषजनक-प्रद ढंग से चल रहा है;

(ख) क्या देहरादून एक्सचेंज में वातानुकूलक दोषपूर्ण है जिससे ये सभी कठिनाइयां पैदा होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो अगामी गर्मी में इन एक्सचेंजों में संतोषप्रद कार्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) देहरादून और विकासनगर के टेलीफोन एक्सचेंज आम तौर पर वर्ष भर संतोषजनक कार्य करते हैं। अलबत्ता, केबुल खराब हो जाने के कारण ऋषिकेश एक्सचेंज अक्तूबर, 75 से जनवरी, 76 तक इतनी अच्छी तरह काम नहीं करता रहा। फरवरी, 1976 से यह एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है ।

(ख) और (ग). यह बात सही है कि देहरादून एक्सचेंज के लिए जो वातानुकूलन संयंत्र सप्लाई किया गया था वह दोषपूर्ण था और सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया था। तथापि, स्विच रूम के लिए खिड़की टाइप वातानुकूलन यूनिट लगा दिए गए हैं और ये सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों से डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की पद्धति लागू किया जाना

1829. **श्री परिपूर्णानन्द वर्मन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों से लखनऊ एवं दिल्ली के लिये डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की पद्धति चालू करने संबंधी क्या समय सारणी बनाई गई है ; और

(ख) मंसूरी की सूक्ष्म तरंग पद्धति आने वाले वर्षों में पश्चिमी उत्तरप्रदेश एवं दिल्ली में टेलीफोन संचार व्यवस्था में कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

संचार मंत्री (डा० संकर दयाल शर्मा) : (क) उत्तरप्रदेश सर्किल में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग मार्ग चालू करने का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1976–77

1. देहरादून–दिल्ली
2. सहारनपुर–दिल्ली
3. मुजफ्फरनगर–दिल्ली
4. बुलन्दशहर–दिल्ली
5. मंसूरी–दिल्ली
6. वाराणसी–दिल्ली
7. इलाहाबाद–दिल्ली
8. अलीगढ़–दिल्ली

(ख) वर्तमान माइक्रो वेव प्रणाली मंसूरी, देहरादून, मुजफ्फरनगर और हरद्वार को आपस में जोड़ती है। इस प्रणाली से इन चारों स्थानों के बीच सीधे कनेक्शन देना और दिल्ली तथा मुजफ्फरनगर के बीच के कोएक्सिएल प्रणाली के जरिए इन स्थानों से अन्य स्थानों के लिए सर्किटों का विस्तार करना संभव हुआ है। इस प्रणाली के माध्यम से वर्ष 1976–77 में देहरादून और मंसूरी को तथा अन्ततः हरद्वार को भी (जब पर्याप्त यातायात हो जाएगा) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देना संभव हो सकेगा।

बम्बई और मंगलौर के बीच यात्री सेवा

1830. **श्री वी० धनंजय शिनाय** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई और मंगलौर के बीच कोई नियमित यात्री अथवा यात्री एवं माल-वाही जहाज सेवा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लो) : जी, नहीं।

कुदरेमुख और पाडुबिदरी के बीच सड़क का निर्माण

1831. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुदरेमुख और पाडुबिदरी के बीच सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, और

(ख) निर्माण कार्य अनुमानत: कितने समय में पूरा हो जायेगा?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). प्रश्नगत सड़क कुदरेमुख परियोजना का भाग है और कर्नाटक राज्य सरकार 100 प्रतिशत ऋण के तौर पर कुदरेमुख परियोजना प्राधिकरण की वित्तिय सहायता से बनाई जा रही है। राज्य प्राधिकरण द्वारा दी गई उपलब्ध सूचना के अनुसार पूरी सड़क परियोजना की तीन वर्ष की अवधि में पूरे हो जाने की संभावना है।

Postmortem House, Delhi

1832. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the letter to the editor published under the caption "Postmortem House" in the Indian Express, dated the 6th February, 1976; and

(b) if so, the steps taken by Government to remove the complaints mentioned in the said letter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Yes.

(b) There is at present no proposal to have arrangements for Postmortem in Willingdon Hospital. The Postmortem house in Subzimandi is proposed to be shifted to another site. All the points mentioned in the letter will be taken care of in the proposed building.

पश्चिम बंगाल के बाँकुरा जिले में खनिज निक्षेप

1833. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विपुल खनिज भण्डार उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस जिले में खनिज क्षमता के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). भारतीय भूसर्वेक्षण द्वारा अब तक खोजे गए मुख्य खनिज निक्षेपों के अनुमानित भण्डार इस प्रकार हैं— लगभग 2180 लाख टन कोयला, 86.20 लाख टन चीनी मिटटी, 20 लाख टन डोलोमाइट चूना पत्थर तथा 4 से 5 लाख टन निम्न ग्रेड टंगस्टन अयस्क।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने बांकुरा जिले में स्थित मेजिया क्षेत्र का विकास कार्यक्रम बनाने के लिए एक समिति बनाई है। जिसमें भारतीय भूसर्वेक्षण, केन्द्रीय खान आयोजन व डिजाइन संस्थान, रांची तथा राज्य सरकार के सदस्य होंगे? केन्द्रीय खान आयोजन व डिजाइन संस्थान इस पिछड़े क्षेत्र में कोयले की खुदाई का कार्यक्रम भी बना रहा है।

मजदूरों की छंटनी तथा जबरन छुट्टी

*1834. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री नूरुल हुडा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य वार अब तक कुल कितने औद्योगिक मजदूरों की छंटनी की गई है और कितने मजदूरों को जबरन छुट्टी का सामना करना पड़ रहा है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : एक विवरण, जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०--10600/76)

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के लिए महिला परिचारिकाओं की आवश्यकता

1835. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली की बसों के लिए दो सौ महिलाओं की परिचारिकाओं के रूप में नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि हां तो नियुक्ति के कारण और शर्तें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दरबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1975 में, जो कि "अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष" था, दिल्ली परिवहन निगम के शिक्षित महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई थी। यह आशा की जाती है कि बस होस्टैसेस यात्रियों के साथ अधिक शिष्टता से व्यवहार करेंगी और अभद्र व्यवहार की घटनाएं कम होंगी।

प्रारम्भ में बस होस्टैसेस को निगम के प्रशिक्षण स्कूल में लगभग दो महीने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने पर और निर्धारित परीक्षा पास करने पर उन्हें 260--400 रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया जायेगा। शर्तों की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०--10601/76]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार (पाँचवा संशोधन) नियम, 1976

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 420 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये** सं० एल० टी० 10588/76]

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वर्ष 1974–75 के लेखा परीक्षित लेखे, समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—10589/76]

श्रम और संचार मंत्रालयों की वर्ष 1976–77 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1976–77 के लिये निम्नलिखित मन्त्रालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(एक) श्रम मन्त्रालय,

(दो) संचार मन्त्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10590/76]

उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजपथों के बारे में केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ समझौता

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजपथों की सम्पर्क सड़कों

के विकास तथा रख रखाव के बारे में केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बीच हुए दिनांक 28 फरवरी, 1976 के समझौते (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10591/76]

मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम 1976 तथा राष्ट्रीय श्रम संस्थान नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 360 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10592/76]

(2) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा प्रमाणित लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10593/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 134/76 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [सा० सां० नि० 272(ङ)] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10594/76]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा 31 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 25 मार्च, 1976 को पास किये गये नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य,शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा 31 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 25 मार्च 1976 को पास किये गये संव लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
199वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं विदेशों से खरीदी गई माइलो (खाद्य विभाग) के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति 159 वें के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 199 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री लोलाधर कटकी (नवगाँव) : मैं सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री लोलाधर कटकी : मैं सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख (खण्ड 1 और 2) सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं एक महत्वपूर्ण मामले का नोटिस आपको दे चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मिला है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दिल्ली के 48 वकील गिरफ्तार किये गये हैं, क्योंकि उनके चेम्बरों को बिना नोटिस के हटा दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : गृह मन्त्री इसे नोट करें (**व्यवधान**)

श्री बी० बी० नायक (कनारा): गरीब लोगों की झुग्गियां तथा झोंपड़ियां भी उठायी गयी हैं । सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है ।

श्री बापूराव साठे (अकोला) : वकीलों का कर्तव्य होना चाहिये कि सबसे पहले वे कानून का पालन करें । वकीलों को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिये (**व्यवधान**) कानून के सामने सब बराबर हैं । (**व्यवधान**)

जीवन बीमा निगम (समझौते में मतभेद) विधेयक

LIFE INSURANCE CORPORATION (MODIFICATION OF SETTLEMENT) BILL

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल जब विधेयक को पुरःस्थापित करना स्थगित किया गया था तो यह प्रश्न उठाया गया था कि यदि यह समझौता द्विपक्षीय था तो इसे अनमाने ढंग से रद्द क्यों किया जा रहा है। आज हम श्री प्रणव कुमार मुखर्जी और श्रीमती रोहतगी से मिले तो दोनों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि हम केवल विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे और उस पर चर्चा नहीं होगी।

हम यह जानना चाहते हैं कि यह विधेयक क्यों पुरःस्थापित किया जा रहा है। क्योंकि यह द्विपक्षीय समझौता था जो औद्योगिक विवाद आदि नियम के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया था इसलिये उन दोनों पक्षों के बीच इस पर चर्चा होनी चाहिये। इसके लाने में विलम्ब होने से कोई हानि होने वाली नहीं है। यह बातचीत फैडरेशन और निगम के अध्यक्ष के बीच हो सकती है। यदि कोई ठोस परिणाम न निकले तो सरकार इस विधान को लाकर पास करा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिये। विधेयक पुरःस्थापित करते समय केवल एक ही माननीय सदस्य विरोध कर सकते हैं और इस अधिकार का उपयोग श्री एस० एम० बनर्जी कर चुके हैं। इस पर अब अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिये।

मैंने कल सुझाव दिया था कि मामले को निपटाने के लिये मन्त्री तथा सम्बन्धित माननीय सदस्यों के बीच बातचीत होनी चाहिये। अतः अब इस समय मैं इस सम्बन्ध में कोई भी वार्ता जरूरी नहीं समझता।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : कल मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि मामले को उठाने से पहले उत्तर दिया जाये। अब हो सकता है कि सरकार के पास कोई न कोई उत्तर हो। यदि हां, तो सरकार उत्तर क्यों नहीं देती ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधेयक एक समझौते के उपबन्धों को रद्द करता है। जिसे एक दूसरे कानून के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त है। इसलिये एक समझौते के उपबन्धों को, जिन्हें एक वैध कानून के अन्तर्गत स्वीकृति दी गई है, इस प्रकार नहीं बदला जा सकता जिस प्रकार किया जा रहा है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : केवल एक छोटा सा प्रश्न तो यह है कि क्या इस विधान को संसद् में लाया जा सकता है और क्या मालिक और कमचारी के बीच हुए समझौते को संसद् रद्द कर सकती है।

इस सम्बन्ध में हमने विधि मन्त्रालय से परामर्श किया है और उनकी राय है कि जब कोई समझौता औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है तो उसे कानून बना कर ही रद्द किया जा सकता है। इसी कारण हम संसद् के विचारार्थ यह विधान लाये हैं। (**व्यवधान**)

आज की बातचीत से निर्णय नहीं किया गया कि हम इसे पुरःस्थापित नहीं कर रहे हैं अथवा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। वहा उपस्थित सदस्यों को मैंने सुझाव दिया था कि यदि सदस्यों के विचारों और कुछ प्रश्नों पर अन्तिम निश्चय करने से पहले विचार किया जा सकता है, तो हम इस पर विचार करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री एम० एम० बनर्जी : विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद मालिकों और कर्मचारियों का क्या होगा। (**व्यवधान**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हम विधेयक को पुरःस्थापित करने का सख्त विरोध करते हैं (**व्यवधान**)

सोमनाथ चटर्जी : मालिकों तथा कर्मचारियों के बीच क्या कोई बातचीत हुई है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय सभा करेगी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय जीवन बीमा निगम तथा उसके कर्मचारियों के बीच हुए समझौते में रूपभेद करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

THE LOK SABHA DIVIDED

पक्ष में 147 : विपक्ष में 29

Ayes 147 : Noes 29

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं। (**व्यवधान**)

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(Some Hon. Members then left the House):

अनुदानों की माँगे, 1976–77 —जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77—*Contd.*

गृह मंत्रालय— जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन सेठी गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगो पर अपने भाषण को जारी करें ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : कल मैं गृह मंत्रालय द्वारा किये गये कुछ अच्छे कामो की चर्चा कर रहा था ।

इस बात को सारा देश जानता है कि 25 जून, 1975 से पहले सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण वाले तत्व किस प्रकार देश के आर्थिक और राजनैतिक जीवन को समाप्त करने के लिए एक हो गये थे । उनकी गतिविधियों से आंतरिक सुरक्षा और पूरे राष्ट्र की एकता को खतरा पैदा हो गया था । और जब ये गतिविधियां वांच्छित सीमा से आगे बढ़ गई तब प्रधान मंत्री के गतिशील नेतृत्व के अन्तर्गत सरकार द्वारा घोषित आपात्तकालीन स्थिति के बाद ही आन्तरिक अव्यवस्था और आंतरिक अनिश्चितता को रोका जा सका । अतः देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारो को कम करने के लिए सरकार को दोषी ठहराने का कोई लाभ नहीं ।

आपात्तकालीन स्थिति की घोषणा के बाद देश में सर्वोत्मुखी विकास हुआ है। गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार की सख्त कार्यवाही और कारगर उपायों तथा 1 जुलाई, 1975 को चालू किये गये 20 सूत्री कार्य से देश की स्थिति पर नाटकीय प्रभाव पड़ा है ।

फिर भी आज कुछ लोग देश मे अव्यवस्था और अराजकता फैला रहे हैं। उड़ीसा में सरकार विरोधी साहित्य बांटा जा रहा है । सरकार इस बात का पता लगाये कि यह साहित्य कहां से निकलता है तथा कौन लोग इसे निकालते हैं ।

सितम्बर, 1963 में संशोधित किये गये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में यह उपबन्ध किया गया था कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा का शीघ्र ही गठन किया जायेगा जिससे चिकित्सा स्नातकों और इंजीनियरिंग स्नातकों को लाभ मिल सके । परन्तु कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के वर्ष 1975–76 के प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकार ने इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की है । सरकार इन सेवाओं का शीघ्र निर्माण करने का प्रयत्न करे ताकि चिकित्सा शिक्षा की विभिन्न संस्थानों और इंजीनियरिंग कालेजों से पास होकर आने वाले छात्रों को लाभ मिल सके ।

इसी तरह अधिनियम में यह भी प्रत्याशा की गई थी कि अखिल भारतीय वन सेवा भी बनाई जाए और यह सेवा बनाई गई परन्तु चुने गये 45 व्यक्तियों में से 15 व्यक्तियों ने यह सेवा छोड़कर अन्य सेवा स्वीकार कर ली जिसके फलस्वरुप भारतीय वन सेवा में वार्षिक सीधी भर्ती आवश्यकता से बहुत कम हो गई ।

यह पता चला है कि 1 जनवरी, 1975 को आई० ए० एस० अधिकारियों की स्वीकृत संख्या पदासीन अधिकारियों की संख्या मे 20 प्रतिशत का अन्तर था, आई० पी० एस० अधिकारियों में यह अन्तर 14 प्रतिशत था तथा आई० एफ० एस० अधिकारियों में 25.5 प्रतिशत। इसका सरकार की प्रशासनिक कार्यकुशलता और विकास कार्यक्रमों के लागू किये जाने पर प्रभाव पड़ेगा। अतः सरकार इस सम्बन्ध में कुछ उपचारात्मक कार्यवाही करे।

उच्च सिविल सेवाओं में क्षेत्रीय असन्तुलन है। इस असन्तुलन को शीघ्र समाप्त किया जाये। आई० पी० एस० संवर्ग में अच्छी योग्यता के व्यक्तियों को लेने के लिए आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लिए योग्यता में अन्तर को समाप्त किया जाये।

प्राक्कलन समिति ने अपने 89वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि इन तीन सेवाओं के बारे में संवर्ग नियंत्रण एक ही विभाग द्वारा होना चाहिए। मैं सरकार से इस पहलू पर विचार करने का आग्रह करता हूं। सवर्ग नियंत्रण से सम्बन्धित कर्मचारी तीन अखिल भारतीय सेवाओं से होने चाहिए ताकि प्रत्येक सेवा की समस्याओं पर अनुभवी व्यक्तियों द्वारा विचार किया जा सके।

इन शब्दों के साथ में अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्रालय को उसके बढ़िया काम के लिए बधाई देता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : (**ढढूका**) : अधिकारियो को असाधारण अधिकार दिए जाने पर उन्होंने उससे बढ़कर उनका उपयोग किया जिसका उदाहरण हमें हाल ही में दिल्ली में देखने को मिला। 20 मार्च को बिना कोई सूचना दिये दिल्ली के एडवोकेटों के 200 केबिन गिरा दिये गये तथा उनके अन्दर जो समान था उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया। यह बर्बरता के अलावा और क्या है? इनमें से कुछ केबिनों को एक वर्ष पहले ही बनाने की अनुमति दी गई थी और फिर भी उन्हें गिरा दिया गया। वकीलों का मामला न्याय पूर्ण है। वे दूसरी जगह जाने को तैयार हैं। वह जगह बताना प्रशासन का काम है। वह क्या कारण था जिससे सरकार ने उन्हें दूसरे स्थान पर जाने तक का समय नहीं दिया? उन्हें पर्याप्त समय न देकर इस प्रकार का कार्यवाही मनमानी और अनुचित है।

गृह मन्त्रालय का एक मुख्य कर्तव्य अपराधों को कम कराना है। परन्तु अपराध दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। गृह मन्त्री इस पर विचार करें कि ऐसा क्यों हो रहा है?

यह सभी जानते हैं कि अधिकांश अपराधो को पुलिस में दर्ज नहीं किया जाता। ऐसा वे अच्छे आंकड़े दिखाने के लिए करते हैं। परन्तु जिस ओर गृह मंत्री को अधिक ध्यान देना चाहिए वह यह है कि जांच बहुत ही असन्तोषपूर्ण है। बहुत से मामलों की ओर ध्यान तक नहीं दिया जाता। इससे अपराधों में वृद्धि होती है।

इस समय चारों ओर बड़े-बड़े गिरोह सक्रिय हैं जिनके पास शक्तिशाली और आधुनिक हथियार हैं। दूसरी ओर पुलिस के पास पूरे हथियार नहीं हैं। उनके पास अपराधियों का पूरा रिकार्ड भी नहीं है, जो कि उनके पास होना चहिए।

इस समय की सबसे अधिक आवश्यकता अपराधों को रोकना है। इसलिए गृह मंत्री इस ओर सुविचारित ढंग से ध्यान दें।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया कि आपातस्थिति इसलिए घोषित करनी पड़ी क्योंकि सर्वथा भिन्न विचारधारा वाले और व्यक्ति मिलकर देश के आर्थिक और राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। यह मत बिना किसी साक्ष्य के व्यक्त किया गया है। यदि यह सही मान लिया जाये तो गृह मंत्रालय क्या करता रहा? राज्य सरकारों और केन्द्र का प्रशासन क्या करता रहा? क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। यदि उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने क्या कदम उठाए?

सरकार का कहना है कि आपातस्थिति के बाद देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति शान्तिपूर्ण रही है। यदि ऐसा है तो वह आपातस्थिति को क्यों बनाये हुए हैं। यदि इस समय सब बातों में स्थिरता आ गई है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर लिया गया है, अर्थ-व्यवस्था मजबूत हो गई है, उत्पादन बढ़ रहा है तो फिर सरकार आपातस्थिति को बनाये रखना क्यों आवश्यक समझती है?

प्रैस पर सेंसर के कारण जनता से सम्बन्धित समाचारों के छपने पर पूरी रोक लगा दी गई है। कुछ समय पहले विपक्ष के लोग बम्बई में मिले थे और हमने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। हमने एक वक्तव्य तैयार किया था और उसे समाचार पत्रों को दिया गया था। परन्तु कहीं भी उसके बारे में एक शब्द भी नहीं छपा। फिर भी सूचना और प्रसारण मंत्री सदन में यह कहते हैं कि पूर्व सेंसर जैसी कोई बात नहीं है।

प्रधान मंत्री ने कई अवसरों पर विदेशी पत्रकारों से भेंट के दौरान तथा अन्य कई स्थानों पर यह कहा है कि मैं तब तक आपातस्थिति नहीं उठा सकती जब तक विपक्ष उचित आचरण न करने लगे। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि विपक्ष क्या कर रहा है? जहां तक मुझे पता है, विपक्ष पर इस समय कुछ भी न करने का ही एक आरोप लगाया जा सकता है। हां, एक काम उसने अवश्य किया है, और वह है जहां आवश्यक हो वहां सदन में सरकार का विरोध करना। परन्तु वह उसका वैध कर्तव्य है और उसे वह निभाता रहेगा।

संसद् के बाहर भी हमने कानून के अन्तर्गत लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि आपातस्थिति लाने का क्या अर्थ है अर्थात विभिन्न मौलिक अधिकारों का निलम्बन करना और आपातस्थिति के बाद सरकार द्वारा अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त करना है। ये शक्तियां इस लिए की गई हैं ताकि देश के लोगों को सिविल स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और चलने फिरने की स्वतंत्रता से वंचित किया जाये। आपने अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी व्यक्ति का न्यायालय में जाने का अधिकार भी विलम्बित कर दिया है। आप मनमानी शक्तियां प्राप्त करते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है परन्तु आप लोकतंत्र की आवश्यक बातों को भूल जाते हैं। कार्यपालिका, विधानमण्डल और न्याय-पालिका लोकतंत्र के तीन स्तम्भ हैं। उसके बीच सन्तुलन होना चाहिए। आप न्यायपालिक को पूर्णतः समाप्त करते जा रहे हैं। आप किसी को भी न्यायालय में नहीं जाने दे रहे हैं। कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। ये बातें लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिएं।

मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री उन बातों पर विचार करेंगे जिनका मैंने उल्लेख किया है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैंने श्री एच० एम० पटेल के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

आज सवेरे विरोधी सदस्य दिल्ली में वकीलों के केबिन गिराये जाने पर बड़ा शोर मचा रहे थे। परन्तु 30 जून को वेस्टर्न कोर्ट के पास जब सैंकड़ों झोंपड़ियों को गिराया गया तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर भी वे कहते हैं कि हम गरीबों की ओर से बोलते हैं।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता नहीं चलता कि वह प्रतिवेदन किसे सम्बोधित किया गया है तथा वह किसने तैयार किया है। यह परिपाटी हमने उपनिवेशवाद के समय से अपनाई है, जबकि सरकारी अधिकारी अपने अलावा और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे और अपने बारे में ही प्रतिवेदन लिखते थे।

आपातस्थिति और अर्थ-व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 25 जून को घोषित आपात स्थिति के कारण देश में काफी अच्छे काम हुए हैं। सारे देश में शांति स्थापित हुई है। परन्तु नक्सलवादियों के कारण यह शान्ति भंग हुई है। वे फिर से सक्रिय हो उठे हैं। हाल ही में बड़ी मात्रा में डाइनामाइट और डाइनामाइट की छड़े मिली हैं। मात्रा इतनी अधिक है कि मंत्री जी इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये। लोगों को यदि रोजगार मिले तो वे कम वेतन पर भी तैयार हो जाते हैं। जब तक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं होता तब तक कुछ नहीं होगा। कुल परिव्यय 672.0 करोड़ रुपये का है। उसमें से 165.0 करोड़ रुपये अकेले नई दिल्ली पर खर्च होते हैं। सभी केन्द्र शासित प्रदेशों की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिये।

कर्नाटक–महाराष्ट्र का सीमा विवाद शीघ्र सुलझाया जाये।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : महोदय जैसी स्थिति पैदा हो गई थी उससे सारे देश में अशान्ति फैल गई थी। ऐसे में आपातस्थिति लागू करना अनिवार्य हो गया। निष्ठावान और देशभक्त सेना तथा पुलिस को खुले रूप में विद्रोह के लिए भड़काया जा रहा था। लोक सभा और विधान सभाओं को भंग किये जाने की मांग की जाने लगी थी। यह भी घोषणा की गई कि प्रधान मंत्री को घर से बाहर न निकलने दिया जाये और उन्हें त्यागपत्र के लिए मजबूर कर दिया जाये। ऐसी स्थिति में तो सरकार की कार्यवाही को विलम्ब से की गई कार्यवाही ही कहा जा सकता है।

हम ऐसा नहीं कह सकते कि देश में पूर्ण शान्ति है। बड़ौदा और केरल में बड़ी मात्रा में पकड़े गये डाइनामाइट से यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग और अन्य प्रतिबंधित संस्थाओं की पुस्तिकाएं, पर्चे और साप्ताहिक भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय इस खतरे को समाप्त करने में पूर्णतया असफल रहा है।

हमारे देश में प्रेस एकाधिकारियों के चंगुल में है। पत्रकार की कलम खरीद ली गई है। ऐसी स्थिति में तो सरकार का यह कर्तव्य ही था कि आपातस्थिति लागू करने के तुरन्त बाद प्रेस को एकाधिकारियों की बपौती से मुक्त कराया जाये।

यह बड़े खेद की बात है कि आपात स्थिति का पूरा उपयोग लोकतंत्र की नींव पक्की करने के लिए नहीं किया जा रहा है। आशा यह थी कि आपात स्थिति के बाद सरकार कानून तोड़ने वालों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति सम्पन्न हो जायेगी। बिड़ला बंधुओं के विरुद्ध लगभग 200 मामले कर अपवंचन के विलम्बित पड़े हैं। बिड़ला को आंतरिक अथवा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता।

अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए धारा 110 रखी गई है जिसके अन्तर्गत आर्थिक अपराध करने वालों को सामने लाया जा सके। गृह मंत्री कृपया यह बताएं कि कितने राज्यों में और कितने मामलों में आर्थिक अपराधियों पर धारा 110 के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है।

हमने बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए अधिनियम पारित किया है। लेकिन बंधुआ मजदूरी समाप्त नहीं हुई है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्यवार ब्यौरा क्या है? जो थोड़ी गिरफ्तारियां हुई भी हैं वे समुद्र में बूंद के समान हैं। सूदखोरी का जहां तक प्रश्न है कि अनेक मामलों में मूलधन का 10, 15 या 25 गुणा तक लौटाया जा चुका है लेकिन फिर भी उन लोगों का कर्जा खतम नहीं हुआ। वे बंधुआ ही हैं। मैंने कई रसीदें प्रस्तुत की हैं जिन पर लिखा है कि ब्याज दर 60% 45% या 40% है। यह वर्तमान अधिनियम का उल्लघंन है। लेकिन अधिकारी या मजिस्ट्रेट कोई कार्यवाही नहीं कर रहे।

अतिलंघन को रोकने के बारे में हमारा यह कहना है कि सरकारी सम्पत्ति को जनसाधारण द्वारा उपयोग किये जाने से बचाना चाहिये। धनी लोगों को, जिन्होंने कई हैक्टेयर भूमि पर अधिकार किया हुआ है, छोड़ दिया गया है जबकि गरीब लोगों तथा झुग्गियों में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसा करना उनके प्रतिकूल होगा और इससे 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा।

तीस हजारी न्यायालयों तथा पार्लियामेंट स्ट्रीट के न्यायालयों में बिना नोटिस दिये वकीलों के कार्यालय तोड़ दिये गये हैं। इस से पता चलता है कि आपातस्थिति सम्बन्धी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह सर्वविदित है कि सी० आई० ए० और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और राजनीतिज्ञों को लालच देकर हमारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आप यह बताइये कि अब तक ऐसे कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जिनके इस तरह के संगठनों तथा कम्पनियों से सम्बन्ध हैं।

राजनीतिक दलों को अभिदाय देने के विरुद्ध एक अधिनियम पारित किया गया है। श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता वाले 'एवार्ड' नामक संगठन का उल्लेख किया गया है। हम जानना

चाहते है कि देश में ऐसे कितने संगठन हैं और उन्हें विदेशों से कुल कितना धन मिला है और उस धन का किस प्रकार प्रयोग किया गया है । शिव सेवा जैसी शक्तियों को देश के अन्दर पूरी छूट मिली हुई है । इससे लाखों लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई । आनन्द मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा अन्य कई राज्यों में अपने संगठन चला रहा था । उनमें से कई आज भी चल रहे हैं तथा उनसे सम्बधित कई व्यक्ति अभी भी कार्य कर रहे हैं । इन संगठनों को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है । देश में मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कितनी है इसकी जानकारी दी जाये । कितने लोगों को हरिजनों पर अत्याचार करने के आरोप में पकड़ा गया है ?

हमें आशा थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित के लिए कुछ नये उपाय और कुछ ढांचीय परिवर्तन सम्बन्धी बातें की जायेंगी । आदिवासियों के लिए बिहार में छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में एक विकास परिषद है पर उसके पास संसाधन नहीं हैं । भ्रष्ट लोगों को जबरदस्ती सेवा निवृत्त किये जाने का नियम लागू करना अच्छी बात है लेकिन कई भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उन व्यक्तियों को दंडित किया जा रहा है, जो भ्रष्ट नहीं हैं ।

कर्मचारियों की मांग है कि कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तयार किये जायें ताकि किसी को भी यह पता चल जाये कि 'जनहित' क्या होता है । किन्तु उत्तर यह दिया गया कि इसके लिए कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किये जा सकते और न ही कोई मापदंड निर्धारित किया जा सकता है । हमें यह बताया जाये कि जबदस्ती सेवा से निवृत्त करने का क्या आधार है । अतः आपातस्थिति का दुरुपयोग पुलिस शक्तियों, का दुरुपयोग आज समस्या बन गये हैं । सरकार द्वारा शक्तियो का दुरुपयोग रोका जाना चाहिये । गत कुछ महीनों मे भ्रष्टाचार में कमी हुई थी । लेकिन अब पुनः उसमें भारी वृद्धि हो रही है । सरकार को इस बारे में कुछ कार्यवाही करनो चाहिये ।

जहां तक प्रशासनिक सुधारों का सम्बन्ध है, समय आ गया है जब विधान सभाओ, पुलिस स्टेशनों तथा खंड़ों में समन्वय समाप्त किया जाये ।जयह समन्वय अनुसचिवीय स्तर पर भी किया जाना चाहिये । अनुसचिवीय स्तर पर परामर्शदात्री समितियों के स्थान पर स्थायी समितियां होनी चाहिये ताकि किसी विशेष मंत्रालय के प्रभावी कार्यकरण में सहायक सिद्ध होई सकें ।

हम सब ने हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया है । किन्तु यह जानकर निराशा होती है कि इस प्रतिवेदन में हिन्दी का स्वेच्छा से अध्ययन करने तथा हिन्दी सीखने वालो को विशेषकर दक्षिण भारतीयों को अपेक्षित पैमाने पर प्रोत्साहन देने की बात नहीं की गई है । संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत उर्दु को मान्यता देकर उसे अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिये था ।

परन्तु इन सब बातों से प्रोत्साहन पाकर महीसर में होली से पूर्व 16 मार्च को साम्प्रदायिक दंगा हो गया । मुसलमानो के बहुत से मकान गिरा दिये गये । लगभग 10 व्यक्तियों को चोटें आई ।

हम जनता को स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते क्योंकि साम्प्रदायिकता के विरुद्ध भी बैठके वर्जित हैं । सरकार को पुलिस क्षति के दुरुपयोग को रोकने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये ।

कुछ महीनों से भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई थी। परन्तु आज फिर सर्वत्र सुनाई पड़ता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार को यह भी देखना है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है।

हमारी परिस्थितियां ब्रिट्रिश राज्य से भिन्न हैं। आज अधिकारी गण मंत्रिव का कार्य करें तथा जनता के प्रतिनिधि समितियों की अध्यक्षता करें तभी स्थिति सुधर सकती है।

परामर्शदातृ समितियों के स्थान पर मंत्री स्तीय समितियों होनी चाहियें जो इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मंत्रालय का कार्य सुचारु रुप से चल सके।

हमने हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। खेद की बात है कि दक्षिण में हिन्दी शिक्षण के लिये प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है।

दिल्ली के आस पास हिन्दू, मुस्लिम, सिख उर्दू जानते हैं। अतएव उर्दु को संविधान के अनुच्छेद 345 में स्थान दिया जाये इसे आठवीं सूची में सम्मिलित किया जाये।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : आपातस्थिति की घोषणा के बाद विशेषकर गुजरात और तमिलनाडू में मंत्री महोदय ने जो सराहनीय कार्य किया है उस के लिये वह बधाई के पात्र हैं। आपातस्थिति ने मूल्य वृद्धि, जमाखोरी, तस्करी आदि पर नियंत्रण करने में जादू का कार्य किया है और इससे सर्वत्र और विशेषत: रेलवे में अनुशासन पैदा हो गया है। किन्तु सरकार को सतर्क रहना चाहिये कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक इसे बनाये रखा जाये।

672.79 करोड रुपये के बजट में से लगभग 199.23 करोड रुपये पुलिस के लिये निर्धारित किये गये हैं जो कि अल्प राशि नहीं है। किन्तु अभी भी बिहार जैसे कुछ स्थानों में पुलिस के पास आधुनिक उपकरण नहीं है। ताकि वह सुनियोजित ढंग से अपराधों को रोक सके।

बिहार जैसे राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी समाज विरोधी तत्वों से सांठ गांठ करके आपातस्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं और आर्थिक अपराधों के प्रति नरमी का बर्ताव कर रहे हैं। गृह मंत्रालय को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को शीघ्रातिशीघ्र सेवा से निकाल देना चाहिये।

मांग संख्या 54 के अंतर्गत आपातस्थिति बल, स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों और अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याणार्थ 232 करोड़ रुपये मंजूर करने का प्रस्ताव है। किन्तु कोई भी इन गरीब लोगो को देखभाल नहीं करता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों और पिछड़े वर्गों की जनसख्या कई गुणा सेवाओं तथा अन्य स्थानों में उनका कोटा बढ़ाया जाना चाहिये।

अधिनियम के बावजूद प्राय: प्रत्येक धनी तथा उंची जाति में अभी भी अस्पृश्यता विद्यमान है। तत्संबंधी अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया गया है। सरकार को यह अधिनियम अधिक मजबूती से कार्यान्वित करना चाहिये और जो लोग कानून का उल्लंघन करें उस के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

जिला स्तर पर अभी भी अधिकारी आपातस्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमित रुप से बैठक नहीं होनी। गृह मंत्रालय को राज्य सरकारों से प्रतिवेदन देने के लिये कहना चाहिये कि जिला स्तर पर उन्होंने क्या क्या किया हैं। जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिये गृह मंत्रालय के अपने विभाग होने चाहिये।

कई ऐसे मामले हैं जब कि वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानियों को पैंशन नहीं दी गई है। उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि कारावास की 6 महीने की अवधि जो इस समय स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिये मापदंड है को घटा कर 3 महीने कर देना चाहिए और स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को समुचित रोजगार दिया जाना चाहिए।

जहां तक दिल्ली प्रशासन का सम्बन्ध है, यह अच्छी बात है कि अनधिकृत रूप से बनाई गई झुग्गी झोंपड़ियों को हटा दिया गया है और उन्हें दूर स्थानों पर बसा दिया गया है। किन्तु इसमें कुछ ऐसे विभाग हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार लोगों को अपनी भूमि या फ्लैट के पट्टे नामों पर स्टाम्प कलेक्टर से स्टाम्प लगवाने में बहुत असुविधा होती है।

दिल्ली नगर निगम ने सड़कों पर सभी सार्वजनिक पेय नल हटा दिये हैं। अब गर्मियां आ गई हैं अत: उन्हें पुन: चालू किया जाना चाहिए।

दिल्ली न्यायालयों में निर्धारित फार्म अभी भी उर्दू में छपवाये जाते हैं यद्यपि लोग हिन्दी या अंग्रेजी में काम करते हैं। उन्हें हिन्दी में छपवाया जाये ताकि लोगों को कठिनाई न हो।

उन कनिष्ठ लिपिकों के साथ अन्याय किया जा रहा है जो 8-10 वर्ष सेना में कार्य करके केन्द्रीय सचिवालय की नौकरी में आये हैं। उनकी सेवा में व्यवधान डाल कर उन्हें नये रूप से नियोजित किया गया है। कम से कम उनकी वरिष्ठता बहाल की जानी चाहिए।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों सम्बन्धी मांग संख्या 57 के अन्तर्गत 30.88 करोड़ रुपये की अल्प राशि का उपबन्ध है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यह राशि बहुत कम है। द्वीपों के बीच विकास और पुनर्वास के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहां बसने के लिये अधिकाधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

चंडीगढ़ पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये व्यय करके सरकार पंजाब सरकार का भार वहन कर रही है। इस वर्ष अनुमानित स्वीकृति 22.85 करोड़ रुपये की है। चंडीगढ़ को पंजाब सरकार को देकर इस बात से छुटकारा पाया जा सकता है ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आपात स्थिति की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने कुछ सराहनीय कार्य किया है ।

इस मंत्रालय की मांग 700 करोड़ रुपए है। किन्तु सामान्य प्रशासन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, स्वतन्त्रता सेनानी आदि जैसे कई कार्य इसके अन्तर्गत आते हैं निसंदेह अभी आपात स्थिति लागू है। किन्तु यह काफी नहीं है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसे भली भांति अमल में लाना होगा और इसके लिये यह आवश्यक है कि कुछ प्रशासनिक कार्यवाहियां की जायें ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद भी वे लोग सक्रिय हैं और राजनीति में घुसपैठ करने की चेष्टा कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य में 10 हजार से अधिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भाग लेने वाले व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । किन्तु अभी उनके बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अत: आपात स्थिति को सफल बनाने के लिये समन्वित कदम उठाने जरूरी हैं। जिस ढंग से देश विरोधी प्रतिक्रियावादी निहित स्वार्थों तथा तोड़-फोड़ करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, हम उससे पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हैं ।

कुछ लोग तथा संगठन देश में विखंडन की भावना पैदा कर रहे हैं। वे सरकारी तंत्र तथा राजनीति में घुसपैठ कर रहे हैं। आपात स्थिति की घोषणा के बावजूद भी उनकी गतिविधियां चल रही हैं। गृह मंत्री ने दावा किया है कि वे कठोर कार्यवाही कर रहे हैं। किन्तु समझ में नहीं आता कि इस तरह की क्षेत्रीय प्रवृत्ति और अन्य गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जनसंघ की बैंकों में बहुत घुसपैठ है। कुछ बैंक ऐसे हैं जिनमें इन संगठनों के लोग बहुत सतर्क हैं। कुछ ऐसे कार्मिक संघ हैं जिन्हें बैंकों के प्रबन्धों ने बनाया है। उनमें उन बैंको का प्रभुत्व है तथा वे उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। इस आपात स्थिति का उपयोग देशवासियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से होना है। आज भी वही पुराना प्रशासन चल रहा है। सरकार को अनुच्छेद 311 के विशेषाधिकार पर विचार करना चाहिए। प्रशासनिक तन्त्र को प्रभावी बनाने के लिये इसे हल किया जाना चाहिए ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने का कार्य इसी मंत्रालय के अधीन है । अभी भी कई आवेदन पत्र निलम्बित पड़े हुए हैं उन्हें शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रिकार्ड नहीं है। उनके मामले स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए और उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के कल्याणार्थ तथा बधक श्रमिक प्रणाली के उत्पादन हेतु कई राज्यों में योजनाओं पर कार्य हो रहा है । इन योजनाओं को

कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों के प्रशासनिक तन्त्र में सुधार करना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए दिये गये धन का दुरुपयोग न हो।

श्री सी० टी० दण्डपाणी (धारापुरम) : हमारे देश में पद दलित लोगों की आर्थिक, सामाजिक तथा जीवन यापन की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। फिर भी उनके विकास कार्यों के लिये 37.9 करोड़ रुपए की अल्प राशि की व्यवस्था की गई है।

हरिजनों तथा आदिवासियों को कारखानों में भी रोजगार दिया जाना चाहिए। जब तक उन्हें कृषि उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों में रोजगार नहीं दिया जाता तब तक उन्हें समाज के अन्य विकसित समुदायों के समकक्ष नहीं लाया जा सकता उन्हें अपने आर्थिक विकास के लिये कोई भी सहायता नहीं दी जाती। हरिजनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण या सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

तमिलनाडु में 18 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियो तथा 31 प्रतिशत पिछड़े हुए समुदायों के लिये किया गया था। वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात तमिलनाडु के राज्य पाल ने घोषणा की कि अनुसूचित जातियों के लिये 18 प्रतिशत आरक्षण को बनाये रखा जायेगा किन्तु पिछड़े समुदायों के लिए 31 प्रतिशत आरक्षण को अवश्य समाप्त कर दिया जायेगा।

सरकारी कर्मचारियों की आवासीय समस्या बड़ी विकट है। गृह मंत्रालय को उनके लिये सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिये मृत्यु आदि की दशा में समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। भूतपूर्व तमिलनाडु सरकार ने 'सामाजिक सुरक्षा योजना' चालू की थी जिसके अन्तर्गत एक चपरासी को कार्य पर मरने पर उसके परिवार को 10000 रुपए दिए जाते थे यह व्यवस्था 3500 रुपए की जनता बीमा योजना से पृथक है।

मेरा अगला निवेदन जल विवादों के बारे में है। आज हमारे देश में 100 से भी अधिक नदी जल-विवाद चल रहे है। जहां तक मेरे राज्य से सम्बद्ध जल-विवादों का प्रश्न है, उनके बारे में मैं केन्द्रीय सरकार को पहले ही लिख चुका हूं परन्तु खेद की बात यह है कि अभी तक इन विवादों को हल करने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

जहां तक राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, मैं इस के बारे में यह स्पष्ट कर दूं कि वह जनसाधारण को मान्य नहीं हैं तथा उनसे अनेक लोगों को निराशा हुई है। इन सिफ़ारिशों से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लोगो में यह भावना दृष्टि गोचर हो रही है इनसे उनके हितों को आघात पहुंचा है। अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को सम्बद्ध सरकारों को बुलाकर इस समस्या का कोई हल खोजने का प्रयत्न करना चाहिये।

मेरे साथी श्री लक्कप्पा ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि तमिलनाडु में आंसुका का प्रयोग निरपराध लोगों के विरुद्ध खुले आम किया जा रहा है। अब तक लगभग 25,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं उन लोगों के साथ जेल में दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। अब जबकि तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस आशय का व्यक्तव्य दे दिया हैं कि वहां शांति है तो मैं समझता हूं कि उन सभी लोगों को शीघ्र ही रिहा कर दिया जाना चाहिये।

कल श्री ओम मेहता ने द्रुमुक सरकार की त्रुटियों का उल्लेख किया था । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि द्रुमुक ने कुछ गलतियां की है । आप को मालूम ही है 1967 में कुल 17 राज्यों में 9 राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बनी तथा बाद में दो अन्य राज्यों में विरोधी कांग्रेस की सरकारें बन गई । परन्तु यह कांग्रेस सरकार किसी न किसी तरह उन सरकारों को गिरवा देती रही । 1972 के चुनावों के बाद भी हमारी सरकार की स्थिति मजबूत रही इसीलिए यह सरकार हमारी सरकार को गिराने में सफल न हो सकी । हमारा दोष सम्भवतः यही रहा कि हम इस का समर्थन करते रहे । वास्तविक स्थिति यह है केन्द्रीय सरकार द्रुमुक सरकार को छिन्न भिन्न करना चाहती है । आज केन्द्रीय जांच ब्यूरों पूरे जोरों से कार्य कर रहा है । द्रुमुक नेताओ के घरों पर छापे मारे जा रहे है । इसके साथ ही वहां पुलिस का अत्याचार भी पूरे जोरो से चल रहा है । यह बार-बार कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जायेगा तथा काले धन को नही पनपने दिया जायेगा । परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि मैंने 6 मार्च, 1974 के इस आशय का एक पत्र राष्ट्रपति को लिखा था जिसमें श्री एम० जी० रामचन्द्रन के विरुद्ध लगाये गये इसी प्रकार के आरोपों का उल्लेख था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं ।

द्रुमुक भाषी होने के नाते मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं या हमारा दल हिन्दी भाषा के विरुद्ध नही है परन्तु हम यह नही चाहते कि हिन्दी को किसी पर अनावश्यक रूप से थोपा जाये । मेरा यह सुझाव है कि संविधान को कुछ इस प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिये कि केन्द्रीय सेवाओं के लिए किसी को भी अंग्रेजी या हिन्दी जानना आवश्यक न हो । हम यह समझते है कि यदि हिन्दी को राजभाषा का रूप दे दिया गया तो इससे अन्य लोगो की प्रगति में बाधा आयेगी । अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फ़िर यह दोहरा हूं कि तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत तथा पिछड़ी जातियों के लिए 31 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था बनाये रखी जानी चाहिये ।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal): While supporting the Demands for Grants of the Home Ministry. I want to congratulate the Government for restoring normalcy in the country after a long spell of disorderly agitations and strikes. I think it is an essential gain of Emergency. Consequent to various measures taken by the Government, the activities of anti-social and anti-national elements have been curbed to a greater extent. But at the same time I may warn the Government that it should not lead to the impression that these elements have been totally destroyed. I feel that as and when an opportunity comes, these elements will again raise their heads and may create anarchy and disturbance. Actually the same anti-social elements are responsible for perfetrating cruelty on harijans and in Uttar Pradesh it is particularly so. It is my suggestions that strict measures should be taken by the Government so as to stop the recurrence of such incidents.

It has been rightly pointed out by some Members that Police department has raised its standard of bribe and now-a-days they are charging Rs. 200 as bribe instead of Rs. 100 for a particular job as they used to do prior to emergency. It should be ensured that people are no longer harassed by the police and this tendency of corruption is curbed.

Regarding the uplift of Harijans and their welfare works, I may suggest that this could not be done simply by enacting loans. The voluntary organisations in the field could play a vital role in the implementation of those enactments. It should be ensured by the Government that funds allotted to voluntary organisations for the purpose of Harijan Welfare are

utilized for the same purpose. It should also be ensured by the Government that poor Harijans are no longer exploited by uncrupulous businessmen and money-landers. An integrated plan should be chalked out for their all round development. Only the persons with sincere devotion for Harijans Welfare should be associated with this work. The real success of 20 point programme will be judged from the gains enjoyed by Harijans and Adivasi people out of it.

According to our Constitution, Hindi is the official language of the country. But I am sorry to point out that till now. Hindi has not been given its due place in official use. Surprisingly enough some of my friends from DMK have opposed it. They want that 2 per cent English speaking people should dominate the administration of the country. It should not be allowed and more efforts should be made to give Hindi its due.

Now I would like to give a few suggestions regarding U. P. State. Charcota in Dehradun should be developed as a tourist Centre. More representation should be given to the people of Hill areas of U. P. in para-military organisation like C.R.P. and B.S.F. etc. lastly submit that people of Jaunsar-Ravai areas of the Uttar Pradesh should be declared as scheduled tribes. With these words I support these demands.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : I express my gratitude to you for giving me as an opportunity to participate in this discussion. At the outset I would like to draw the attention of the House towards the political parties in the country. At present there are more than twelve Political parties. I suggest that the political parties which have got no faith in secularism in the country should be curbed.

It is correct that since the declaration of emergency, there is lot of improvement in the law and order situations but still much more can be done in this regard. Even uptill now the economic offenders and members of banned organisations have not been apprehended. Their disruptive activities are still continuing. That is why I feel that the machinery for maintaing law and order may be strengthened. It should be made more efficient. The intelligence apparatus of the Government should be streamlined.

It has been observed that a good number of Members of banned organisations like R.S.S. and Anand Marg have penetrated into Government service. They may be trying to sabotage from inside the whole structure of Government. The Government must be vigilant from them and appropriate safeguards should be taken.

Now I would like to draw the attention of the House to the practice of including a representative of the Ministry concerned in the U.P.S.C. This has been criticised by Estimate Committee also. This practice should be discontinued because it affects fair selection. Ministries should not be allowed to make any *ad hoc* appointments.

It is further submitted that there should not be any integrated list of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Centre. This list must be uniformly recognised by all the States of the Country. The existing anomalies of the list should be removed.

In India we are having prominent metropolitan cities like Delhi, Bombay, Calcutta and Madras. But, but for Delhi, the police of others is not having metropolitan character. It poses a danger to the mixed population of these cities. The police of these cities shuld be reorganised so as to give metropolitan Character to it.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यों की देखभाल करने का दायित्व गृह मंत्रालय का है। कल श्री सूर्यनारायण ने कहा था सरकार अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों की ओर विशेष ध्यान दे रही है परतु विशेष तो क्या सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। उदाहरणार्थ परती भूमिकों खेती योग्य बनाने तथा लोगो के पुनर्वास सम्बन्धी जो कार्यक्रम बनाया गया था, उसे केन्द्रीय सरकार स्वयं पूरा नहीं कर सकी है तथा इसे पुन : राज्यों को सौंप दिया गया है। इसी प्रकार गंदी बस्तियों के सुधार संबंधी योजना को 1956 में आरम्भ किया गया था परन्तु 1969 में इसे पुन : राज्यो को सौंप दिया गया परन्तु यह राशि राज्यों के स्वविवेक पर छोड़े दी गई है और अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिये मंजूर की गई राशि अन्य प्रयोजनों पर खर्च की गई हैं अथवा की जा रही है।

इन जातियों/जनजातियों के छात्रो को वर्ष 1944-45 से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां भारत सरकार द्वारा दी जा रही है वर्ष 1968-69 में यह राशि 7 करोड़ थी। सरकार ने जब देखा कि यह राशि प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है तो उसने इसका भार राज्यों पर डाल डिया। गृह मंत्रालय के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन में पिछड़ी जातियों का कल्याण शीर्षक के अधीन दिये गये विवरण से स्पष्ट है। फ़िर वर्ष 1975 तक तो यह छात्रवृत्ति इन जातियों के सभी छात्रों को उपलब्ध थी परन्तु नई योजना के अधीन अब एक व्यक्ति को केवल दो ही बच्चों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उन रोजगार-प्राप्त छात्रो को भी कालेज शिक्षा के लिये पूरी छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया है जिनके सारे परिवार की कुल आय 360 मासिक से अधिक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके फलस्वरूप इन जातियों में साक्षरता का प्रतिशत और भी कम नहीं हो जायेगा ?

पिछली बार सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन पर चर्चा हुई थी इसके बाद न तो किसी आगामी प्रतिवेदन पर चर्चा ही हुई और न ही उसके बाद का कोई प्रतिवेदन सभा में पेश ही किया गया इस पर भी दावा किया जा रहा है कि अनुसूचित जातियो/जनजातियो के कल्याण-कार्यों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है।

सभा में दिये गये आश्वासनों को भी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। वर्ष 1967 में समाज कल्याण मंत्री ने यह वायदा किया था कि हर वर्ष अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों बजट पत्र के दौरान पेश किये जायेंगे तथा हर वर्ष उन पर चर्चा भी होगी यह भी आश्वासन दिया गया था कि आयुक्त की सिफ़ारिशों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा भी सभा पटल पर हर वर्ष रखा जायेगा। परन्तु न जाने संसद की आश्वासन समिति क्या कर रही है। इन में से कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक सभा में वर्ष 1968 में पुर: स्थापित हुआ था और वर्ष 1970 में उस पर चर्चा भी हुई थी परन्तु उस समय लोक सभा भंग होने के कारण विधेयक रद्द हो गया और आज तक वह विधेयक फ़िर से पेश नहीं किया गया है।

छुआछूत अपराध विधेयक, 1972 फ़रवरी, 1974 में सभा में पेश हुआ और मई, 1974 में उस पर अपूर्ण चर्चा हुई थी। विपक्ष ने तथा मैंने भी यह मांग की थी कि इस विधयक पर और आगे चर्चा किए बिना ही इसे पास कर दिया जाये परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया। वह महत्वपूर्ण विधेयक

अभी तक लटका हुआ है जबकि इस बीच अनेक साधारण विधेयक भी पास किये जा चुके हैं। दल बदलविरोधी विधेयक भी संयुक्त समिति के पास पड़ा है और संदेह है कि वहां से आने पर भी उसे तुरन्त पारित नहीं किया जायेगा।

शासक दल अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा हरिजनों के प्रति केवल मौखिक हमदर्दी ही दिखाता है। उनके कल्याण संबंधी किसी भी योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। ये लोग न केवल निर्धन ही हैं बल्कि छूआछूत के अभिशाप का भी शिकार हैं। इस अभिशाप को दूर करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। सभा में अनेकों बार हरिजनों पर हुए अत्याचारों के बारे में चर्चा हुई हैं परन्तु उसके विरुद्ध कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई। उदाहरणार्थ, 22 अगस्त, 1972 को गृह मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया था कि 6 जुलाई, 1973 को जिला सहरण, थाना माझेपुरा के गांव माधोबन में कुछ व्यक्तियों ने नन्द किशोर पासवान के घर में घुसकर चार महिलाओं को जबरन बाहर निकाला और उनके शरीरों पर गर्म लोहे की छड़ों से दाग लगाये मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि वह मामला प्रश्न समिति के पास भेजा गया है और समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। परन्तु हमें आज तक नहीं पता लगा कि इसके बाद क्या कार्यवाही हुई।

इसी प्रकार बिहार के गांव महलौर के हरिजन महिलाओं के साथ दुराचार तथा अत्याचार के लिये विधान सभा द्वारा नियुक्त सर्वदलीय समिति ने पुलिस तथा अधिकारियों को दोषी ठहराया था। इस संबंध में 16 तथा 19 वर्ष की दो लड़कियों और 25 वर्षीय एक महिला ने अपने मुख से यह बताया था कि पुलिस के सिपाइयों ने उनके साथ बलपूर्वक बलात्कार किया। इसी तरह 15 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। खेद है कि इस माननीय दमन की जानकारी में उक्त घटना आने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

समाचार पत्रों में नित्य ही हरिजनों को जीवित जलाये जाने तथा उनकी हत्या करने अथवा हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरे छपती हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती क्या मंत्री महोदय बतायेंगे इन मामलों में अन्तग्रस्त कितने समाज विरोधी तत्वों को आंसुका के अधीन गिरफ्तार किया गया है। हमें तो आज तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। मोरारजी भाई तथा देश के अन्य अनेक देशभक्त नेतागण तो आंसुका में बंदी हैं परन्तु समाज-विरोधी तत्वों को आंसुका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जाता है।

श्री धामनकर (भिवंडी) : श्री चावड़ा के इस कथन से मुझे हार्दिक दुःख हुआ है कि हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं विगत 25 वर्षों से थाना जिले की हरिजन उन्नति मंडली की ओर से हरिजनों तथा आदिवासियों के उत्थान के लिये काम कर रहा हूं। मैं यह तो नहीं कहता कि देश में हरिजनों के साथ कतिपय जघन्य तथा शर्मनाक घटनाएं नहीं हुई--इसके लिये हम सबको लज्जा भी आती है- परन्तु यह कहना सही नहीं है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने कुछ भी नहीं किया। पिछले सप्ताह महाराष्ट्र में ठेकेदार के साथ काम न करने की इच्छुक दो महिलाओं के बाल काटकर उन्हे जबर्दस्ती काम करने पर मजबूर करने के लिये महाराष्ट्र ने अपराधियों के विरुद्ध सख्त कड़ी कार्यवाही की और उन्हें उचित दंड दिया।

पिछले दो-तीन माह के दौरान, जब कभी भी ऐसी कोई शर्मनाक घटना हुई, तो सरकार ने तुरन्त ही कड़ी कार्यवाही की है और ऐसी घटनाओं को रोका हैं। श्री चावड़ा का यह कथन भी सही नहीं

है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण–कार्यों पर खर्च की राशि को धीरे धीरे घटाया जा रहा है। प्रतिवेदनों के अनुसार इन जातियों के उत्थान पर वर्ष 1951–1959 के बीच 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे मगर 1974 से 1979 के लिये यह राशी 455 करोड़ है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी अपने गैर-योजना बजट में से इन जातियों तथा पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ भारी राशियां खर्च कर रही हैं। प्रस्तावित की गई सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। मैं यह तो नहीं कहता हूं कि सब कुछ पूरा हो गया है। काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। परन्तु दूरस्थ देहातों में हरिजनों की सुरक्षा करना भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि दूर–दराज जगहों पर उन्हें सताया जा सकता है। राज्य सरकारें ऐसी घटनाओं को रोकने का दूर संभव प्रयास कर रही हैं। आपात स्थिति की घोषणा के बाद तथा 20–सूत्री–कार्यक्रम की क्रियान्विती आरंभ होने से भूमिहीन श्रमिकों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/जनजातियों को भूमि का वितरण करने के लिये विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक कार्यक्रम तथा कानून बनाये गये हैं।

महाराष्ट्र के थाना जिले की एक तिहाई जनसंख्या आदिवासियों की है। साहुकारों ने इनकी भूमि जबरन हथियाली थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने कानून पास करके उनकी भूमि वापस दिलाना आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कानूनी सहायता समिति भी उन क्षेत्रों में आदिवासियों को कानून आदि का ज्ञान कराने के लिये निःशुल्क सेवा कर रही है। प्रधान मंत्री ने सभी वकीलों से अपील की है कि वे गांवों में जाकर आदिवासियो की सहायता करें। सारे देश में कानूनी सहायता समितियां गठित की जा रही हैं। अक्तूबर तथा नवम्बर मास में मेरे जिले में ऐसे 10,000 मामलों का पता लगाया गया जहां अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भूमि जबरन हड़प ली गई थी। अब तक अधिकांश भूमि वापस दिलाई जा चुकी है। सरकारी अधिकारी और समाज-सेवी कंधा से कंधा लगाकर 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वितो में लगे हैं। अतः श्री चावड़ा से यह सुनकर दुःख होता है कि इस क्षेत्र में कुछ नही किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि यह सब कुछ काफ़ी नहीं है परन्तु सरकार का उद्देश्य देश में इन जातियों की दशा सुधारने के लिये बहुत कुछ करने का है।

आपात स्थिति के दौरान यद्यपि सभी विभाग भली प्रकार कार्य कर रहे हैं परन्तु न जाने पुलिस विभाग पर आपात स्थिति का प्रभाव कोई नहीं हुआ है। वहां कदाचार हो रहा है, आंसुका के अधीन निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है केवल इसलिये कि वे उनको घूस की किश्ते नहीं देते। मैंने राज्य सरकार को ऐसे कई मामलों की सूचना दी परन्तु वे लोग अब भी जेल में सड़ रहे हैं। दूसरी ओर जेल से फ़रार होने के बाद आत्मसर्म्पण करने वाले गुण्डों को केवल एक मास तक जेल में रख कर छोड़ दिया गया है। मेरे विचार से पुलिस विभाग आंसुका का दुरुपयोग करता है और लोगों को परेशान करता है। मंत्री महोदय इस मामले में जांच करे तथा यह सुनिश्चित करें कि लोगों के साथ अन्याय न हो तथा उनके अधिकार सुरक्षित हो।

कुछ जिलों में हरिजन लोग अब भी सिर पर मल–मूत्र उठाकर फ़ेंकर आते हैं। केन्द्र सरकार इस अभिशाप को रोकने के लिये राज्य सरकारों को काफ़ी अनुदान देती है परन्तु कुछ नगरपालिकायें उचित कार्यवाही नहीं कर रही हैं। सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिये।

सफ़ाई कर्मचारियो के लिये मकान बनानेहेतु सरकार नगरपालिकाओं को अनुदान भी देती है परन्तु नगरपालिकायें किसी सफ़ाई कर्मचारी की सेवा समाप्त होने या सेवा छोड़ जाने पर वह मकान

वापस ले लेती है। यदि वह मकान उस व्यक्ति के पास रहने दिया जाये तो हम से हरिजनों को भी सहायता करने की दिशा में बहुत बड़ा काम होगा।

नई दिल्ली में डिफेंस कालोनी में तीन वर्ष पूर्व एक बैंक का लाकर तोड़ कर आभूषण आदि चोरी कर लिये गये थे, उसकी कोई जांच पुलिस ने नहीं की और न ही दोषी व्यक्ति पकड़े गये। हाल ही में जनवरी, 76 को दो लाकर टूटे और गरीब लोगों की सारी बचत-पूंजी चोरी चली गई। ये सभी लोग सैनिक कर्मचारी थे। परन्तु अपराधी नहीं पकड़े गये और न ही कोई जांच हुई। आप इस मामले को देखिये।

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगांव का और कर्नाटक तथा केरल के बीच कासरगोडे संबंधी सीमा-विवाद अनेक वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं। अब समय आ गया है कि ये विवाद तुरन्त ही तथा हमेशा के लिये हल किये जाने चाहिये। संबंधित मुख्य मंत्रियों के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री बैठें और इसका हल निकालें जैसा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मामले में श्री उमाशंकर दीक्षित ने किया था।

स्वाधीनता सेनानियों की सहायता करने की अनेक योजनायें हैं। पेंशन के पात्र सभी स्वाधीनता सेनानियों में से तीन-चौथाई को पेंशन मिल चुकी है। परन्तु एक ऐसे वर्ग को छोड़ दिया गया है जिसने भूमिगत रह कर कार्य किया था। सरकार उनसे प्रमाण मांगती है। उनके साथ काम करने वाले संसत्सदस्यों तथा विधायकों ने यह प्रमाणित भी किया है कि उन व्यक्तियों ने भूमिगत रह कर काम किया है। सरकार को यह प्रमाण मान लेना चाहिये और उन्हे स्वाधीनता सेनानी पेंशन दी जानी चाहिये।

ताम्रपत्र प्रदान करने के लिये सरकार कहती है कि कलेक्टर से आवेदन किया जाये। यदि आप ताम्रपत्र देना चाहते हैं तो सम्मानपूर्वक दीजिये। क्या हम इसके लिये प्रार्थना करें? यह तो अनादरपूर्ण बात है।

अन्दमान तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को अनेक वर्षों तक वापस स्थानान्तरित नहीं किया जाता है और जब वे लौटते भी हैं तो इन्हें फ़िर यह कह कर वहीं दूरस्थ स्थानों पर भेज दिया जाता है कि महानगरों की जलवायु उनके अनुकूल नहीं है। इन अधिकारियों को दिये गये आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिये और उन्हें उपयुक्त कार्य पर तथा अच्छे स्थानों पर नियुक्त किया जाना चाहिये।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ओम मेहता ने कल कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया था, कुछ प्रश्नों का उत्तर आज मैं देना चाहूंगा और शेष बातों का उत्तर आज या कल स्वयं गृह मंत्री देंगे।

श्री पटेल के भाषण से मुझे लगता है कि उन्होंने अब यह मानना शुरू कर दिया कि आपात स्थिति की घोषणा से लाभ हुआ है और स्थिति सामान्य हो गई है। वह चाहते हैं कि आपात स्थिति समाप्त कर दी जाये।

आपात स्थिति से औद्योगिक उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। बहुत ही कम जन-दिवस व्यर्थ होते हैं और औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ा है। बहुत कम हड़तालें और तालाबंदियां हुई हैं। शिक्षा-संस्थाओं में भी स्थिति बहुत सुधरी है। हर क्षेत्र में अनुशासन आया है यहां सभा में भी और इसके बाहर भी इसका प्रभाव स्वयं प्रकट है।

परन्तु प्रतिवेदन में कहा गया है कि अभी तोड़-फ़ोड़ की कुछ गतिविधियां हो रही हैं। रेलवे में तोड़-फ़ोड़ की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, बड़ौदा में डायनामेट का मामला हुआ है केरल तथा अन्य कुछ क्षेत्रों से भी समाचार मिले हैं कि प्रतिबंधित संगठनों के फरार लोग अब भी भूमिगत रह कर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अतः राष्ट्र को अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनुशासन बनाये रखना बहुत जरूरी है। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले नेताओं को राष्ट्रीय हित को सोचना होगा।

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि राजनैतिक दलों की कानूनसंगत गतिविधियों के लिये बैठकें आदि करने पर कोई रोक नहीं है।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए]

[SHRI C. M. STEPHEN *in the chair*]

यह तो सच है कि अनुच्छेद 19 के अधीन आपात स्थिति के दौरान मूलभूत अधिकार निलम्बित हैं परन्तु इससे राजनैतिक दलों की कानूनसंगत गतिविधियों पर कोई आंच नहीं आती शायद श्री सरोज मुखर्जी की कठिनाई यह है कि उनकी बैठकों में लोग आते नहीं हैं।

श्री दशरथ देव : वर्ष 1945 में, त्रिपुरा में साक्षरता बढ़ाने के लिये गठित जनशिक्षा समिति को भी अपनी शिक्षा संबंधी बैठक बुलाने की अनुमति नहीं दी गई। यह कोई राजनैतिक संस्था भी नहीं है।

श्री एफ एच० मोहसिन : यह तो स्थानीय अधिकारियों ने देखना है कि इससे कानून और व्यवस्था की समस्या तो नहीं पैदा हो जाती। उस समय यदि कोई भड़काऊ भाषण दे डाले स्थानीय अधिकारी स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। वे चाहें तो अनुमति दे सकते हैं परन्तु हम भी राजनैतिक दल की किसी वैध राजनीतिक गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाते हैं।

श्री दशरथ देव : क्या केवल अधिकारियों को ही सही स्थिति का पता होता है। कोई अन्य व्यक्ति इसका निर्णय नहीं कर सकता। इसका अर्थ तो नौकरशाही के हाथ लम्बे करना होगा। यह तो लोकतंत्र नहीं है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : गृह मंत्री इसका उत्तर देंगे मैं तो यही कहूंगा कि हम दिल्ली में बैठे यह नहीं जान सकते कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है। वहां के स्थानीय लोग ही स्थानीय स्थिति को जानते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ही ऐसी बैठकों के लिये अनुमति देते हैं।

श्री दण्डपाणि ने आरोप लगाया है कि श्री भारत को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कारावास में उचित श्रेणी में नहीं रखा गया। उसे तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि उन्हें बार बार बुखार आने और टांग में तथा सिर में दर्द की शिकायत होने पर 22-2-76 को सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया और वहां उनका उचित इलाज किया गया। अस्पताल में उन्हें 'बी' श्रेणी के वार्ड में रखा गया जोकि आंसुका के अधीन बन्दी संसद् सदस्यों के लिये है।

श्री था किसतिनन : यह सूचना ग़लत है। उन्हें 'बी' श्रेणी नहीं दी गई।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मुझे जो जानकारी मिली है, मैंने आपको दे दी।

श्री दशरथ देव : विधायकों तथा संसत्सदस्यों के लिये एक निश्चित श्रेणी है। संबंधित सभा का यह दायित्व है कि वह उसके सदस्यों को वह सम्मान मिले।

श्री एफ० एच० मोहसिन : इस शिकायत के मिलते ही हमने तुरन्त तमिलनाडु सरकार से सम्पर्क किया और एक घण्टे के अन्दर अन्दर ही हमें यह जानकारी मिली है ।

स्वाधीनता सेनानियों को पेन्शन संबंधी भी कई बात यहां उठाई गई हैं । श्री सुबोध हंसदा ने बताया कि अनेक जाली लोग यह पेन्शन पा रहे हैं । परन्तु यह संख्या वस्तुत: बहुत बड़ी नहीं है । हमने जांच करके 2604 व्यक्तियों की पेन्शन निलंबित की है । 21 मामलों में पेन्शन रद्द की है क्योंकि ये लोग वस्तुत: स्वाधीनता सेनानी नहीं पाये गये । देश में यह पेन्शन पाने वाले स्वाधीनता सेनानियों की संख्या 1,09,200 है अत: इनमें 21 मामलों का अवैध होना कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है । पेन्शन देने का एक आधार यह है कि कोई व्यक्ति यह प्रमाणित करे कि वह स्वाधीनता संघर्ष के लिये कम से कम छ: मास जेल में रहा । अनेक मामलों में रिकार्ड नहीं मिल पाता है । श्री धामनकर ने कहा कि संसत्सदस्यों, विधायकों, भूत पूर्व संसत्सदस्यों से यह प्रमाणित कराना कि अमुक व्यक्ति उनके साथ जेल में था, एक सही निर्णय है ।

श्री के० चन्द्रप्पन : यह सुविधा उन लोगों को क्यों नहीं देते जिन्होंने भूमिगत रह कर काम किया ? विशेषकर केरल के ट्रावनकोर क्षेत्र में ? सर सी० पी० ने कार्य किया परन्तु उसका कोई रिकार्ड नहीं रखा गया था ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा । मैं यह कह रहा था कि हम संसत्सदस्यों, विधायकों का प्रमाणपत्र स्वीकार कर लेते हैं । उन लोगों के लिये भी यह सब कुछ याद रहना बहुत कठिन है क्योंकि यह संघर्ष आज से 30 वर्ष इससे भी अधिक समय पहले हुआ था । वर्ष 1920 के आस पास भी अनेक लोग खिलाफत आन्दोलन' में जेल गये थे । अब यदि जेल जाने का भी ऐसा प्रमाणपत्र नहीं मिल पाता है तो फ़िर हम किसी भूतपूर्व विधायक, पार्षद्, या संसत्सदस्य से कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा ।

जैसा कि श्री दशरथ देव कह रहे थे, ऐसे मामले हो सकते हैं । ऐसा हो सकता है कि कोई साथी कैदी विधायक या संसद् सदस्य न बना हो और रिकार्ड उपलब्ध न हों । यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह छ: महीने के लिए जेल गया और यदि उसका कैदी साथी विधायक या संसद् सदस्य न बना हो और वह उससे प्रमाणपत्र न ले सका हो तो ऐसे मामले राज्य सरकारों को सौंप दिए जाते हैं । राज्य सरकारो की राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर समितियां होती हैं जोकि उस क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों से स्थानीय जांच करते हैं और फ़िर सिफ़ारिश करती हैं । ऐसे में हम उस सिफ़ारिश को स्वीकार कर लेते हैं और पेंनशें दे देते हैं ।

हमारे जैसे विशाल देश में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जाली प्रमाणपत्र लाते हों । उन जाली प्रमाणपत्रों को जांच करने और उन पर सिफ़ारिश देने के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है । हर सभव प्रयास किया जाता है कि झूठे दावेदारों को पेंशन न मिले । किन्तु जब कोई विधायक या संसद्-सदस्य किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करता है कि वह वास्तविक रूप से स्वतंत्रता सेनानी नहीं है तो उसकी पेंशन बन्द कर दी जाती है । और राज्य सरकार को ऐसे मामले की जांच के लिए कहा जाता है ।

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरु) : राज्य सरकारें किसी का पक्ष भी ले लेती हैं। कल कहा गया था कि उन लोगों के नाम न बताएं जायें। माना कि कोई विधायक प्रमाणपत्र देता है और बाद में कह देता है कि यह प्रमाणपत्र मैंने नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार क्या करेगी ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : जब कभी कोई इस तरह की शिकायत मिलती है तो हम उसे राज्य सरकार के पास जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए भेज देते हैं और पेंशन बन्द कर दी जाती है। हम शिकायतकर्ता का नाम पेंशन भोगी को कभी नहीं बताते। किन्तु एक ऐसा भी मामला है जिसमें बिहार के माननीय सदस्य श्री पासवान ने बताया था कि चूंकि उस व्यक्ति की आय 5000 रुपये से अधिक है अतः वह पेंशन का हकदार नहीं है। जांच करने से पता चला है कि वह वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी है किन्तु उसकी आय 5000 रुपये से भी अधिक है। श्री पासवान चाहते थे कि जांच मेरी उपस्थिति में होती। अतः ऐसे भी सदस्य हैं जो कि अपना नाम बताना चाहते हैं।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : मैंने कल जो शिकायत की है वह उस क्षेत्र की जनता की शिकायत पर आधारित है। पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त सचिव ने उस व्यक्ति को बताया कि श्री सुबोध हंसदा के कहने पर उसकी पेंशन बन्द की गई है। इससे राजनीतिक दृष्टि से हानि होती है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यदि आप चाहते हैं कि राज्य सरकार को आपका नाम न बताया जाये तो हम ऐसा ही करेंगे। हम केवल इतना कह देंगे कि किसी संसद सदस्य ने ऐसी शिकायत की है ताकि उसको महत्व दिया जाये। जो लोग भूमिगत हुए थे वे भी पेंशन पाने के अधिकारी हैं बशर्ते कि कोई प्रमाण पत्र पेश किया जाये। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय लाखों लोग भूमिगत हो गए थे और उन्होंने स्वेच्छा से कार्य किया। यदि हम उन सब लोगों को पेंशन दें तो केन्द्रीय सरकार का सारा वित्त भी इसके लिए पूरा नहीं होगा। हमें यह भी देखना है कि क्या उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकला था। यदि उनके पास कोई लिखित प्रमाण न हो हम राज्य सरकार को कहते हैं कि वह पुलिस तथा मजिस्ट्रेट और न्यायालय के रिकार्डों से पता करें। यदि वहां से यह साबित हो जाये कि कोई व्यक्ति 6 महीने के लिए भूमिगत रहा तो ऐसे मामले को हम पेंशन देने के लिए स्वीकार कर लेते हैं।

श्री धामनकर : रिकार्ड नष्ट हो गए हैं। मेरा सुझाव है कि उस व्यक्ति के साथ जो विधायक या संसद सदस्य भूमिगत रहा है, उसका प्रमाण पत्र मान लिया जाना चाहिए।

श्री एफ०एच० मोहसिन : हम ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तविक कार्यकर्ता तथा जाली कार्यकर्ता का पता लगाना कठिन है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हम यह नहीं कहते कि उन सभी लोगों को पेंशन दी जाये जो भूमिगत हुए थे। हम तो चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए थे और इसके कारण जो भूमिगत हो गए थे, उन्हीं को पेंशन दी जाये। किन्तु समस्या प्रमाण की है। क्योंकि सारे रिकार्ड नष्ट हो चुके हैं। अतः कोई न कोई उपाय तो निकालना ही होगा। केरल में ऐसे हजारों मामले निलंबित पड़े हुए हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन :ऐसा केवल केरल में ही नहीं है। देश के हर राज्य में ही नहीं है। ऐसे मामले पड़े हैं।

श्री सी० के० चन्द्रन: यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकता (**व्यवधान**) हमने इस पर विचार कर लिया है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को 200 रुपये प्रति माह पेंशन दी जानी चाहिए। हमने यह व्यवस्था की है कि किसी स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को 100 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं उसकी लड़कियों को उनका विवाह होने तक 50 रुपये प्रत्येक लड़की को पेंशन दी जायेगी। किन्तु स्वतंत्रता सेनानी के लड़कों को किसी तरह की पेंशन नहीं दी जायेगी।

कई मामले निलंबित पड़े हुए हैं। पुन्नप्रा-वयालार संघर्ष, भूतपूर्व हैदराबाद रियासत में तेलंगाना आन्दोलन तथा आर्य समाज आन्दोलन जैसे मामले भी हैं। उत्तरी भारत में पंजाब में भी कुछ आन्दोलन हुए हैं। इन पर भी निर्णय लिया जाना है। मोपला विद्रोह को हमने स्वतंत्रता संघर्ष नहीं माना है। रना भगत आन्दोलन भी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल इंडियन हार्स प्रसॉनेल, 1940 की क्रांति भी विचाराधीन है।

गृह मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी) : जांचाधीन है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : इसके अतिरिक्त मिस्र में 1940 में एम० टी० ड्राइवर्स क्रांति, 1941 में हांगकांग मे हुए 20 वीं कंस्ट्रकशन बैट्री की क्रांति, बिहार में हुआ रना भगत आन्दोलन, आन्ध्र प्रदेश में मुनागला आन्दोलन आदि अभी गृह मंत्रालय के जांचाधीन तथा विचाराधीन हैं।

श्री था० किरुतिनन : अभी कई मामले निपटाने शेष रह गए हैं। कई मामलों में स्वीकृति तो प्रदान कर दी गई है किन्तु नाम या गांव अथवा तालुक आदि गलत लिखे जाने के कारण स्वीकृति उन लोगों तक नहीं पहुंची है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : 29–2–1976 तक स्थिति इस प्रकार थी। निर्धारित तिथि अर्थात् 31–3–74 से पूर्व 1,94,272 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उसके बाद 43,610 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इस तरह कुल मिलाकर 2,37,882 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 1,09,230 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और 79,908 अस्वीकृत हो गए हैं। 48,677 मामलों को बन्द कर दिया गया है और केवल 67 निलंबित पड़े हुए हैं।

सभापति महोदय : फ़ाइलिग का क्या अर्थ है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : आवेदन पत्र के साथ प्रमाणपत्र लगाना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बार-बार यही कहता है कि प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हैं तो उस मामले को कब तक निलंबित रखा जा सकता है। अत: हम उस मामले को बन्द कर देते हैं और जब प्रमाणपत्र पेश कर दिया जाये फिर उस पर पुन: कार्यवाही शुरू कर देते हैं। अस्वीकृत वे मामले होते हैं, जिनमें उस व्यक्ति ने 6 महीने की कैद न भुगती हो।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : उन मामलों का क्या होगा जिन में सेंट्रल जेल की रिपोर्ट नष्ट हो गई हैं और जो व्यक्ति वहां रहे हैं उन्हें आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों में संसद सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : साथ-साथ सजा भुगतने वालों के ही मामले में संसद सदस्यों के प्रमाण पत्र स्वीकार किये जाते हैं।

श्री आर० पी० यादव : उन मामलों का क्या होगा, जहां रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं किन्तु राज्य सरकारें उन्हें उचित मामला समझती हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं इस बारे में पहले ही कह चुका हूं। यदि जेल का प्रमाण पत्र तथा सह-कैदी का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होता है तो वह मामला राज्य सरकार को जांच करने तथा सिफ़ारिश देने के लिए भेज दिया जाता है।

श्री आर० पी० यादव : भूमिगत हुए व्यक्तियों का क्या होगा ? . . . **(व्यवधान)**

श्री एफ० एच० मोहसिन : स्वेच्छा से भूमिगत होना जेल जाना नहीं है। इस वर्ष इसके लिए 22.6 करोड़ का प्रावधान लिया गया है। किन्तु यह राशि वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को ही मिलनी चाहिए। संसद सदस्यों, विधायकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उन व्यक्तियों के बारे में हमें सूचना दें जोकि वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं किन्तु पेंशन ले रहे हैं। हम जिला मजिस्ट्रेटों, कोष अधिकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के पास सूचियां भेज रहे हैं ताकि वे सतर्क रहें और यदि कहीं से वह शिकायत मिले कि फ़लां व्यक्ति अवैध रूप से पेंशन ले रहा है तो उसको पेंशन देनी बन्द कर दी जायेगी।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालसौर) : 1942 में कुछ डाकू जेल में थे। वे सह-कैदी थे। उनमें से कुछ बाद में राजनीति में आ गये। मेरे क्षेत्र में ऐसे कुछ लोगों को पेंशन दी गई है। ऐसे मामलों का कैसे पता चलेगा।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यदि माननीय सदस्य कोई ठोस जानकारी देंगे तो हम उसकी जांच करेंगे।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामय्या): अभी काफी सदस्यों ने भाषण देने हैं। वाद विवाद जारी रह सकता है और गृह मंत्री को 6 बजे के लिए 2 मिनट पर बुलाया जा सकता है।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। अब यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फल स्वरूप देश में शांतिपूर्ण तथा सौहार्दयपूर्ण वातावरण है।

कुछ स्थानों पर जमींदारों तथा पुलिस द्वारा हरिजनों पर अत्याचार करने की घटनायें हुई हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि हरिजनों पर जमींदारों या पुलिस द्वारा अत्याचार न हो कारगर कदम उठाने चाहिएं।

हरिजनों और गिरिजनों की बहुत बड़ी संख्या है किन्तु सरकारी सेवाओं में उनके लिए आरक्षित स्थान उनकी संख्या की तुलना में बहुत कम हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती के समय तो इन पदों के लिए आरक्षण होता है किन्तु पदोन्नति के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भारतीय अर्थशास्त्र सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में भी हरिजनों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 1969 में 2.29 प्रतिशत, 1970 में 2.36 प्रतिशत, 1971 में 2.58 प्रतिशत तथा 1973 में 2.36 प्रतिशत थी। सरकार से अनुरोध है कि वह उनके लिए आरक्षित स्थानों को पूरी तरह भरे।

हरिजनों को दिए गए संवधानिक आरक्षण / गारंटी लागू की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों सम्बन्धी संसदीय समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहिए।

हरिजन जातियों तथा अन्य जातियों के छात्रों के लिए सांझे छात्रावास होने चाहिएं। इससे शिक्षा संस्थाओं में उचित वातावरण पैदा करने में सहायता मिलेगी।

हरिजनों तथा अन्य पद दलित लोगों के कल्याणकारी कार्यों की देख भाल करने के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। यह मंत्रालय सभी राज्यों में समन्वित रूप में अपेक्षित आंकड़े या जानकारी प्राप्त कर सकता है या फिर इनका कारगर निरीक्षण कर सकता है।

Shri Mulki Raj Saini (**Dehradun**): The Home Minister deserves congratulations for restoring law and order in the country.

After the declaration of emergency there has been screening of officers at higher level so as to eliminate inefficient and dishonest officers. This process of screening should be made at lower level also, particularly in the case of those employees who have direct dealings with the public. Inefficient and corrupt officials should be weeded out while efficient and honest officials should be rewarded.

There are a number of Government officials who have amassed property disproportionate to their income. Such cases should be gone into. There are a number of such cases in Saharanpur District but nothing is being done about them.

Anti-Social elements are still active in rural areas. The State Governments should be asked to arrest those elements under MISA and DIR, so that peace and order prevail in rural areas also. There are people in our country. who might be indulging in anti-national activities in the name of religion. The Government should keep a watch on the activities of these people.

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर (पंजिम) : सर्वत्र बजट की सराहना की गई है। इसका श्रेय आपात स्थिति तथा प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को जाता है। इससे पूर्व के वर्षों में इस तरह का बजट पेश करना सम्भव नहीं हो पाया क्योंकि उस समय देश में स्थिति भिन्न रही है। आपात स्थिति से पूर्व देश में अस्थिरता और अनिश्चिता का वातावरण था। अकारण ही आये दिन हड़तालें होती थी जिसके फलस्वरूप उत्पादन कम होता था तथा मूल्य बढ़ जाते थे। छात्र अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान

देने की बजाय हड़तालें करते थे और अध्यापकों का घेराव करते थे। कुछ लोग नेताओं की हत्या करने में लगे थे। ऐसे में यदि आपात स्थिति की घोषणा न की जाती तो देश का क्या होता कुछ कहा नहीं जाता। आपात स्थिति के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। शांति का वातावरण पैदा हुआ है। छात्र अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। उत्पादन बढ़ रहा है और मूल्य गिर रहे हैं।

प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम ने देश को नई दिशा दी है। आचार्य विनोबा भावे ने आपात स्थिति को अनुशासन पर्व कहा है। आपात स्थिति से पूर्व जो स्थिति थी वह पुनः उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए। परन्तु स्थिति में और अधिक सुधार हो सकता था यदि 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति ठीक ढंग से हो जाती। मैं समझता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का दायित्व केवल गृह मंत्रालय या अन्य मंत्रालय का ही नहीं है अपितु मंत्रियों को स्वयं इस में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेनी चाहिये ताकि यह सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सके। हम शीघ्र से शीघ्र आपात स्थिति समाप्त करना चाहते हैं।

अब मैं सदन का ध्यान गोआ संघ राज्य क्षेत्र की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं। गोआ संघ राज्य क्षेत्र के बजट का मुख्य आधार केन्द्र से मिलने वाला धन ही है। अतः यह सुनिश्चित करना भी केन्द्र का ही दायित्व है कि इस धनराशि का उचित प्रयोग किया जाये। वहां कानून और व्यवस्था सही ढंग से कायम रखी जाये तथा विकास की गति में वृद्धि हो।

मेरा एक अन्य निवेदन यह है कि गोआ के मुख्यमंत्री पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में 21 अप्रैल 1975 को उप राज्यपाल द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया था। परन्तु अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हो पाई है तथा इस बीच राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। आखिर गोआ में विधान सभा भी है। वहां जो गैर-कानूनी कार्य हो रहे है उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये।

मुझे छात्र संघ के बारे में अनेक तारे प्राप्त हुई हैं। हमें इस संघ के लगाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यदि इससे कृषि उत्पादन के कार्य को क्षति होती हो तो हमें इसके बारे में दुबारा सोच विचार कर लेना चाहिये। जिस दिन वहां संघ का उद्घाटन किया गया था उस दिन वहां बहुत सी अप्रिय घटनायें घटी। गृह मंत्रालय को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो तथा वहां स्वस्थ्य वातावरण का निर्माण किया जा सके।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं ने गृह मंत्रालय का 102 पृष्ठ का वर्ष 1975–76 का प्रतिवेदन पढ़ लिया है। उसके अनेक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि वह विश्वसनीय नहीं है। गत वर्ष 25 जून को जो आपात स्थिति घोषित की गई थी उसके विरोध में मैंने गत दो सत्रों में जो तर्क प्रस्तुत किये थे अब में उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। यह ठीक है कि हमें आपात स्थिति से कुछ लाभ हुये हैं परन्तु मूल प्रश्न यह है कि यदि आपात स्थिति की घोषणा न की जाती तो भला यह लाभ प्राप्त नहीं किये जा सकते थे ? क्या विरोधी दलों तथा विपक्ष की आवाज को दबाये बिना यह सब कुछ नहीं हो सकता था ?

वास्तविकता तो यह है कि आज सरकार द्वारा आपात स्थिति के नाम पर प्रत्येक विरोधी मत और वैध विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। यह जो सब कुछ आज हो रहा है इसे आत्म अनुशासन या अनुशासन नहीं कहा जा सकता। यह तो केवल मात्र शासन है और वह भी संगीन की नोक पर। कांग्रेसी सदस्य बार बार यह कह रहे है कि विपक्षी लोग दुराचरण में लगे हुए थे तथा मन मानी कर रहे

थे। इस दुराचरण सम्बन्धी आरोप को तो सरकार अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई है। हां अब सरकार स्वयं अवश्य मनमानी करने में लगी हुई है। हम यह समझते है कि यह अनुशासन अथवा शासन देश को लोकतांत्रिक भावना अथवा व्यवहार की स्वस्थ पद्धति से किसी प्रकार मेल नहीं खाता है।

यह बहुत विचित्र बात है कि गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह दावा किया गया है कि जन साधारण द्वारा आपात स्थिति का स्वागत किया गया है तथा सरकार द्वारा उठाये गये नये कदमों का स्वागत किया गया है। क्या मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि यह दावा उन्होंने किस आधार पर किया है? जब आप लोगों को पक्ष या विपक्ष में कुछ कहने का अवसर ही नहीं दे रहे तो फिर भला आप इस प्रकार का दावा किस आधार पर कर रहे हैं? कितनी विचित्र बात है कि सभाओं तथा समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगा कर अभिव्यक्ति के सभी माध्यम बन्द करके, सरकार यह दावा कर रही है कि जन साधारण ने इसका समर्थन किया है।

मैं आज सरकार के समक्ष यह स्पष्ट कर दूं कि सेंसरशिप से अनेक बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। लोगों के बीच एक भय सा फैल गया है। 28 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी यदि हम वैध अभिव्यक्ति करने में डरते रहे, तो भला यह स्वतन्त्रता क्या हुई? ऐसा लगता है कि हम बजाये एक कदम आगे बढ़ने के पीछे हटे हैं। आज सम्पूर्ण देश में गलत तथा झूठी अफवाहों का वातावरण बना हुआ है।

प्रधान मंत्री तथा सरकार द्वारा अनेक बार यह कहा गया है कि संविधान में परिवर्तन करने के प्रश्न पर एक राष्ट्र व्यापी चर्चा की जायेगी। क्या वह ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं कि जिससे केवल सत्ताधारी दल ही सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन कर सके। क्या सरकार को विपक्ष से सीखने का कोई प्रयत्न नहीं करना है। सरकार संविधान परिवर्तन के बारे में भी एक तरफा रवैया अपना रही है। मैं सरकार को चेतावनी दे दूं कि विरोधी तथा विपक्षी आवाज को दबा देने से, उनके विचारों को दबाया नहीं जा सकता। आज विरोधी आवाज भूमिगत अवश्य हो गई है परन्तु जब स्थिति इस प्रकार की हो जाती है तभी अतिवादी तथा विस्फोटक परिणाम सामने आते हैं। अतः सरकार को इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिये।

मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आंसुका और भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? उन लोगों को कहां रखा गया है तथा उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है? इसके बारे में प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं है। यदि गृह मंत्री यह नहीं बताना चाहते तो कम से कम यह आश्वासन तो दें कि सत्याग्रहियों तथा राजनीतिक नजरबन्द व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार किया जायेगा।

आज हमारे देश में हरिजनों तथा आदिवासियों की स्थिति बहुत दयनीय है। सरकार को उनकी स्थिति में सुधार करने तथा उन्हें समाज के समृद्ध वर्ग की यातनाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने चाहिये।

राष्टीय ऐकता की दृष्टि से अण्डमान और निकोबार का उल्लेख एक आदर्श के रूप में किया जा सकता है क्योंकि राष्टीय एकता के सम्बन्ध में वहां एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। आज वहां जाति, भाषा और धर्म के नाम पर कोई बन्धन नहीं है। अस्पृश्यता तथा बेरोजगारी काफी हद तक समाप्त हो गई है। तथ्य तो यह है कि समुद्र के कारण हम से अलग तथा दूर होते हुए भी वहां के लोग सच्चे

अर्थों में भारतीय हैं। आज वहां आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० आदि अखिल भारतीय सेवाओं के अनेक अधिकारी कार्य कर रहे हैं परन्तु वहां के स्थानीय व्यक्ति इन पदों पर न के बराबर काम कर रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि उन्हें प्रशासन कार्य के लिए वहां की स्थानीय प्रतिभा को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इन द्वीपों में पर्यटन, वन और मछली पकड़ने का विकास करने के लिए और अधिक धन लगाया जाना चाहिये। ऐसा करने से ही उस क्षेत्र का विकास हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप हो पायेगा।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं अपने देश की तीनों सेनाओं के सीमाओं पर तैनात जवानों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को सदा तैयार रहते हैं।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : The proclamation of Emergency has been lauded by the great saint of present times, Shri Vinobha Bhave and he has called it as an era of discipline. The declaration of 20 point programme by the Prime Minister on 26th June added a new chapter in the history of uplift of the country. This programme has opened new gates of development and Progress for the poor and downtrodden in the country. We hereby dedicate ourselves for the implementation of this programme and join hands with Prime Minister and Home Minister.

It is necessary for the success of 20 point programme that more funds may be allocated for the development of poor and backward people. I am sure that about 20 per cent people from backward classes will be benefited by this 20 point programme. It is as a matter of fact the poverty which leads to social backwardness. So every honest effort must be made for the elimination of poverty. Communalism and casteism are bound to destroy the unity of the nation. Every effort should be made to discourage the same. For the sake of socialistic society we must banish casteism from the country.

Regarding land reforms I may submit that the remedies suggested by Kaka Sahib Kaledkar in this regard may be implemented. More facilities should be provided for the education of tribals and scheduled castes.

Alongwith the states of U. P. and Bihar we are having Napal and there is an international border of 700 kilometers. Several undesirable elements cross over to Indian Border. It is suggested that more police posts should be created and the crossing of the people should be restricted.

Lastly, I may say a word regarding underground freedom fighters. Even if pension is not given to them atleast some facilities such as medical aid etc. should be provided to them.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी चर्चा में भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया। विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों तथा दलों के क्षुब्ध व्यक्तियों ने देशमें गत 36महीनों के दौरान जो अराजकता तथा अनुशासनहीनता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था, उसके बारे में मुझे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में आंतरिक गड़बड़ी फैलाने, हड़तालें करवाने तथा विश्वविद्यालयों आदि को बंद करवाने संबंधी जो प्रयत्न किये जा रहेथे वह किसी विदेशी शक्ति के इशारें पर किये जा रहे थे तथा इन सब की जांच

करवाई जानी चाहिये । गृह मंत्रालय को इन सभी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सुव्यवस्थित गुप्तचर विभाग की व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि विदेशी शक्तियां का सदा यही प्रयत्न रहता है कि हमारे देश में हो रहे विकास कार्य में बाधा डाली जाये । हमारे देश के समक्ष अभी बहुत सी समस्यायें हैं ।

[श्री पी० पार्थासारथी पीठासीन हुये]

[SHRI P. PARTHASARTHY *in the Chair*]

अब तक हमारी समस्या यह थी कि हमारे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते थे, श्रमिक अपना काम नहीं करते थे तथा निदेशक अधिकारी भी अपना काम पूर्ण तत्परता से नहीं करते थे । अब स्थिति पूर्णतया बदल गई है । हमने मुद्रा स्फीति पर काबू पा लिया है जिसके परिणाम स्वरूप कि अनेक विदेशी सरकारें लड़खड़ा गई हैं ।

मूल्यवृद्धि पर काबू कर लिया गया है तथा शिक्षा को ठोस आधार मिला है । लेकिन ये समस्याएं फिर भी रहेंगी ।

सरकार का आदिवासियों के विकास के लिए उपयोजना लाने का मैं स्वागत करता हूं । लेकिन यह नया कार्यक्रम उन्हीं क्षेत्रों में आरम्भ किया जायेगा जहां आदिवासियों की जन संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो । इसलिए मेरा सुझाव है कि 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाली ग्राम-पंचायतों को माइक्रो-योजना में सम्मिलित किया जाये । अन्यथा 50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र पिछड़े रह जायेगें क्योंकि अंचलों में उनकी जनसंख्या 51 प्रतिशत नहीं है ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : जो आदिवासी लोग ऐसे जंगलों में रहते हैं जहां खनिज पदार्थ बहुत मात्रा म मिलते हैं । अतः आदिवासियों को खान उद्योग के वास्तविक मालिक और उद्यमी बनाने के लिए हमें खान नियमों में आमूल परिवर्तन करने होंगे ।

महानगरों की विशेष समस्यायों यथा-पटरी पर रहने वाले, और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कानून और व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए ।

दूसरे माइक्रो-आयोजना से उत्पन्न हुई क्षेत्रीय भिन्नता और असन्तुलन समाप्त किया जना चाहिए । अन्यथा गरीब और पिछड़े क्षेत्र गरीब और पिछड़े ही रहेंगे तथा अमीर और अधिक अमीर हो जायेंगे ।

गृह मंत्रालय ने जो धन व्यय किया है वह कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है इसकी जांच की जानी चाहिए । पुलिस और अन्य लोगों को अधिक सक्षम बनाने के लिए उन्हें उपकरण उपलब्ध किए जाने चाहिए । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य पर नजर रखने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को तैनात किया जाना चाहिए ।

भर्ती और पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने आंकड़े-बैंकों के बारे में सुझाव दिया है। में आंकड़ा-बैंक वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि जनसंख्या वृद्धि आव्रजन, कृषि और औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकता तथा भूमि आदि के लिए भी आवश्यक है। इन सबके आंकड़े हमारे पास होने चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में अधिक नहीं किया गया है।

सरकारी क्षेत्र में भरती और पदोन्नति के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग और प्राक्कलन समिति द्वारा स्थापित पद्धति लागू की जाये और गृह मंत्रालय उसे कारगर बनाये।

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : मैं श्री भोगेन्द्र झा के मत से पूरी तरह सहमत हूं। यह ठीक ही कहा गया है कि आपात स्थिति आवश्यक हो गई थी और हम इसका समर्थन करते हैं। इससे कुशासन समाप्त हो गया है। लेकिन आपात स्थिति से मिले अधिकारों का अनेक स्थानों पर दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस निरकुंश हो गई है। और बहुत ज्यादतियां कर रही है। इस प्रवृति को रोका जाना चाहिए। अन्यथा लोग यह कहेंगे कि देश के बड़े व्यापारियों और एकाधिकारवादियों को प्रोत्साहन देने के लिए आपात स्थिति का उपयोग किया जा रहा है।

बेलगांव और कारवार के विवाद का उल्लेख किया गया है। इस समस्या को हल किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कुछ तत्व इस अवसर का लाभ उठा कर महाराष्ट्र और कर्नाटक में साम्प्रदायिक भावना फैला सकते हैं।

जब कल मैंने गृह मंत्री महोदय से यह प्रश्न किया कि शिव सेना जैसे संगठन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया तो उन्होंने कहा कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते, जब तक इस संस्था की गतिविधियों के बारे में हमें कोई सूचना न मिले। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। लेकिन बम्बई की जनता इन सब बातों का समर्थन नहीं करेगी। जनता को नारेबाजी और उपदेश मात्र देने से आप उनका दिल नहीं जीत सकते। आपको अपने मंत्रियों तथा अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए अन्यथा ऐसे साम्प्रदायिक तत्व पुनः सक्रिय हो जायेंगे और हमारी एकता को खतरा पैदा करेंगे। आशा है मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही अवश्य करेंगे।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : The Ministry of Home Affairs deserves tributes for protecting the country form the conspiracies of opposition parties. Now that there is an atmosphere of peace in the country, Committees of Memberes of Parliament should be set up to see that officials do not make any mischief in implementing the 20-Point Programme.

Family Planning should be made applicable to every section of the society irrespective of caste or creed. Religion should not be made obstacle in this programme. Ours is a secular country and no section of society should be spared on the basis of religion.

The existing system of elections should be changed. Even the Members of Parliament should not be made subject to election petition. Election symbols should be allotted only to that party which has at least 50 Sitting Members here. Elections should be contested only in the name of Party.

There is no need of pleaders or advocates in the Courts. Gram Panchayats, District Councils and legislative Assemblies should be given wider powers. There should be no two separate posts of the President and the Prime Minister. Only the President should be directly elected

by the people and 'no Confidence motion' cannot be brought against him for one year. A Cabinet of 21 Members—10 members elected by the House and 11 nominated by the President—should be constituted for running the administration of the country.

Hooliganism and instability are increasing in the country. In Order to put a stop to these Government should take stern steps to discourage drinking and smoking, particularly among youths and legislators. Our Prime Minister has made great sacrifices for the country. She has removed Capitalists in the country.

The Members of Parliament should go to their Constituencies and see that 20-Point Programme is implemented there by the Officials. Land ceiling regulations should be implemented in the country and surplus land should be distributed to the poor landless persons.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व): आदिवासियों की समस्या के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति संतोषजनक नहीं है। सरकार कुछ सहायता तो दे ही रही है लेकिन इससे समस्या हल नहीं होंगी, क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या का ही एक अंग है ।

संविधान में अन्तर्निहित निदेशक सिद्धांत नारा मात्र बन कर रह गये हैं। आदिवासी समस्या को राहत देने हेतु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

कहा गया है कि सरकार कहीं-कहीं आदिवासी विकास खंड और परियोजनाएं बना रही है। लेकिन इन से आदिवासियों की भूमि को संरक्षण नहीं मिला है। आदिवासी क्षेत्र को विकसित होते ही उसे दूसरे लोगों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। आदिवासियो को संरक्षण देने का केवल एक ही तरीका है कि सघन आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाये और उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाये ।

जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, संविधान की 6वीं अनुसूची के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों को गैर आदिवासी लोगों के हाथों में सौंपना निषिद्ध है। अरूणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य बन गये हैं। यदि इन प्रदेशों को भूमि को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता, यदि इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित न किया जाता और यदि इन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता नहीं दी जाती तो ऐसा नहीं होता ।

त्रिपुरा में सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र समाप्त कर दिया गया है। और 3000 आदिवासी परिवार गैर कानूनी तौर पर बेदखल कर दिये गये हैं ।

अत : सभी सघन आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए ।

छठी अनुसूची के अनुसार इन क्षेत्र में एक प्रादेशिक परिषद् बनाई जानी चाहिए। सभी सघन आदिवासी क्षेत्रों में छठी अनुसूची लागू की जानी चाहिए ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर): गत फरवरी के महीने में मुझे अन्डेमान और निकोबार द्वीप समूहों की यात्रा करने का अवसर मिला वहां मैंने यह देखा कि वहां रहने वाले आदिवासी लोगों को बहुत गंभीर कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है। अंडेमान द्वीप में केवल 23 अंडेमानी रहते हैं। उन्हें अलग-अलग फैंका हुआ है। उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती है। वे पूर्णत: तिरस्कृत हैं और

उन्हें खाना, डाक्टरी सहायता नहीं दी जाती है। वे अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। वहां आंग कबीले के लगभग 123 व्यक्ति रहते हैं। मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें आदिवासियों के रहन सहन के बारे में कुछ पता नहीं है। वे मूर्गत : अलग थलग रहते हैं। सरकार को आदवासियों के बारे में अनुकूल रवैया अपनाना चाहिए। आदिवासियों का कल्याण करने हेतु वहां कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी भेजने चाहिएं।

देश के उड़िया भाषी अल्पसंख्यक लोगों की भाषा, उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। सिंहभूम जिले की कुल 14,80,816 जनसंख्या में 2 लाख से अधिक उड़िया भाषी व्यक्ति रहते है। मोहू भंडार मुशाबोनी क्षेत्र को छोड़कर बहरागोड़-चकूलिया-घाटसिला क्षेत्र की कुल 257751 जनसंख्या में से वहां 99000 से भी अधिक उड़िया भाषी व्यक्ति रहते हैं। फिर भी वहां उन्हें उड़िया भाषा बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

निःसंदेह देश में पुलिस ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। लेकिन पुलिस अधीक्षकों से स्पष्ट रूप से कहा जाये कि पुलिस की ज्यादतियां और अत्याचारों के मामलों को कठोरता से निपटाया जाये। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर पूरा ध्यान दिया जाये सम्बंधित तथा दोषी व्यक्तियों को ऐसा दंड दिया जाये जिससे दूसरो को भी सबक मिले।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh): Chandigarh was facing a number of problems where I was elected to this House The main problem is that of Slums which are developing there. Then there is a problem of development of Villages. It is gratifying that the Home Ministry has paid due attention to these problems and taken steps to solve some of them. Provisions have been made for labour colonies in the plan. It has been decided to develop these Villages which were being destroyed earlier. The People of Chandigarh are grateful for these steps.

There are large number of Government employees in Chandigarh, but the number of Government Quarters are very small. Steps should be taken to construct more quarters for Government employees so that they may be relieved of housing problem.

There are certain small villages from where land revenue is collected. The Government has to spend an amount equal to their income on collect the land revenue. The Government should give up collection of land revenue, find out some other method of collecting certain funds from those villages which should be spent on the development of those villages.

Mani Majra is a big town. There is plan for the develpment of that town but it has been pending for quite some time. That plan should be implemented. Also representatives of the people should be included in the Advisory Committee or Notified Area Committee or any other body for that town.

A sum of Rs. 3 lakhs has been earmarked for publicity. Pamphlets should be issued which could give information about Chandigarh to tourists and others.

A provision of Rs. 2 lakhs, 72 thousands has been made for court cases. The Government should see to it that good and efficient lawyers are engaged.

There is need for improving town planning. Old plans should be made up to date and roads etc. should be planned keeping in view the likely growth of the city.

Funds are being earmarked for rural roads. Steps should be taken to construct rural roads where they did not exist.

There should be a municipality for Chandigarh. House-tax can be levied on the house owners and the money thus realised can be spent on the development of Chandigarh.

There are certain officers who has been in Chandigarh for so many years. Such officers should be transferred and new officers posted in their place.

Emergency has been liked by the people because it has led to the progress of the Country. In our educational institutions R.S.S. and other such bodies have created cells. These Cells should be distroyed.

श्री पी०आर० शिनाय (उदीपी): गृह मंत्रालय और वस्तुतः भारत सरकार ने सिक्किम के पूर्ण राज्य का दर्जा देकर, जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला से करार कर, नागालैंड विद्रोहियों से समझौता कर तथा अरुणाचल प्रदेश में विधान सभा और विधान परिषद् बनाकर सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान नेतृत्व में मिजोरम के विद्रोहियों के साथ समझौता करना और हमारे देश के इस क्षेत्र में शांति बनाना सरकार के लिए कठिन कार्य नहीं होगा ।

यद्यपि सरकार राज्यों के मध्य वाद-विवाद को सुलझाने का पूरा प्रयत्न कर रही है परन्तु खेद है अभी तक महाजन आयोग के प्रतिवेदन को लागू नहीं किया जा सका है। सरकार कर्नाटक और केरल तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को शीघ्र हल करें।

खेद है कि गत वर्ष के दौरान दक्षिण क्षेत्र परिषद् की कोई क्षेत्रीय बैठक नहीं हुई है। दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में सामान्य हित के अनेक विषय हैं और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दक्षिण क्षेत्र परिषद् की बैठक शीघ्र आयोजित की जाये।

प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम की अनेक उपलब्धियां है । मेरे राज्य में कृषकों को कृषि भूमि और भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन का वितरण कार्य बड़े सराहनीय ढंग से चल रहा है। लेकिन यह खेद का विषय है कि जन-प्रतिनिधि 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सक्रिय रुप से भाग नहीं ले रहे हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में संसद सदस्य सक्रिय भाग ले ताकि इन योजनाओं को अधिकाधिक सफ़ल और सार्थक बनाया जा सके।

अनुच्छेद 226 से हमारे देश का विकास और प्रगति रुकी है। रोकादेश जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति को सीमित करने के लिये अनुच्छेद 226 का संशोधन किया जाना अत्यन्त अनिवार्य है। भूमि सुधार कानून शीघ्र लागू किए जाने चाहिऐं। संविधान के अन्य संशोधन किए बिना ही सरकार को अनुच्छेद 226 का तुरन्त संशोधन करना चाहिए जिससे भूमि सुधार नियम शीघ्र लागू किए जा सकें।

अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने बहुत कार्य किया है। बहुत कुछ और किया जाना है और वह भी रोजगार सम्बन्धी मामलों में। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के रोजगार

के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सरकारी क्षेत्र एवं गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ध्यान आरक्षित करने के लिए कानून पास किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। मेरे राज्य में 'कुदीबी' जाति के आदिवासी रहते हैं। लेकिन ये लोग अनुसूचित जनजातियों की सूची में नहीं हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि 'कुदीबी' आदिवासी लोगों को, जो वास्तव में बहुत पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

जब भी जनता कोई शिकायत करती है तो वह शिकायतें उन्हीं अधिकारियों के पास भेजी जाती हैं जो स्वयं दोषी होते हैं या जिनके विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं। सरकार को जनता द्वारा तथा संसद सदस्यों द्वारा की जाने वाली ऐसी शिकायतों की जांच करने हेतु एक स्वतंत्र समिति बनानी चाहिए।

Shri Ishaque Sambhali : (Amroha) : The Home Ministry has done well in improving the administration after the declaration of the emergency. But it should be kept in mind that the danger from communal forces is not yet over. They are only lying low. Recently the RSS people has tried to disturb peace in Sambhal town and other places in U. P. by trying to arouse communal feelings. The Government must not ignore the threat still posed by these communal forces.

There is lot of discrimination being made against minorties especially muslim minorities in the matter of recruitment to various posts. There should be reservation of posts for muslims in government services and also in pubic sector and private sector enterprises.

In the budget the government has given concessions to industrialists but prices of industrial goods are not coming down. Action should be taken against the concerned people so that prices come down.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr) : There has been remarkable change in the law and order situation in the country after the emergency. But recently there has been a rise in the number of incidens of dacoities and robberies in the buses and running trains, specially in Uttar Pradesh. Government should take drastic measures to stop recurrence of such incidents.

At present those freedom fighters who has an annual income of more than Rs. 5000/- are not eligible for receiving political pension. This limit should be raised to Rs. 8000/- so that more persons could be covered.

Hindi is our national language but it has not been given its due place. Many departments of Central Government publish their Reports in English only. Government should see that Reports of those departments is available in Hindi also. Government should ensure that letters received in Hindi should be replied in Hindi only by the Ministries.

Shri Tuna Oraon (Jalpaiguri) : Liquor is sold to tribals in great quantities in the tribal areas of north Bengal and Assam. This is responsible to a great extent for their economic exploitation and backwardness. Government should enforce their prohibition policy with full force to see that those tribals are not exploited by unscrupulous liquir contractors.

The tribal people have their own language with a peculiar accent. Arrangements should be made in all the primary schools in the tribal areas for imparting education to tribals in their own mother tounge; wherever possible there should be one teacher on every twenty tribal students. Unless this is done our objective for an expeditious developments of the tribal areas will not be achieved.

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। आपात-स्थिति के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां 150–200 लोगों को स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन मिलती है। परन्तु कुछ लोग जो वहां अंग्रेजों की गोली का शिकार हुए उनके आश्रितों को कुछ नहीं मिला। कागजी सबूत के अभाव में उन्हें पेंशन से वंचित रखा गया है।

आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयत्नों में तेजी लाई जाए। परन्तु इसके बजाए वहां उनका शोषण किया जा रहा है। निजी तौर पर साहूकारी करने वालों के द्वारा उनका अत्यधिक शोषण हुआ है। परन्तु ऋण लेने की और कोई सुविधा न होने के कारण वे लोग और कहां जाए। अतः सरकार ऋण सम्बन्धी सुविधाएं दे। परन्तु इसके साथ ही वहां शराब बन्दी की जाए क्योंकि यह भी आदिवासियों के शोषण का एक कारण है। ये दोनो बातें खतम होनी चाहियें। योजना आयोग द्वारा 1973 में नियुक्त टास्क फोर्स ने भी इसका समर्थन किया और केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने 26–3–1974 को उसे स्वीकार किया था। यह बात राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इन्चार्ज मंत्रियों के सम्मेलन में भी स्वीकार की गई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1971–73 के अपने प्रतिवेदन में इन बातों का उल्लेख किया।

अन्त में मैं कहूंगा कि यदि सरकार वनवासी क्षेत्रों में सुधार किये बिना आर्थिक विकास के लिये अधिक राशि देती है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। कोई आर्थिक विकास नहीं होगा। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के शोषण को रोकने में प्राथमिकता दी जावे और बाद में विकास के लिए धन दिया जाय।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : The Ministry of Home Affairs has opened 165 centres for teaching and propagation of Hindi. In view of the size and population of our country this number is too inadequate to have any impact on the problem. Therefore, more such centres should be opened. Annual Reports and other information in respect of the working of the Ministries should be made available in Hindi also.

The rate of stipends for S.C. & S. T. students who stay in hostels should be increased. These hostels should be managed by S.C. and S. T. persons only. The colonies of SC & ST people should not be located at distant and isolated places in the towns. These colonies should be located in the centres of the towns.

Rajasthan receive minimum amount as compared to all the states for harijans welfare. This amount should be increased considerably. An amount of Rs. 40 has been allotted for abolishing the practice of carrying night soil on the heads. More amount should be allotted for this purpose. Besides the flush system of laterins should be made compulsory in all the towns. This will go a long way in removing this evil practice.

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मणिपुर) : अभी हाल ही में अहमदाबाद में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं । इससे पता लगता है कि भारत में समाजविरोधी तत्व अभी सक्रिय हैं । सरकार द्वारा और कठोर उपाय किये जाने चाहियें ताकि इन तत्वों का पूर्णत: दमन किया जा सके ।

मणिपुर भी एक ऐसा राज्य है जहां आजाद हिन्द फ़ौज ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था । इस संग्राम में कोहिमा और निकटवर्ती क्षेत्रों में गोली चली थी । स्वतंत्रता संग्राम में वहां के लोगों द्वारा की गई कुर्बानी को आज भुलाना नहीं चाहिये । सरकार को देखना चाहिये कि आजाद हिन्द फ़ौज का समर्थन करते समय जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उन्हें भी राजनीतिक पेंशन के योग्य माना जाना चाहिये ।

स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के कल्याण सम्बन्धी योजनाएं अभी तक कुछ राज्यों में तैयार नहीं हुई हैं । जहां कहीं ये तैयार हुई हैं वहां इन्हें लागू नहीं किया गया है । मंत्रालय को इस समस्या में अधिक रुचि लेनी चाहिये ।

हिन्दी को, जो राष्ट्रभाषा है, अधिकाधिक लोकप्रिय बनाना चाहिये । इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि लोगों को यह कहते बनता है कि इसे अवश्य लागू किया जाना चाहिये । बहुत से स्वयंसेवी संगठन हिन्दी के प्रचार के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । इनकी सहायता की जानी चाहिये ।

आदिवासी लोगों तथा अन्य पिछड़े समुदायों का कल्याण हमारे देश के विकास के लिये पूर्व शर्त है । जब तक इन समुदायों का विकास नहीं होगा, तब तक हम यह दावा नहीं कर सकते कि देश का समग्र विकास हो गया है । योजना बनाने मात्र और उसपर धन व्यय करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा । उनके जीवन के सभी पहलुओं जैसे मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है । इन सभी पहलुओं का विकास किये बिना आदिवासी लोगों का विकास नहीं होगा । सरकार को इस मामले की गम्भीरता से जांच करनी चाहिये ।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : श्रीमान, मैं . . .

सभापति महोदय : गृह मंत्री कल अपना भाषण जारी रखें । अब सभा कल मध्यान्ह पूर्व 11 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 2 अप्रैल, 1976/13 चैत्र, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned, till eleven of the Clock on Friday, April 2, 1976/Chaitra 13, 1898 (Saka).

GMGIPND—L-1015LS—12-8-76-200